रजिस्ट्री सं० डी०(डी)-73

REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 19, 1976/ज्येष्ठ 29, 1898

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 19, 1976/JYAISTHA 29, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 21 मई, 1976

का० आ० 2005.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1975 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 94-राधनपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शंकरभाई रेवशीभाई ठाकुर, कल्याणपुरा, डाकखाना भिलोट, तालुका राधनपुर, जिला बनासकंठा (गुजरात), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शंकरभाई रेवशीभाई ठाकुर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० गुज०-वि० स०/94/75(43)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 21st May, 1976

S.O. 2006.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shankrabhai Revshibhai Thakore, Kalyanpura, Post Bhilot, Taluka Radhanpur, District Banaskantha (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June, 1975 to the Gujarat Legislative Assembly from 94-Radhanpur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shankarbhai Revshibhai Thakore to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/94/75(43)]

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 1976

का० आ० 2007.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1975 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 45-अमरेली

निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री उगा रूपा महिदा भारपारा, वंकरवास, अमरेली (जो इस समय मुकाम बदोदर वाया केशोद, तालुका केशोद, जिला जूनागढ़ (गुजरात) में रह रहे हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री उगा रूपा महिदा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० गुज०-वि० स०/45/75(44)]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 1976

S.O. 2007.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Uga Rupa Mahida, Baharpara, Vankervas, Amreli (at present residing at Badodar, Via Keshod, Taluka Keshod, District Junagadh (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June, 1975 to the Gujarat Legislative Assembly from 45-Amreli constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Uga Rupa Mahida to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/45/75(44)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

नई दिल्ली, 29 मई, 1976

का०आ० 2008.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, सिक्किम सरकार के परामर्श से श्री डी० के० मानवलन के स्थान पर श्री डी० सी० लुकसोम, खाद्य विभाग में सिक्किम सरकार के सचिव को तारीख 18 मई, 1976 से सिक्किम राज्य के लिये मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में अगले आदेशों तक एतद्द्वारा नाम निर्देशित करता है।

[सं० 154 सिक्किम/76]

ए० एन० सैन, सचिव

New Delhi, the 29th May, 1976

S.O. 2008.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission, in consultation with the Government of Sikkim, hereby nominates Shri D. C. Lucksom, Secretary to the Government of Sikkim in the Food Department, as the Chief Electoral Officer for the State of Sikkim, with effect from 18 May, 1976 and until further orders vice Shri D. K. Manavalan.

[No. 154/SKM/76]

A. N. SEN, Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 मई, 1976

का० आ० 2009.—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की तारीख 10 फरवरी, 1975 की अधिसूचना सं० का० आ० 88 (ई०) के द्वारा नियुक्त किये गये जांच आयोग, जिसकी कार्यावधि 27 दिसम्बर, 1975 की अधिसूचना सं० का० आ० 733(ई) द्वारा 30 जून, 1976 तक बढ़ाई गई थी, की कार्यावधि को 31 दिसम्बर, 1976 तक बढ़ाती है, जिस अवधि में आयोग अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर देगा।

[सं० 1/12014/1/75-एस एण्ड पी (डी-III)]

सी० वी० नरसिंहन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 25th May, 1976

S.O. 2009.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby further extends upto the 31st December, 1976, the period within which the Commission of Inquiry appointed by the Government of India in the Ministry of Home Affairs by Notification No. S.O. 88(E), dated the 10th February, 1975 and whose tenure was last extended upto the 30th June, 1976, by Notification No. S.O. 733(E), dated the 27th December, 1975, shall make its report to the Central Government.

[No. 1/12014/1/75-S&P(D. III)]

C. V. NARASIMHAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बैंककारी विभाग)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1976

आयकर

का०आ० 2010.—केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम्, तिरुपति को, निर्धारण वर्ष (वर्षों) 1973-74 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 1270/फा० सं० 197/27/75-आईटी (ए I)]

के० आर० राघवन, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Banking)

New Delhi, the 1st April, 1976

INCOME-TAX

S.O. 2010.—In exercise of the powers conferred by Clause (V) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies

Tirumala Tirupati Devastanam, Tirupati, for the purpose of the said section for and from assessment year(s) 1973-74.

[No. 1270/F. No. 197/27/75-IT(AI)]

K. R. RAGHAVAN, Director

बैंकिंग पक्ष

नई दिल्ली, 27 मई, 1976

का०आ० 2011.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध, 27 अप्रैल, 1977 तक अचल सम्पत्ति अर्थात् केरल राज्य के त्रिचूर जिले के कल्लेथुमाकारा ग्राम में सर्वे सं० 176 और 177 के सम्बन्ध में श्री पूर्णत्रयी विलासम बैंक लिमिटेड, त्रिपुणीथुरा पर लागू नहीं होंगे।

[सं० 15(18)/बी० ओ० III-76]

मे० भा० उसगावकर, अवर सचिव

(Banking Wing)

New Delhi, the 27th May, 1976

S.O. 2011.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act, shall not apply till the 27th April, 1977 to the Sree Poornathrayeesa Vilasom Bank Ltd., Tripunithura, in respect of the immovable property viz., Survey Nos. 176 and 177 at Kallethumkara Village in Trichur District in Kerala State.

[No 15(18)-B.O. III/76]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

का० आ० 2012.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री एम० दण्डपाणि के स्थान पर राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष), नयी दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री बलदेव सिंह को एतद्द्वारा यूनियन बैंक आफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/6/76-बी० ओ० I(2)]

S.O. 2012.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Baldev Singh, Joint Secretary, Department of Revenue and Banking (Banking Wing), New Delhi as a Director of Union Bank of India, vice Shri M. Dandapani.

[No. F. 9/6/76-BO. I-(2)]

का० आ० 2013.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, कु० कुसुमलता मित्तल के स्थान पर राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष), नयी दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री बलदेव सिंह को एतद्द्वारा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/6/76-बी० ओ० I (1)]

S.O. 2013.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Baldev Singh, Joint Secretary, Department of Revenue and Banking (Banking Wing), New Delhi as a Director of United Commercial Bank, vice Kumari Kusum Lata Mital

[No. F. 9/6/76-BO. I-(1)]

का० आ० 2014. -14 मई 1976 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 14th May, 1976

New Delhi, the 27th May, 1976

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.
चुकता पूंजी		नोट	
Capital Paid up	5,00,00,000	Notes	9,09,28,000
आरक्षित निधि		रुपये का सिक्का	
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	5,25,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		छोटा सिक्का	
(दीर्घकालीन प्रचालन) निधि		Small Coin	2,98,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	खरीदे और भुनाए गए बिल	
		Bills Purchased and Discounted :—	
		(क) देशी	
		(a) Internal	110,19,65,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण			
(स्थिरीकरण) निधि		(ख) विदेशी	
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	140,00,00,000	(b) External	..
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		(ग) सरकारी खजाना बिल	
(दीर्घकालीन प्रचालन) निधि		(c) Government Treasury Bills	350,71,71,000
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया Balances Held Abroad	1068,05,38,000

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.
जमाराशियां — Deposits :—		निवेश Investments	275,42,26,000
(क) सरकारी (a) Government		ऋण और अग्रिम — Loans and Advances to :—	
(i) केन्द्रीय सरकार (i) Central Government	53,10,11,000	(i) केन्द्रीय सरकार को (i) Central Government	..
(ii) राज्य सरकारें (ii) State Governments	10,07,89,000	(ii) राज्य सरकारों को (ii) State Governments	251,01,68,000
(ख) बैंक (b) Banks		ऋण और अग्रिम — Loans and Advances to :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक (i) Scheduled Commercial Banks	709,59,09,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (i) Scheduled Commercial Banks	870,20,91,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (ii) Scheduled State Co-operative Banks	35,76,56,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks	172,35,58,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,73,17,000	(iii) दूसरों को (iii) Others	38,12,42,000
(iv) अन्य बैंक (iv) Other Banks	92,17,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण अग्रिम और निवेश Loans' Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) ऋण और अग्रिम — (a) Loans and Advances to .—	
		(i) राज्य सरकारों का (i) State Governments	76,06,54,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks	13,44,70,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को (iii) Central Land Mortgage Banks	..
		(iv) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को (iv) Agricultural Refinance & Development Corporation	113,90,00,000
(ग) अन्य (c) Others	1835,79,07,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	10,11,46,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
देय बिल Bills Payable	95,93,55,000		
अन्य देयताएं Other Liabilities	848,90,89,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम Loans and Advances to State- Co-Operative Banks	69,82,64,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans' Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम (a) Loans and Advances to the Development Bank	387,02,56,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडो/डिबेंचरो में निवेश (b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		अन्य आस्तियां Other Assets	795,17,50,000
रुपये Rupees	4610,82,50,000	रुपये Rupees	4610,82,50,000

आर० के० हजारी, उप गवर्नर
R.K. HAZARI, Dy. Governor

दिनांक 19 मई, 1976
Dated, the 19th Day of May, 1976

भारतीय रिजर्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में मई, 1976 के दिनांक 14 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 14th day of May, 1976

इशु विभाग

ISSUL DEPARTMENT

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department	9,09,28,000		सोने का सिक्का और बुलियन :— Gold Coin and Bullion :—		
संचलन में नोट Notes in circulation	7075,13,92,000		(क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India	182,52,51,000	
जारी किये गये कुल नोट Total notes issued		7084,23,20,000	(ख) भारत के बाहर रखा हुआ (b) Held outside India	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां Foreign Securities	371,73,97,000	
			जोड़ Total		554,26,48,000
			रुपये का सिक्का Rupee Coin		9,51,88,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां Government of India Rupee Securities		6520,44,84,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
कुल देयताएं Total Liabilities		7084,23,20,000	कुल आस्तियां Total Assets		7084,23,20,000

[No. F. 10/1/76—B.O.I.]

च० व० मीरचंदानी, उप सचिव

C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

दिनांक 19 मई, 1976

Dated the 19th day of May, 1976.

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 4 मई, 1976

आय-कर

का० आ० 2015—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड निदेश देता है कि बोर्ड की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 679 (फा० सं० 187/2/74-आई० टी० (ए I) तारीख 20-7-1974 से उपाबद्ध अनुसूची की क्रम संख्या 18 के सामने स्तम्भ 3 के नीचे की मद संख्या 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

6. पालमपुर के कांगड़ा, चम्बा, हमीरपुर और ऊना जिले।

यह अधिसूचना 10-5-76 से प्रवृत्त होगी।

[सं० 1314 (फा० सं० 187/2/74-आई० टी० (ए I)]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

(Central Board of Direct Taxes)

New Delhi, the 4th May, 1976

(Incom-tax)

S.O. 2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby direct that item No. 6 under Col. 3 against S. No. 18 of the Schedule appended to the Board's notification No. 679 (F. No. 187/2/74-IT(AI) dated 20-7-1974, as amended from time to time, shall be substituted by the following:—

6. Kangra, Chamba, Hamirpur and Una Districts at Palampur.

This notification shall come into force with effect from 10-5-76.

[No. 1314/F. No. 187/2/74-IT(AI)]

M. SHASTRI, Under Secy

समाहर्ता कार्यालय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

गुन्टूर, 26 फरवरी, 1976

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

का० आ० 2016.—समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुन्टूर, द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० 2/75 को इस अधिसूचना द्वारा तत्काल रद्द किया जाता है।

[अधिसूचना सं० 1/76]

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE

Guntur, the 26th February, 1976

Central Excise

S.O. 2016.—Notification No 2/75 Central Excise issued by the Collector of Central Excise, Guntur on 30-6-75 is hereby rescinded with immediate effect.

[Notification No. 1/76]

परिशिष्ट

गुन्टूर, 12 मार्च, 1976

का० आ० 2017—दिनांक 4 जून, 1971 की अधिसूचना सं० 1/71 की क्रम संख्या 20 में स्तम्भ 2, 3, 4 में निम्नलिखित वाक्य और जोड़ दिए जाएँ।

स्तम्भ 2	स्तम्भ 3	स्तम्भ 4
नियम 49	सहायक समाहर्ता	अभिनिर्माता द्वारा विक्रय के लिए अनुपयुक्त माल के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए प्रत्येक दावे की बाबत अधिकतम 1000 रु० तक के शुल्क का अधित्याग करने की शक्ति, बशर्ते कि इसकी रिपोर्ट समाहर्ता को दी गई हो।

[सी० सं० IV/18/1/75-एम० पी०-2)]

पी० आर० कृष्णन, समाहर्ता

ADDENDUM

Guntur, the 12th March, 1976

S.O. 2017:—Add to column-2, 3 & 4 of Sl. No. 20 of the Notification. No. 1/71, dated 4th June, 1971

Col. 2	Col. 3	Col. 4
Rule 49	Asst. Collector	Waiving of duty upto a maximum of Rs. 1000/- in each case on goods claimed by manufacturer as unfit for marketing subject to a report being made to Collector.

[C.No.IV/8/1/75 MP.2]

P.R. KRISHNAN, Collector

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहर्ता

कलकत्ता, 13 मई, 1976

सीमा शुल्क

का० आ० 2018—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2, खण्ड 34 के अधीन प्राप्त कार्य क्षमता का उपयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता पश्चिम बंग, कलकत्ता, जो पश्चिम बंग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय के अधिकारक्षेत्र में सीमा शुल्क समाहर्ता भी है, नीचे लिखित तालिका के कालम 1 के या इनसे उच्च स्तर के अधिकारियों का "उचित अधिकारी" (प्रापर आफिसर) के कार्यों को नियत करते है जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के पाठ IX के विभिन्न धाराओं में व्यक्त है और निम्न तालिका के समकक्ष कालम 2 में लिखित है।

तालिका

1	2
सहायक समाहर्ता सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	59, 60, 61, 63, 67, 73
अधीक्षक सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	62, 64, 68, 69, 72

[सी० सं० VIII (40) 4-कस(प० बं०/75)]

ए० के० भौमिक, समाहर्ता

Collectorate of Central Excise and Customs

Calcutta, the 13th May, 1976

Customs

S.O. 2018.—In exercise of the powers conferred by clause 34 of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Collector of Central Excise, West Bengal, Calcutta having been appointed as the Collector of Customs within the jurisdiction of the West Bengal Central Excise & Customs Collectorate, hereby assigns to the officers of and above the rank of the officers mentioned in the column 1 of the schedule below the functions of the "Proper Officer" referred to in the various sections of Chapter IX of the Customs Act, 1962 given in the corresponding entry in column 2 of the said schedule.

SCHEDULE

Assistant Collector of Customs & Central Excise	59, 60, 61, 63, 67, 73
Superintendent of Customs & Central Excise Inspector of Customs & Central Excise.	62, 64, 68, 69, 72

[C.No.VIII(40) 4-CUS/WB/75]

A K. BHOWMIK, Collector

मद्रास, 30 अगस्त 1975

का०आ० 2019.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के खंड 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा शुल्क समाहर्ता, मद्रास, इस के द्वारा, विशाखापट्टन बाहरी हार्बर परियोजना में निम्न अनुसूचित विवरण के अनुसार नये ओर बर्थ को सीमाशुल्क अधिकारियों के लिए जहां पर चढ़ने व उतरने, बोर्डिंग स्टेशन नियुक्त करते है।

अनुसूची

बर्थ का नाम	बर्थ का विवरण	मालिक का नाम	सीमाशुल्क क्षेत्र की सीमा
विशाखापट्णम के बाहरी हार्बर परियोजना मे नया ओर बर्थ	(1) ओर बर्थ की लंबाई 263 मीटर (2) ओर बर्थ की चौड़ाई 27 75 मीटर (3) ओर बर्थ की घटायी ऊंचाई 4 40 मीटर (4) ओर बर्थ मे ड्राफ्ट 16 50 मीटर (5) जहाज का अधिकतम सहज 1 लाख DMT (6) ओर बर्थ को जाने जेट्टी की लंबाई 145 मीटर (7) ओर बर्थ को जाने जेट्टी की चौड़ाई 10 10 मीटर नया ओर बर्थ ग्रैब पर है और जाने वाली जेट्टी पैल पर है।	विशाखापट्टण पत्तन न्यास	उत्तर :—ग्रोयी नं० दक्षिण —ड्राइव हाउस H 9 के दक्षिण की दीवार पूर्व —बर्थ के पूर्वी छोर तक बंगाल की खाड़ी पश्चिम —बीच रोड पर की दीवार

[सी 10/2/74 आयात]

Madras 30th August, 1975

S.O. 2019.—In exercise of the Powers conferred by section 10 of the Customs Act, 1962, the Collector of Customs, Madras hereby appoints the New Ore Berth described in the Schedule hereto annexed, in the Visakhapatnam Outer Harbour Project to be a Boarding station for the purpose of boarding of or Disembarkation from Vessels by Officers of Customs.

SCHEDULE

Name of the Berth	Particulars of the Berth	Name of the Owner	Limits of Customs Area.
New Ore Berth in the Visakhapatnam Outer Harbour Project,	1. Length of the Ore Berth 263 metres. 2. Width of the Ore Berth 27.75 metres. 3. Reduced level of the top of the ore Berth. 4 40 mts. 4. Draft at Ore Berth 16.50 Metres. 5. Max size of Ore carrier 1 lakh D.M.T. 6. Length of approach Jetty to ore Berth 145 Metres. 7. Width of approach jetty to ore berth 10.10 metres The new Ore berth is on gribs and approach jetty is on piles.	Visakhapatnam Port Trust	North: – Groyee No. I at the end of reclamation Bound South: – Wall on the south of drive House H.9 East: – Bay of Bengal up east end of Ore Berth. West:— Wall along the Beach Road.

[C-10/2/74-Imports]

मद्रास 6 अप्रैल, 1976

का०आ० 2020.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के खंड 10 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क समाहर्ता, मद्रास, इसके द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में दत्त विवरण के अनुसार विशाखपट्टण बाहरी हारबर परियोजना मे नये रूप मे प्रस्तावित मूरिंग बर्थ को सीमाशुल्क अधिकारियों के जहाज पर चढ़ने/उतरने का बोर्डिंग के स्टेशन के रूप मे नियुक्त करते है।

विशाखपट्टण के विशेष मूरिंग बर्थ के लिये जारी की गयी पहले की अधिसूचना एस-सी०/2/75 ता० 30-8-75 और एस-सी०/10/75 ता० 25-11-75, इसके द्वारा रद्द की जाती है।

अनुसूची

बर्थ का नाम	बर्थ का विवरण	मालिक का नाम	सीमाशुल्क क्षेत्र की सीमा
विशाखपट्टण बाहरी हारबर परियोजना में विशेष मूरिंग बर्थ	मूरिंग बर्थ मे लंबाई और चौड़ाई में बोध मूरिंग और बो में जहाज का अपना लगर मिला है जहाज 210 मीटर तक है। एल० ए० ओ० को स्थान हो सकता है	विशाखपट्टण पोर्ट ट्रस्ट	दक्षिणी ब्रेकवाटर्स उत्तर :—बाहरी हारबर आधार पूर्व —दक्षिणी ब्रेकवाटर्स के पूर्वी राउन्ड कोना। पश्चिम —200 मीटर दक्षिणी ब्रेकवाटर्स, और पूर्वी छोर की होल्ड ब्रेकवाटर के दक्षिणी अन्त में पश्चिम में मिलने वाली पूर्वी लाइन।

[सी-10/2/74 आयात]
जी० सकारन समाहर्ता

Madras 6th April 1976

S.O. 2020.—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Customs Act, 1962, the Collector of Customs, Madras hereby appoints the newly proposed Special Mooring Berth described in the Schedule here to annexed, in the Visakhapatnam Outer Harbour Project to be a Boarding Station for the purpose of boarding of, or disembarkation from vessels by Officers of Customs.

This Notification is issued in supercession of Notification M-Cus 2/75 dated 30-8-75 and Notification M-Cus 10/75 dated 25-11-1975 issued in respect of the Special Mooring Berth of Visakhapatnam Harbour Project.

SCHEDULE

Name of the Berth	Particulars of the Berth	Name of the owner	Limits of Customs Area
Special Mooring Berth in the Visakhapatnam Outer Harbour Project.	The Mooring berth consists of Buoy Mooring at the stern and breast and ships own anchors at the bow. Ships upto 240 metres, LOA can be accommodated.	Visakhapatnam Port Trust.	South:—South Breakwaters North:—Outer Harbour Basin East:—Eastern round head of south breakwater West:—200 metres east of line joining western round head of south break water and the Eastern end of the Old break water.

[No C.19/2/74-Imp]

G. SANKARAM, Collector

संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात का कार्यालय

आदेश

बम्बई, 22 अगस्त, 1975

का० आ० 2021—मैसर्स कोरेस (इन्डिया) लि०, बम्बई को लाइसेंस के लिए संलग्न सूची में बताई गई मदों के आयात के लिए 11,19,845 रुपये का एक लाइसेंस संख्या P/L/2706643, दिनांक 14-6-74 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति 700242 रुपये मात्र के लिए उपयोग करने के बाद खो गई है। अब अनुलिपि प्रति की आवश्यकता लाइसेंस के शेष मूल्य अर्थात् 349604 रुपये मात्र के लिए है। अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट ग्रेटर बम्बई के समक्ष विधिवत् शपथ लेते हुए एक शपथपत्र दाखिल किया है।

2 मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस संख्या पी/एल/2706643, दिनांक 14-6-74 की मूल सीमाशुल्क कार्यसम्बन्धी प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को लाइसेंस की अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए।

3 लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है।

[संख्या. 116/200/2119/29-5-75/मार्च 71 एल/आर ई पी एस०पी०एस०बी०—1583]

एस० वेंकट, उप-मुख्य नियंत्रक

OFFICE OF THE JT. CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

ORDER

S.O. 2021 :—M/s. Kores (India) Ltd; Bombay were granted a licence No. 2706643 of 14-6-74 for Rs. 11,19,845 for import of items as per list attached. They have applied for duplicate copy of Custom purpose copy of the said licence on the ground that the original has been lost having been utilised for Rs. 700242 only. The duplicate copy now required is for the balance value of the licence, i.e. Rs. 349604 only. In support of their claim the applicants have filed an affidavit duly sworn in before the presidency Magistrate, Greater Bombay.

2. I am satisfied that the original of the Customs purpose copy of the licence No. P/L/2706643 of 14-6-74 has been lost and direct that the duplicate copy of the licence be issued to the applicant.

3. The original of the Customs purpose copy of the licence is cancelled.

[No. 116/200/2119/29/29-5-75/March, 74/L/REP. SPS. B. 1583].

S. VENKAT, Dy. Chief Controller

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 1976-05-25

(भारतीय मानक संस्था)

का० आ० 2022.—संख्या सीएमडी/13 11—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे जिन 55 लाइसेंसों के ब्यौरे अनुसूची में दिए गए हैं, लाइसेंसधारियों को मानक संबंधी मुहर लगाने का अधिकार देते हुए नवम्बर 1971 में स्वीकृत किए गए हैं

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या (सीएम/एल—)	वैधता की अवधि से	तक	लाइसेंसधारियों के नाम और पते	लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया और तत्संबंधी IS पद नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सीएम/एल-4025	1-11-1974	31-10-1975	पोचमपाड पेस्टीसाइड्स प्रा०लि० इंडस्ट्रियल इस्टेट सिरसिल्ला रोड करीमनगर (आ०प्र०)	डीडीटी अल विसर्जनीय तेज चूर्ण— IS 565-1961
	1-11-1974				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	सीएम/एल-4026 5-11-1974	1-11-1974	31-10-1975	बंगलोर वायर राड मिल (ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया प्रा०लि० की इकाई) महादेवपुरा, डाकघर व्हाइटफील्ड रोड, बंगलोर-560048	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी मरोड़ी विकृत इस्पात की सरिया— IS : 1786-1966
3.	सीएम/एल-4027 5-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	मुकुंद आयरन एंड स्टील वर्क्स लि०, ठाणे-बेलापुर रोड कास्बे, ठाणे (महाराष्ट्र)	संरचना इस्पात (मानक किस्म) के रूप में पुनः वेल्लन के लिए कार्बन इस्पात के बिलेट— IS : 2830-1964
4.	सीएम/एल-4028 5-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	,,	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) के रूप में पुनः वेल्लन के लिए कार्बन इस्पात के बिलेट— IS : 2831-1969
5.	सीएम/एल-4029 5-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	चन्द्राज केमिकल इंटरप्राइजेज (प्रा०)लि०, बजबज रोड, रामपुर 24-परगना इनका कार्यालय: पी-24 सीआईटी रोड, कलकत्ता-700014 में है ।	जूता उद्योग के लिए रबड़ के बने चेपक पदार्थ— IS: 4663-1968
6.	सीएम/एल-4030 5-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	चन्द्राज केमिकल इंटरप्राइजेज (प्रा०,लि०, 233/1 गोपाललाल टैगोर रोड, कलकत्ता-700036 इनका कार्यालय : पी-35 सी० आई० टी० रोड, कलकत्ता-70004 में है ।	जूता उद्योग के लिए रबड़ के बने चेपक पदार्थ— IS: 4663-1868
7.	सीएम/एल-4031 5-11-1974	1-11-1974	31-10-1975	पोचमपाव पेस्टीसाइड्स प्रा०लि०, इंडस्ट्रियल इस्टेट, सिरसिल्ला रोड, करीमनगर (आ०प्र०)	बीएचसी जल विसर्जनीय तेज चूर्ण— IS : 562-1962
8.	सीएम/एल-4032 5-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	दि सुप्रीम इंडस्ट्रीज लि०, 633 ओल्ड लक्ष्मी मिल्स आह्रा बडाला, बम्बई-400031	अंग्रेजी टट्टियों के प्लास्टिक की सीट और ढक्कन—; IS : 2548-1967
9.	सीएम/एल-4033 5-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	आत्मा स्टील्स प्रा०लि० सी-139 से 141 इंडस्ट्रियल एरिया संख्या 1, बुलंदशहर रोड, गाजियाबाद (उ०प्र०)	केबलों पर कवच चढ़ाने के लिए बिना जस्ता चढ़े टेप IS: 3975-1967
10.	सीएम/एल-4034 5-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	मुकुंद आयरन एंड स्टील वर्क्स लि० ठाणे बेलापुर रोड, जिला ठाणे (महाराष्ट्र)	एलुमिनियम चालकों के लिए एलुमिनिकृत इस्पात की कोर के लिए प्रयुक्त छड़ तार— IS : 5239-1969
11.	सीएम/एल-4035 5-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	आन्ध्र स्टील कारपोरेशन लि०, दनकूनी, हुगली (प० बंगाल)	संरचना इस्पात (मानक किस्म) के रूप में वेल्लन के लिए कार्बन इस्पात की ढलवा बिलेट सिल्लियां— IS : 6914-1973
12.	सीएम/एल-4036 5-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	आन्ध्र स्टील कारपोरेशन लि०, दनकूनी, हुगली (प० बंगाल)	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) के रूप में वेल्लन के लिए कार्बन इस्पात की ढलवा बिलेट सिल्लियां— IS : 6915-1973
13.	सीएम/एल-4037 5-11-1974	1-10-1974	30-9-1975	कोहनूर पेंटस प्रा०लि०, समीप रेलवे स्टेशन, छेहरटा, अमृतसर	सामान्य कार्यों के लिए दुहरे डिब्बों में बंद ऐलुमिनियम रंग-रोगन— IS : 2339-1963

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	सीएम/एल-4038 5-11-1974	1-10-1974	30-9-1975	कोहनूर पेंटस प्रा०लि० समीप रेलवे स्टेशन छेहरटा, कार्यालय : 13, रायबाहदुर रतनचंद रोड ,दि माल, अमृतसर	(1) वांछित रंग देने के लिए शुष्क डिस्टेम्पर IS : 427-1965 (2) वांछित रंग देने का पायसनीय डिस्टेम्पर— SI : 428-1969
15	सीएम/एल-4039 5-11-1974	1-10-1974	30-9-1975	,,	ब्लैक जापान, टाइप 'ए'— IS 341-1973
16	सीएम/एल-4040 5-11-1974	1-10-1974	30-9-1975	,,	बाहरी प्रयोग के लिए संश्लिष्ट इनैमल टाइप 1 (क) निचली परत देने के लिए (ख) वांछित रंग की फिनिश देने के लिए (ग) श्रेणी : ब्रुश से लगाने अथवा स्प्रे करने का— IS . 2932-1964 (2) बाहरी इनैमल, टाइप 2 (क) निचली परत देने के लिए (ख) वांछित रंग की फिनिश देने के लिए ब्रश करना और छिड़कना— IS : 2933-1964 (3) भीतरी इनैमल (क) भीतरी परत देने के लिए (ख) वांछित रंग की फिनिश देने के लिए— IS : 133-1965
17	सीएम/एल-4041 7-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	स्टार स्टील प्रा०लि०, सम्मुख मकरपुरा रेलवे स्टेशन, गाव मनेजा (डाकघर) जिला बड़ोदरा	संरचना इस्पात (मानक किस्म) के रूप में बेल्लन के लिए कार्बन इस्पात के ढलवां इस्पात बिलेट की सिल्लियां— IS : 6914-1973
18	सीएम/एल-4042 7-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	,,	संरचना इस्पात (सधारण किस्म) के रूप मे बेल्लन के लिए कार्बन इस्पात की ढलवा बिलेट सिल्लियां— IS : 6915-1973
19	सीएम/एल-4043 7-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	दि एल्वाय स्टील संयंत्र हिन्दुस्तान स्टील लि० दुर्गापुर, जिला बर्दवान (प० बंगाल)	सतह कठोरकारी इस्पात— IS : 4432-1967
20.	सीएम/एल-4044 7-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	,,	गोलियां, रोलर और बेयरिंग रेसों के लिए कार्बन क्रोमियम इस्पात— IS : 4398-1972
21.	सीएम/एल-4045 7-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	,,	कठोरीकरण और टेम्पर देने के लिए इस्पात— IS : 5517-1969
22	सीएम/एल-4046 7-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	आत्मा स्टील्स प्रा०लि० सी-139 से 141 इंडस्ट्रियल एरिया, संख्या 1 बुलंदशहर रोड गाजियाबाद (उ०प्र०)	ठंडी बेल्लित इस्पात की पत्तियां, ग्रेड 1 (बक्से बंधाई के लिए) रिम बनाने वाली इस्पात— IS · 5872-1968

1	2	3	4	5	6
23.	सीएम/एल-4047 7-11-1974	1-11-1974	31-10-1975	ब्रिपलेस फॉसेट (इंडिया) 48न्यू श्रोखला इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स, नई दिल्ली-20	गोलेनुमा वाल्व, ग्रेड लघुदाब (एचपी) 15 मिमी साइज-- IS : 1703-1968
24.	सीएम/एल-4048 7-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	रेनबो केबल इंडस्ट्रीज 10/11 सुरती जालाराम इस्टेट नागरखेल, हनुमान रोड रखियाल, अहमदाबाद (गुजरात)	(1) खोल वाले और बिना खोल वाले पीवीसी रोधित केबल, 250/440 वोल्ट ग्रेड एलुमिनियम चालकों वाले-- IS : 694 (भाग 1)-1964 (2) खोल वाले और बिना खोल वाले पीवीसी रोधित केबल 250/440 वोल्ट ग्रेड एलुमिनियम चालकों वाले-- IS : 694 (भाग 2)- 964
25.	सीएम/एल-4049 12-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	वेस्टर्न मिनीस्टील लि० लालबहादुर शास्त्री मार्ग, मुलुंद, बम्बई-80	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) के रूप में पुनः बेल्लन के लिए कार्बन इस्पात के बिलेट, ब्लूम और सिल्लिया-- IS · 2831-1964
26.	सीएम/एल-4050 12-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	अपार प्राइवेट लिमिटेड विठ्लवाड़ी, कल्याण (मध्य रेलवे) (महाराष्ट्र)	पीवीसी रोधित बिजली के केबल (भारी ड्यूटी) 1100 वोल्ट तक कार्यकारी वोल्टता के लिए-- IS : 1554 (भाग 1)-1964
27.	सीएम/एल-4051 12-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	,,	पोलीइथाइलीन रोधित और पीवीसी खोल वाले केबल, इकहरी कोर और दुहरे चपटे एलुमिनियम चालकों वाले--- IS . 1596-1970
28.	सीएम/एल-4052 12-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	,,	पूर्ण एलुमिनियम चालक और इस्पात की कोर वाले एलुमिनियम चालक-- IS : 398-1961
29.	सीएम/एल-4053 12-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	,,	पीवीसी रोधित केबल, 250/440 वोल्ट और 650/1100 वोल्ट ग्रेड केबल एलुमिनियम चालको वाले-- IS 694(भाग 2)-1964
30.	सीएम/एल-4054 12-11-1974	1-11-1974	31-10-1975	विक्टर डीजल इंडस्ट्रीज, 40/ए बिल्लैकरनु मराम्बू मैगनीसाइड माइन्स डाकघर, सलेम-5 इनका कार्यालय · 15, दादुभाई कुदैई रोड, सलेम-1 (तमिलनाडु) में है।	निम्न रेटिंग के खड़ी प्रकार के डीजल इंजन : किवा / चक्कर प्रति मिनट / टाइप ----- 3.70(5 हा०पा०) 1500 वीई-1 IS : 1601-1960
31.	सीएम/एल-4055 15-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	सुरेन्द्र ट्यूब्स एंड स्टील्स प्रा० लि० दूसरी पोखरन रोड मजवाड़ा ठाणे इनका कार्यालय 24 बड़ोदरा स्ट्रीट आयरन मार्केट, बम्बई-9 में है ।	संरचना इस्पात (मानक किस्म) के रूप में बेल्लन के लिए कार्बन इस्पात की ढलवां बिलेट-सिल्लियां-- IS : 6914-1973
32.	सीएम/एल-4056 15-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	सुरेन्द्र ट्यूब्स एंड स्टील्स प्रा० लि० दूसरी पोखरन रोड मजवाड़ा, ठाणे इनका कार्यालय : 24 बड़ोदरा स्ट्रीट आयरन मार्केट, बम्बई-9 में है ।	सरचना इस्पात (साधारण किस्म) के रूप मे बेल्लन के लिए कार्बन इस्पात की ढलवा बिलेट-सिल्लिया-- IS : 6915-1973

1	2	3	4	5	6
33.	सीएम/एल-4057 15-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	पंजाब सालपक्ष रिफाइनरी लि० इंडस्ट्रियल इस्टेट, फिरोजपुर शहर	डीडीटी पायसनीय तेज द्रव-- IS : 633-1956
34.	सीएम/एल-4058 18-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	अपार प्राइवेट लिमिटेड विठ्ठलवाडी, कल्याण मध्य रेलवे (महाराष्ट्र)	इस्पात की कोर वाले एलुमिनियम चालकों के लिए इस्पात के तार-- IS : 398-1961
35.	सीएम/एल-4059 18-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	बनसकाठा जिला कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि०, पालनपुर (जिला बनसकांठा) गुजरात राज्य	दूध का पाउडर (खालिस और सेपेरेटा) IS : 1165-1967
36.	सीएम/एल-4060 19-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	पटेल वायर इंडस्ट्रीज प्रो० इंडिया मेटल ट्रेडर्स (पटेल इंटरप्राइजेज प्रा० लि० का विभाग) प्लाट संख्या 102, मरोल कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट लि०, मथुरादास वासनजी रोड, जेबी नगर, डाकघर अंधेरी (पूर्व) बम्बई-59	पूर्ण एलुमिनियम चालक-- IS : 398-1961
37.	सीएम/एल-4061 25-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	यूनाइटेड जनरल इंडस्ट्रीज, ई/4, इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट मोहाली, जिला रोपड़ (पंजाब)	पूर्ण एलुमिनियम चालक और इस्पात की कोर वाले एलुमिनियम चालक-- IS : 398-1961
38.	सीएम/एल-4062 25-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	मेटल इंजिनियरिंग एंड कंपनी 6/3, सीलस गार्डन लेन डाक घर कासीपुर-कलकत्ता-2 इनका कार्यालय : 6/4/1/1/सीलस गार्डन लेन, डाकघर कासीपुर-कलकत्ता-2 में है ।	चाय की पेटियों के लिए धातु के फिटिंग-- IS : 10-1970
39.	सीएम/एल-4063 25-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	न्यू केमि इंडस्ट्रीज प्रा० लि० अशोक नगर क्रास रोड संख्या 1, कांडीवली पूर्व, बम्बई-400067 इनका कार्यालय रोहत चैम्बर्स, तीसरी मंजिल, घोगा स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-400001	एण्डोसल्फेन पायसनीय तेल द्रव-- IS : 4323-1967
40.	सीएम/एल-4064 25-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	जे के सातो ऐग्रीकल्चरल मशीन्स लि० 14वां किलोमीटर कालपी रोड राजमार्ग 25, कानपुर इनका कार्यालय : जे के सीएम कालपी रोड कानपुर-208012 में है ।	निम्न रेटिंग के डीजल इंजन किवा — चक्कर प्रति मिनट — टाइप 4.40 (6 हापा) — 2000 — क्षैतिजनुमा 4 स्ट्रोक एक सिलेंडर जलशीतित IS : 1601-1960
41.	सीएम/एल-4065 25-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	टिन मेटल ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज 70, तालतल्ला लेन कलकत्ता-14	चाय की पेटियों के लिए धातु के फिटिंग-- IS : 10-1970
42.	सीएम/एल-4066 25-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	एक्सोमेट प्लास्टिक्स प्रा० लि० 9, 10, 11 सर्वोदय इंडस्ट्रियल इस्टेट, महाकाली-गुफा रोड अंधेरी पूर्व, बम्बई-400093	पानी भरने के लिए उच्च घनत्व पोलीइथाइलीन पाइप-- (1) 225 मिमी तक बाहरी व्यास और 4 किग्रा ब/सेंटी^{2} रेटिंग वाले-- (2) 160 मिमी तक बाहरी व्यास और 6 किग्रा /सेंटी^{2} रेटिंग वाले; और (3) 63 मिमी बाहरी व्यास और 10 कि० ग्रा ब/सेंटी^{2} रेटिंग वाले-- IS : 4984-1972
43.	सीएम/एल-4067 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	किलपेस्ट प्राइवेट लिमिटेड 7-सी इंडस्ट्रियल एरिया गोविंदपुरा, भोपाल (म०प्र०)	एल्ड्रिन धूलन पाउडर-- IS : 1308-1958

1 2	3	4	5	6
44. सीएम/एल-4068 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	कोर्स (इंडिया) लिमिटेड पहली पोखरन रोड ठाणा (पश्चिम) (महाराष्ट्र)	फाउंटेन पेन की स्याही—IS : 220-1972
45. सीएम/एल-4069 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	उ० प्र० प्लांट प्रोटेक्शन एप्लायन्सेस प्रा० लि०, हरिजन इंडस्ट्रियल इस्टेट, गाजीपुर (उ०प्र०)	रकाबदार पम्प—IS : 1971-1965
46. सीएम/एल-4070 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	,,	राकर स्प्रेग्रर—IS : 3062-1970
47. सीएम/एल-4071 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	,,	पांव चालित स्प्रेग्रर—IS : 3652-1966
48. सीएम/एल-4072 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	दि नेशनल टाइल वर्क्स 14 इंडस्ट्रियल एरिया नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली	जलसह बनाने के लिए समेकित सीमेंट का मसाला—IS : 2645-1964
49. सीएम/एल-4073 28-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	कोहनूर पेंटस प्रा० लि० निकट रेलवे स्टेशन छेहरटा, अमृतसर इनका कार्यालय. 13 रायबहादुर रतनचंद रोड, दि माल, अमृतसर में है।	खिड़कियों के फ्रेमों में प्रयुक्त पुट्टी—IS . 419-1967
50. सीएम/एल-4074 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	अमेरिकन स्प्रिंग एंड प्रेसिंग वर्क्स प्रा० लि० पो० बा० संख्या 7602 मलाड, बम्बई-400064।	हाथ से घूमने वाला धूलन यंत्र—IS : 2477-1970
51. सीएम/एल-4075 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	अपार प्राइवेट लिमिटेड सम्मुख पश्चिम रेलवे 'डी' केबिन, छानी रोड बड़ोदरा-390002 गुजरात	पीवीसी रोधित केबल : (1) इकहरी केबल, खोल वाले और बिना खोल वाले 250/440 वोल्ट और 650/1100 वोल्ट ग्रेड एलुमिनियम चालकों वाले— (2) दुहरी कोर, चपटे, 650/1100 वो० ग्रेड एलुमिनियम चालकों वाले— (3) तीन कोर खोल वाले 650/1100 वोल्ट ग्रेड एलुमिनियम चालकों वाले— IS : 694(भाग 2)-1964
52. सीएम/एल-4076 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	,,	पीवीसी रोधित (भारी ड्यूटी) बिजली के केबल, 1100 वोल्ट तक कार्यकारी वोल्टता के लिए—IS : 1554(भाग 1)-1964
53. सीएम/एल-4077 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	,,	पोलीइथाइलीन रोधित और पीवीसी खोल वाले केबल 250/440 वोल्ट ग्रेड ऐलुमिनियम चालकों वाले—IS : 1596-1970
54. सीएम/एल-4078 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	अपार प्राइवेट लिमिटेड सम्मुख पश्चिम रेलवे 'डी' केबिन, छानी रोड बड़ोदरा-390002 गुजरात	ताप सम्य रोधित ऋतुसह केबल (1) पीवीसी रोधित और पीवीसी खोल वाले, 250/440 वोल्ट और 650/1100 वोल्ट ग्रेड एलुमिनियम चालकों वाले— IS : 3035 (भाग 1)-1965 और (2) पोलीइथाइलीन रोधित और पोलीइथाइलीन खोल वाले, 250/440 वोल्ट ग्रेड एलुमिनियम चालकों वाले— IS : 3035(भाग 2)-1967
55. सीएम/एल-4079 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	श्री राम इंजीनियरिंग एंड मैन्यु० इंडस्ट्रीज प्रताप नगर (फैक्टरी एरिया) बड़ोदरा-4	द्रवित पेट्रोलियम गैस के घरेलू चूल्हे—IS : 4246-1972

[सी० एम० डी०/13 . 11]

ए० वी० राव, उप-महानिदेशक

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 28th May, 1976

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

S. O. 2022.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that fiftyfive licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been granted during the month of November 1974 authorizing the licensees to use the Standard Marks:

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. (CM/L-)	Period of Validity From	To	Name and Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licences and the Relevant IS : Designation
1	2	3	4	5	6
1.	CM/L-4025 1-11-1974	1-11-1974	31-10-1975	Pochampad Pesticides Pvt. Ltd. Industrial Estate, Sircilla Road, Karimnagar (A.P.)	DDT water dispersible powder concentrate— IS : 565-1961
2.	CM/L-4026 5-11-1974	1-11-1974	31-10-1975	Bangalore Wire Rod Mill, (A unit of Transport Corporation of India Pvt. Ltd.) Mahadevapura P.O. White field Road, Bangalore-560048	Cold twisted deformed steel bars for concrete reinforcement— IS : 1786-1966
3.	CM/L-4027 5-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	Mukand Iron and Steel Works Ltd., Thana Belapur Road, Kalwe, Thana (Maharashtra)	Carbon steel billets for re-rolling into structural steel (standard quality)— IS : 2830-1964
4.	CM/L-4028 5-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	Mukand Iron and Steel Works Ltd., Thana Belapur Road, Kalwe, Thana (Maharashtra)	Carbon steel billets for re-rolling into structural steel (ordinary quality)— IS : 2831-1969
5.	CM/L-4029 5-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	Chandra's Chemical Enterprises (P) Ltd., Budge Budge Road, Rampur, 24 Parganas having their office at P-24, C.I.T. Road, Calcutta-700014	Rubber based adhesive for footwear industry— IS : 4663-1968
6.	CM/L-4030 5-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	Chandra's Chemical Enterprises (P) Ltd., 233/1 Gopal Lal Tagore Road, Calcutta-700036 having their office at P-35 C.I.T. Road, Calcutta-700014	Rubber based adhesive for footwear industry— IS : 4663-1968
7.	CM/L-4031 5-11-1974	1-11-1974	31-10-1975	Pochampad Pesticides Pvt. Ltd., Industrial Estate, Siricilla Road, Karimnagar (A.P.)	BHC water dispersible powder concentrates— IS : 562-1962
8.	CM/L-4032 5-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	The Supreme Industries Ltd., 633 Old Laxmi Mills Compound, Wadala, Bombay-400031	Plastic water-closet seats and covers— IS : 2548-1967
9.	CM/L-4033 5-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	Atma Steels Pvt. Ltd., C-139 to 141 Industrial Area No. 1, Bulandshahr Road, Ghaziabad (U.P.)	Mild steel ungalvanized tapes for armouring cable— IS : 3975-1967
10.	CM/L-4034 5-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	Mukand Iron & Steel Works Ltd., Thana-Belapur Road, Distt Thana (Maharashtra)	Wire-rod for the manufacture of aluminized steel core wire for aluminium conductors— IS : 5239-1969
11.	CM/L-4035 5-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	Andhra Steel Corporation Ltd., Dankuni, Hooghly (W. Bengal)	Carbon steel cast billet ingots for rolling into structural steel (standard quality)— IS : 6914-1973
12.	CM/L-4036 5-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	-do-	Carbon steel cast billet ingots for rolling into structural steel (ordinary quality)— IS : 6915-1973
13.	CM/L-4037 5-11-1974	1-10-1974	30-9-1975	Kohinoor Paints Pvt. Ltd., Near Railway Station, Chhoharta, Amritsar	Aluminium paint for general purposes in dual containers— IS : 2339-1963

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	CM/L-4038 5-11-1974	1-10-1974	30-9-1975	Kohinoor Paints Pvt. Ltd., Near Railway Station, Chhcharta Amritsar having their office at 13 R.B. Rattan Chand Road, The Mall, Amritsar	(i) Distemper, dry, colour as required— IS : 427-1965 (ii) Distemper, oil emulsion, colour as required— IS : 428-1969
15.	CM/L-4039 5-11-1974	1-10-1974	30-9-1975	-do-	Black japan, Type A— IS : 341-1973
16.	CM/L-4040 5-11-1974	1-10-1974	30-9-1975	-do-	(1) Enamel, synthetic, exterior type 1 (a) Undercoating (b) Finishing colour as required class: brushing and spraying— IS : 2932-1964 (2) Enamel, exterior type 2 (a) Under coating (b) Finishing colour as required class: brushing and spraying— IS : 2933-1964 (3) Enamel, interior (a) Under coating (b) Finishing colour as required— IS : 133-1965
17.	CM/L-4041 7-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	Star Steel Pvt. Ltd., Opposite Makarpura Rly Station, Village Maneja (P.O.), Distt Baroda	Carbon steel cast billet ingots for rolling into structural steel (standard quality)— IS : 6914-1973
18.	CM/L-4042 7-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	-do-	Carbon steel cast billet ingots for rolling into structural steel (ordinary quality)— IS : 6915-1973
19.	CM/L-4043 7-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	The Alloy Steel Plant, Hindustan Steel Ltd., Durgapur, Distt. Burdwan (West Bengal)	Case hardening steels— IS : 4432-1967
20.	CM/L-4044 7-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	-do-	Carbon-chromium, steel for the manufacture of balls, rollers and bearing races— IS : 4398-1972
21.	CM/L-4045 7-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	-do-	Steels for hardening and tempering— IS : 5517-1969
22.	CM/L-4046 7-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	Atma Steels Pvt. Ltd., C-139 to 141 Industrial Area No. 1, Bulandshahr Road, Ghaziabad (U.P.)	Cold rolled steel strips, grade 1 (box strapprings)—rimming quality steel— IS : 5872-1973
23.	CM/L-4047 7-11-1974	1-11-1974	31-10-1975	Dripless Faucets (India), 48 New Okhla Industrial Complex New Delhi-20	Ball valves grade LP, HP size 15 mm— IS : 1703-1968
24.	CM/L-4048 7-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	Rainbow Cable Industries, 10/11 Surti Jalaram Estate, Nagar Vel Hanuman Road, Rakhial, Ahmedabad (Gujarat)	(i) PVC insulated cables, unsheathed, 250/440 volts grade with copper conductors and— IS : 694 (Part I)-1964 (ii) PVC insulated cables, sheathed and unsheathed, 250/440 volts grade with aluminium conductors— IS : 694 (Part II)-1964
25.	CM/L-4049 12-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	Western Ministil Ltd, L.B. Shastri Marg, Mulund, Bombay-80	Carbon steel billets, blooms and slabs for re-rolling structural steel (ordinary quality)— IS : 2831-1964
26	CM/L-4050 12-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	APAR Pvt. Ltd, Vithalwadi, Kalyan (C. Rly), Maharashtra	PVC insulated (heavy duty) electric cables for working voltages upto and including 1100 volts— IS : 1554 (Part I)-1964
27.	CM/L-4051 12-11-1964	16-11-1974	15-11-1975	-do-	Polyethylene insulated and PVC sheathed cables, single core and twin flat with aluminium conductors— IS : 1596-1970
28.	CM/L-4052 12-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	-do-	All aluminium conductors and ACSR conductors— IS : 398-1961
29.	CM/L-4053 12-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	-do-	PVC insulated cables, 250/440 volts and 650/1100 volts grade with aluminium conductor only— IS : 694 (Part II)-1964

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	CM/L-4054 12-11-1974	1-11-1974	31-10-1975	Victor Diesel Industries, 40/A Vellai Karattu Marambu, Magnisite Mines Post, Salem-5 having their office at 15, Dadubhai Kuttai Road, Salem-1 (Tamil Nadu)	Vertical diesel engines of the following ratings:— KW RPM Type 3.70 1500 VE-I (5 HP) IS : 1601-1960
31.	CM/L-4055 15-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	Surrendra Tubes and Steels P. Ltd., 2nd Pokhran Road, Majwada, Thana having their office at 24 Baroda Street, Iron Market, Bombay-9	Carbon steel cast billet ingots for rolling into structural steel (standard quality)— IS : 6914-1973
32.	CM/L-4056 15-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	-do-	Carbon steel cast billet ingots for rolling into structural steel (ordinary quality)— IS : 6915-1973
33.	CM/L-4057 15-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	Punjab Salpetre Refinery Ltd., Industrial Estate, Firozepur City	DDT emulsifiable concentrates— IS : 633-1956
34.	CM/L-4058 18-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	APAR Private Ltd., Vithalwadi, Kalyan (C. Rly.), Maharashtra	Steel wire for the core of steel-cored aluminium conductors— IS : 398-1961
35.	CM/L-4059 18-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	Banaskantha Distt. Co-op. Milk Producers Union Limited, Palanpur (Distt. Banaskantha) Gujarat State	Whole milk powder, skim milk powder— IS : 1165-1967
36.	CM/L-4060 19-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	Patel Wire Industries, Prop: India Metal Traders, (Division of Patel Enterprises Pvt. Ltd.), Plot No. 102, Marol Co-operative Industrial Estate Ltd., Mathuradas Vasanji Road, J.B. Nagar, Post Andheri (East), Bombay-59	All aluminium conducotrs— IS : 398-1961
37.	CM/L-4061 25-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	United General Industries, E/4 Industrial Focal Point, Mohali, Distt. Ropar (Punjab)	AAC & ACSR conductor— IS : 398-1961
38.	CM/L-4062 25-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	Metal Engineering & Co., 6/3 Seal's Garden Lane, P.O. Cossipore, Calcutta-2, having their office at 6/4/1/1/1, Seal's Garden Lane, P.O. Cossipore, Calcutta-2	Tea-chest metal fittings— IS : 10-1970
39.	CM/L-4063 25-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	New Chemi Industries Pvt. Ltd., Ashok Nagar Cross Road No. 1, Kandivlee East, Bombay-400067 having their office at Rohit Chambers, 2nd Floor, Ghoga Street, Fort Bombay-400001	Endosulfan EC— IS : 4323-1967
40.	CM/L-4064 25-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	J.K. Satoh Agricultural Machines Ltd., 14th Km/Stone, Kalpi Road, (N.H. No. 25), Kanpur having their office at J.K.C.M Premises, Kalpi Road, Kanpur-208012	Diesel engines of the following ratings:— KW RPM Type 4.40 2000 Horizontal 4-stroke single ylender water-cooled (6 HP) IS : 1601-1960
41.	CM/L-4065 25-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	Tin Metal Trade & Industries, 70, Taltala Lane, Calcutta-14	Tea-chest metal fittings— IS : 10-1970
42.	CM/L-4066 25-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	Exomot Plastics Pvt. Ltd., 9, 10, 11, Sarvodaya Industrial Estate, Mahakali Caves Road, Andheri East, Bombay-400093	High density polyethylene pipes for potable water supplies:— (i) Upto and including 225 mm outside dia and of rating 4 Kgf/cm^2 (ii) Upto and including 160 mm outside dia and of rating 6 Kgf/cm^2 ; and (iii) Upto and including 63 mm outside and of rating 10 Kgf/cm^2 IS : 4984-1972
43.	CM/L-4067 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	Kilpest Private Ltd., 7-C, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P.)	Aldrin dusting powders— IS : 1308-1958
44.	CM/L-4068 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	Kores (India) Ltd., 1st Pokharan Road, Thana (West) (Maharashtra)	Fountain pen ink— IS : 220-1972

1	2	3	4	5	6
45.	CM/L-4069 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	U.P. Plant Protection Appliances Pvt. Ltd., Harijan Industrial Estate, Ghazipur (U.P.)	Stirrup pump— IS : 1971-1965
46.	CM/L-4070 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	-do-	Rocker sprayer— IS : 3062-1970
47.	CM/L-4071 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	-do-	Foot sprayer— IS : 3652-1966
48.	CM/L-4072 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	The National Tile Works, 14 Industrial Area, Najafgarh Road, New Delhi	Integral cement waterproofing compounds — IS : 2645-1964
49.	CM/L-4073 28-11-1974	16-11-1974	15-11-1975	Kohinoor Paints Private Ltd., Near Railway Station, Chheharta, Amritsar having their office at 13 R. B. Rattan Chand Road, The Mall, Amritsar	Putty for use on window frames— IS : 419-1967
50.	CM/L-4074 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	American Spring and Pressing Works Pvt.Ltd., P.O. Box No. 7602, Malad, Bombay-400064	Hand rotary duster— IS : 2477-1970
51.	CM/L-4075 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	APAR Private Limited, Opposite W. Rly, 'D' Cabin, Chhani Road, Baroda-390002 (Gujarat)	PVC insulated cables: — (i) Single core, sheathed and unsheathed, 250/440 volts and 650/1100 volts with aluminium conductor; and (ii) Twin core, flat 650/1100 volts grade with aluminium conductor; and (iii) Three core, sheathed, 650/1100 volts grade with aluminium conductor— IS : 694 (Part II)-1964
52.	CM/L-4076 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	-do-	PVC insulated (heavy duty) electric cables for working voltages upto and including 1100 volts— IS : 1554 (Part I)-1964
53.	CM/L-4077 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	-do-	Polyethylene insulated and PVC sheathed cables, 250/440 volts grade with aluminium conductor— IS : 1596-1970
54.	CM/L-4078 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	-do-	Thermoplastic insulated weather proof cables: (1) PVC insulated and PVC sheathed, 250/440 volts and 650/1100 volts grade with aluminium conductor; and IS : 3035 (Part I)-1965 (2) Polyethylene insulated and polyethylene sheathed, 250/440 volts grade with aluminium conductor— IS : 3035 (Part II)-1967
55.	CM/L-4079 28-11-1974	1-12-1974	30-11-1975	Shri Ram Engineering & Manufacturing Industries, Pratap Nagar (Factory Area), Baroda-4	Domestic gas stoves for use with liquified petroleum gases — IS : 4246-1972

[No. CMD/13:11]

A.B. RAO, Deputy Director General

आदेश

नई दिल्ली, 19 मई, 1976

का० आ० 2023.—आई डी आर ए/6/4/76 केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद (प्रक्रिया संबंधी) नियम, 1952 के नियम 3 और 8 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री एस० के० सोमैया, अध्यक्ष, शुगर टैक्नोलोजिस्ट्स एसोसिएशन आफ इण्डिया, मुम्बई, (ii) श्री माधव प्रसाद, अध्यक्ष इन्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, लखनऊ, और (iii) आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, चण्डीगढ़ को 12 जून, 1976 तक की अवधि के लिये जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, शुगर उद्योग के लिए विकास परिषद के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 1687/आई डी आर ए-6/4/74, तारीख 13 जुन, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, पैरा 1 में, क्रम सं० 13, 15 और 28 तथा उनसे सबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :—

"13 श्री एस० के० सोमैया, अध्यक्ष, शुगर टैक्नालोजिस्ट्स एसोसिएशन आफ इन्डिया, मार्फत गोदावरी शुगर मिल्स लिमिटेड, फजलभाई बिल्डिंग, 15, 17 महात्मा गांधी मार्ग, मुम्बई-100001।

15 श्री माधव प्रसाद, अध्यक्ष, इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, पीलीभीत हाऊस, 6 शाह नजफ रोड, लखनऊ।

28 आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, चण्डीगढ़।"

[सं० 8(3)/76-सी० डी० एन०]
प्रेम नारायण, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th May, 1976

S.O. 2023.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 3 and 8 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints (i) Shri S. K. Somaiya, President Sugar Technologists' Association of India, Bombay (ii) Shri Madhava Prasad, President of Indian Sugar Mills Association, Lucknow and (iii) The Commissioner and Secretary to the Government of Haryana, Agriculture Department Chandigarh, as members of the Development Council for Sugar Industry for the period upto and inclusive of the 12th June, 1976 and makes the following amendments in the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 1687|IDRA|6|4|74 dated the 13th June, 1974, namely :—

In the said Order, in paragraph 1, for serial numbers 13, 15 and 28 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted respectively, namely :—

"13 Shri S. K. Somaiya, President Sugar Technologists' Association of India C/o Godavari Sugar Mills Limited, Fazalbhoy Building, 45 47 Mahatma Gandhi Marg Bombay-400001.

15 Shri Madhava Prasad, President, Indian Sugar Mills Association, Pilibhit House, 6 Shah Nazaf Road, Lucknow.

28 The Commissioner and Secretary to the Government of Haryana, Agriculture Department, Chandigarh."

[No. 8(3)/76-CDN]
PREM NARAIN, Under Secy

नौवाहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 29 मई, 1976

का०आ० 2024.—मुम्बई अरजिस्ट्रीकृत डॉक निकासी और अग्रेषण कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1973 में और संशोधन करने के लिए कतिपय स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मन्त्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का०आ० 569 तारीख 14 फरवरी, 1975 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 22 फरवरी, 1975 के पृष्ठ 716 से 717 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

और उक्त राजपत्र 28 फरवरी, 1975 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था,

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुम्बई डाक निकासी और अग्रेषण कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1973 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् —

1 इस स्कीम का नाम मुम्बई अरजिस्ट्रीकृत डॉक निकासी और अग्रेषण कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन, स्कीम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2 मुम्बई अरजिस्ट्रीकृत डॉक निकासी और अग्रेषण कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1973 में, —

(i) खण्ड 19 के उपखण्ड (i) में "और साथ ही साथ उसके पास ऐसी फीस जमा करेगा जो इस निमित्त विहित की जाये" शब्दों का लोप किया जायेगा

(ii) खण्ड 37 के उपखण्ड (1) में—

(क) मद (क) में "और उपाध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध और अपील नहीं होगी, शब्दों के स्थान पर "जो उसका विनिश्चय करेगा" शब्द रखे जायेंगे।

(ख) मद (ख) में, "खण्ड 31(2)(क) के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध अपील के सम्बन्ध में अध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी" शब्दों का लोप किया जायेगा ;

(ग) उपखण्ड (2) में "और केन्द्रीय सरकार के आदेश के विरुद्ध और अपील नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर "और केन्द्रीय सरकार अपील का विनिश्चय करेगी जिसे कि वह ठीक समझती है" शब्द रखे जायेंगे,

(iii) खण्ड 38 के उपखण्ड (2) में, —

(क) मद (1) की उपमद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् —

"परन्तु नियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना उसे उपमद (ख) के अधीन इस प्रकार हटाया नहीं जायेगा।"

(ख) मद (ii) की उपमद (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् —

"परन्तु कर्मकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना उपमद (घ) के अधीन ऐसी समाप्ति या उपमद (ङ) के अधीन पदच्युति नहीं की जायेगी।

[एल-11013/3/74-पी एण्ड डी) (XIII)]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 29th May, 1976

S.O. 2024.—Whereas certain draft scheme further to amend the Bombay Unregistered Dock Clearing and Forwarding Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1973 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at pages 716-717 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 22nd February, 1975 under the *notification of the Government of India in the* Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 569, dated the 14th February, 1975 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 28th February, 1975;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Bombay Unregistered Dock Clearing and Forwarding Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1973, namely :—

1. This Scheme may be called the Bombay Unregistered Dock Clearing and Forwarding Workers (Regulation of Employment) Amendment, Scheme, 1976;

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Bombay Unregistered Dock Clearing and Forwarding Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1973.—

(i) in sub-clause (1) of clause 19, the words "and simultaneously deposit with him such fees as may be prescribed in this behalf" shall be omitted;

(ii) in sub-clause (1) of clause 37.—

(a) in item (a), for the words "and there shall be no further appeal against the order of the Deputy Chairman" the words "who shall decide the same" shall be substituted;

(b) in item (b) the sentence "There shall be no further appeal against the order of the Chairman in respect of an appeal against an order under clause 34(2)(a)," shall be omitted;

(c) in sub-clause (2), for the words "and there shall be no further appeal against the order of the Central Government", the words "and the Central Government shall make such order on the appeal as it thinks fit" shall be substituted;

(iii) in sub-clause (1) of clause 38.—

(a) after sub-item (b) of item (i), the following proviso shall be added namely :—

"Provided that no such removal under sub-item (b) shall be made except after giving the employer a reasonable opportunity of being heard.";

(b) after sub-item (c) of item (ii) the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that no such termination under sub-item (d) or dismissal under sub-item (e) shall be made except after giving the worker a reasonable opportunity of being heard.".

[No. H-11013/3/74-P&D/I D(XIII)]

नई दिल्ली, 31 मई, 1976

का० आ० 2025 केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त उप-धारा में अपेक्षित है, प्रस्तावित स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जायेगा।

उपर विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

स्कीम और प्रारूप

1. इस स्कीम का नाम कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1976 है।

2. कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 के खण्ड 3 के उपखण्ड (च) में, "पाल पर नहीं" शब्दों के पश्चात् "और उससे लैश पोत से विसर्जित लैश बजरा भी सम्मिलित है" शब्द जोड़े जायेंगे।

[सं० एल डी एक्स/5/76]

वी० शंकरालिंगम, अवर सचिव

New Delhi, the 31st May, 1976

S.O. 2025.—The following draft of a scheme further to amend the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEMES

1. This scheme may be called the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1976.

2. In sub-clause (q) of clause 3 of the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959, after the words "for its propulsion" the words "and includes a lash barge discharged from a lash ship" shall be added.

[No. LDX/5/76]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 28 मई, 1976

आयकर

का०आ० 2026—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के खण्ड 80-ध की उपधारा (2) के खण्ड (i) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मानसिक रोग शिशु कल्याण केन्द्र ओखला, नई दिल्ली का नाम अब बदल कर "विकलांग रक्षण संस्थान्" अधिसूचित करती है।

[संख्या एम 13020/1/76-एम० सी०]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Deptt. of Health)

New Delhi, the 28th May, 1976

(Income Tax)

S.O. 2026.—In pursuance of Clause (i) of sub-section (2) of section 80-D of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the Okhla Centre for the Welfare of mentally-retarded Children, New Delhi, as an institution for the care of handicapped persons.

[No. S. 13020/1/76-MC]

नई दिल्ली, 31 मई, 1976

का० आ 2027.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और भारतीय लेखा परीक्षा विभाग में काम कर रहे व्यक्तियों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1944 में आगे और संशोधन करने के लिए, जो संविधान के अनुच्छेद 313 और 372 और कानून अनुपालन आदेश, 1950 के पैराग्राफ 19 के अन्तर्गत अभी तक प्रयुक्त है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) संशोधन नियमावली, 1976 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1944 में नियम 2 के उपनियम (क) के खंड (ख) के—

(1) उपखंड (i) में अक्षर और अंक '500 रुपए' के स्थान पर अक्षर और अंक '750 रुपए' रखे जाए;

(2) उपखंड (ii) मे अक्षर और अंक '500 रुपए' और '150 रुपए' के स्थान पर क्रमशः अक्षर और अंक '750 रुपए' और '330 रुपए' रखे जाए;

(3) उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के संबंध मे सहायक सर्जन ग्रेड-II (मेडिकल लाइसेंसिएट) अथवा जहां वह उपलब्ध न हो तो सहायक सर्जन ग्रेड-I (चिकित्सा स्नातकोत्तर) जो उसी प्रकार नियुक्त किया गया हो ।"

[संख्या एस 14011/8/75-एम०सी०]

New Delhi, the 31st May, 1976

S.O. 2027.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and, in relation to persons serving in the Indian Audit Department, also by clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules further to amend the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 as continued in force under articles 313 and 372 of the Constitution and paragraph 19 of the Adaptation of Laws Order 1950, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Services (Medical Attendance) Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944, in rule 2, in sub-rule (a), in clause (B3.

(1) in sub-clause (i), for the letters and figures "Rs. 500", the letters and figures "Rs. 750" shall be substituted;

(2) in sub-clause (ii), for the letters and figures "Rs. 500" and "Rs. 150", the letters and figures "Rs. 750" and "Rs. 330" shall be respectively substituted;

(3) for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(iii) in respect of any other Government servant, an Assistant Surgeon Grade-II (Medical Licentiate) or where he is not available, an Assistant Surgeon Grade-I (Medical Graduate), similarly appointed.".

[No. S. 14011/8/75-MC]

का०आ० 2028—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा और भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, संविधान के अनुच्छेद 313 और 372 तथा विधियों का अनुकूलन आदेश, 1950 के पैरा 19 के अधीन यथा प्रवृत्त केन्द्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) द्वितीय संशोधन नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 के नियम 2 में,—

(i) खंड घ के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्.—

'(घ) "सरकारी अस्पताल" में सरकारी सेवकों के किसी वर्ग या वर्गों और उनके परिवारों के सदस्यों की चिकित्सीय परिचर्या और चिकित्सा के लिए सरकार के किसी विभाग द्वारा स्थापित और चलाई जाने वाली विभागीय डिस्पेंसरी चाहे वह पूर्णकालिक हो या अर्धकालिक, किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा घोषित अस्पताल, और अन्य ऐसे अस्पताल भी हैं जिनके साथ सरकारी सेवकों की चिकित्सा के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है,'

खण्ड ङ के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा अर्थात् :

'(ङ) "चिकित्सीय परिचर्या" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(क) खंड क के उपखंड (क) के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक के संबंध में, उसके विचारविमर्श कक्ष या सरकारी अस्पताल जिससे वह संलग्न है या सरकारी सेवक के निवास स्थान पर परिचर्या, जिसमे रोग निदान के प्रयोजनार्थ परीक्षण की विकृति जन्य जीवाणिक, एक्सीकरण चिकित्सात्मक या अन्य ऐसी पद्धतियां सम्मिलित हैं जो सरकारी अस्पताल या परामर्शी कक्ष या किसी अन्य निकटतम अस्पताल मे उपलब्ध है और प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा आवश्यक समझी गई हो और किसी विशेषज्ञ या जिले में ठहरे हुए सरकारी सेवा के अन्य चिकित्सीय अधिकारी के साथ ऐसा परामर्श, जिसे प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक ऐसे विस्तार तक और ऐसी रीति से जो विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के साथ परामर्श करके अवधारित करे, आवश्यक प्रमाणित करें; और

(ख) किसी अन्य प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के संबंध में जो खंड (क) के उपखंड (क) के अधीन नियुक्त नही किया गया है,—

(i) खंड (क) के उपखंड (ख) के पैरा (1) मे विनिर्दिष्ट सरकारी सेवक के संबंध में, अस्पताल में या सरकारी सेवा के निवास स्थान पर उपचार जिसमें रोग निदान के प्रयोजनार्थ परीक्षा की विकृतिजन्य जीवाणिक, एक्सीकरण चिकित्सात्मक या अन्य ऐसी पद्धतियां सम्मिलित हैं जो जिले मे किसी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं और प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा आवश्यक समझी गई हैं और किसी विशेषज्ञ या जिले मे ठहरे हुए सरकारी सेवा के अन्य चिकित्सा अधिकारी के साथ ऐसा परामर्श जिसे प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक ऐसे विस्तार तक और ऐसी रीति से जो विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के साथ परामर्श करके अवधारित करे, आवश्यक प्रमाणित करे ।

(ii) किसी अन्य सरकारी सेवक, जिसमें केन्द्रीय सेवा वर्ग 4 का कोई सदस्य भी सम्मिलित है, के संबंध में किसी अस्पताल में या ऐसी बीमारी

की दशा में जो रोगी को अपने स्थान में परिरुद्ध रहने को विवश करती है सरकारी सेवक के निवास स्थान पर परिचर्या, जिसमें रोग निदान के प्रयोजनार्थ परीक्षा की ऐसी पद्धतियां सम्मिलित हैं जो निकटतम सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं और विशेषज्ञ या जिले में ठहरे हुए सरकार के अन्य चिकित्सा अधिकारी के साथ ऐसा परामर्श जिसे प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक ऐसे विस्तार तक और ऐसी रीति से जो विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के साथ परामर्श करके अवधारित करे, आवश्यक प्रमाणित करता है ।"

[सं० एस० 14011/10/74 एम०सी०]

S.O. 2028.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309, and in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department also by clause (5) of article 148, of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, hereby makes the following rules further to amend the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944, as continued in force under articles 313 and 372 of the Constitution and paragraph 19 of the Adaptation of Law Order, 1950, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Services (Medical Attendance) Second Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Services (Medical Attendance) Rules 1944, in rule 2,—

(i) for clause (d), the following clause shall be substituted namely :—

'(d) "Government Hospital" includes a departmental dispensary whether full-time or part-time established and run by a Department of the Government for the medical attendance and treatment of a class or classes of Government servants and members of their families, a hospital maintained by a local authority and any other hospital with which arrangements have been made by the Government for the treatment of Government servants;'

(ii) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely—

'(e) "Medical Attendannce" means :—

(A) in relation to an Authorised Medical Attendant appointed under sub-clause (A) of clause (a), attendance in his consulting room or Government hospital to which he is attached or at the residence of the Government servant, including such pathological, bacteriological, radiological or other methods of examination for the purpose of diagnosis as are available in the Government hospital or consulting room or in any other nearest Government hospital and are considered necessary by the Authorised Medical Attendant and such consultation with a specialist or other Medical Officer in service of the Government stationed in the district, as the Authorised Medical Attendant certifies to be necessary, to such extent and in such manner as the specialist or the Medical Officer may, in consultation with the Authorised Medical Attendant determine; and

(B) in relation to any other Authorised Medical Attendant not appointment under sub-clause (A) of clause (a),—

(i) in respect of a Government servant specified in paragraph (i) of sub-clause (B) of clause (a) attendance in hospital or at the residence of the Government servant including such pathological, bacteriological, radiological or other methods of examination for the purpose of diagnosis as are available in any Government hospital in the district and are considered necessary by the Authorised Medical Attendant and such consultation with a specialist or other Medical Officer in the Service of the Government stationed in the district as the Authorised Medical Attendant Certifies to be necessary, to such extent and in such manner as the specialist or the Medical Officer may, in consultation with the Authorised Medical Attendant, determine.

(ii) **In respect of any other Government servant** including a member of the Central Service, class IV, attendance at a hospital or in the case of illness which compels the patient to be confined to his residence, at the residence of the Government servant, including such methods of examination for purposes of diagnosis as are available [in the **nearest Government hospital** and such consultation with a specialist or other Medical Officer of the Government stationed in the **district** as the Authorised Medical Attendant certifies to be necessary, to such extent and in such manner as the specialist or Medical Officer may, in consultation with the Authorised Medical Attendant, determine".

[No. S. 14011/10/74-MC]

नई दिल्ली, 1 जून, 1976

का०आ० 2029.—यत. दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 3 के खंड (घ) के साथ पठित धारा 3 के खंड (घ) के अनुसरण में केरल विश्वविद्यालय ने मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम के प्रधानाचार्य डा० के० माधवन कुट्टी को डा० पी० पी० जैकोब के स्थान पर जो उक्त अधिनियम की धारा (6) की उपधारा (3) के अन्तर्गत उक्त परिषद् के सदस्य नहीं रहे हैं, 26 मार्च, 1976 से भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया है ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की 17 अक्तूबर, 1962 की अधिसूचना संख्या 3-2-62-चि०II में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है ; नामत :--

उक्त अधिनियम में 'दन्त चिकित्सा अधिनियम की धारा 3 के खंड (घ) के अधीन निर्वाचित' शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 9 के सामने वर्तमान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामत --

"डा० के० माधवन कुट्टी
मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम"

[सं० वी० 12013/1/76-एम०पी०टी०(1)]
एम० श्रीनिवास, उप-सचिव

New Delhi, the 1st June, 1976

S.O. 2029.—Whereas the Kerala University has, in pursuance of clause (d) of section 3, read with sub-section (4) of section 6, of the Dentist Act, 1948 (16 of 1948), elected Dr. K. Madhavan Kutty, Principal, Medical College, Trivandrum, to be a member of the Dental Council of India, with effect from the 26th March, 1976 vice Dr. P. P. Jacob, who ceased to be a member of the said Council under sub-section (3) of section 6 of the said Act;

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning No. 3-2/62-MII, dated the 17 October 1962, namely :

In the said notification, under the heading "Elected under clause (d) of section 3 of the Dentist Act" against Serial

No. 9 for the existing entry, the following entry shall be substituted namely :—

"Dr. K. Madhavan Kutty,
Principal,
Medical College,
Trivandrum."

[No. V. 12013/1/76-3MPT (i)]
S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1976

का०आ० 2030.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उप-धारा 2 द्वारा मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं इसके द्वारा पुनर्वास विभाग, नई दिल्ली में उप-मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त श्री दीना नाथ असीजा को निम्नलिखित शक्तियां सौंपती हूं —

(i) उक्त अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत अपीलों को सुनने की शक्ति, तथा

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत पुनरीक्षण के मामलों को सुनने की शक्ति ।

[संख्या ए०36016(1)/76-प्रशासन/सैटलमेंट/विग]

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 2nd April, 1976

S.O. 2030.—In exercise of the powers conferred on the chief Settlement Commissioner by Sub-section 2 of 34 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabalitation) Act, 1954 (Act 44 of 1954), she hereby delegates to Shri D. N. Asija, Deputy Chief Settlement Commisioner, Department of Rehabiliation, New Delhi, the following powers :—

(i) Power to hear appeals under Section 23 of the said Act; and

(ii) Power to hear revisions under Section 24 of the said Act.

[No. A. 36016 (1)/76-Admn/SW]

का०आ० 2031.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वास विभाग में अवर सचिव के रूप में कार्य कर रहे श्री दीना नाथ असीजा को अपने कार्यों के अलावा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत या इसके द्वारा उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गये कार्यों को निष्पादित करने के लिये उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है ।

[संख्या ए०36016(1)/76-प्रशासन/सैटलमेंट विग]

S.O. 2031.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri D. N. Asija, under Secretary in the Department of Rehabilitation as Deputy Chief Settlement Commissioner for the purpose of perfoming in addition to his own duties as under Secretary, Department of Rehabalitation, the functions assigned to a Deputy Chief Settlement Commissioner by or under the said Act.

[No. A. 36016 (1)/76-Admn/SW]

का० आ० 2032 —निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वास विभाग में अवर सचिव के रूप में कार्य कर रहे श्री दीना नाथ असीजा को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत या इसके द्वारा उप-महाअभिरक्षक को सौंपे गये कार्यों को निष्पादित करने के लिये उप-महाअभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है ।

[संख्या ए० 36016(1)/76-प्रशासन/सैटलमेंट विग]

S.O. 2032.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri D. N. Asija, under Secretary in the Department of Rehabilitation as Deputy Custodian General for the purose of discharging the duties imposed on such Deputy Custodian General by or under the said Act.

[No. A. 36016 (1)/76-Admn/SW]

का० आ० 2033 —विस्थापित व्यक्ति (दावा) पूरक अधिनियम 1954 (1954 का xii) की धारा 10 की उपधारा 2 द्वारा मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं इसके द्वारा पुनर्वास विभाग में अवर सचिव के रूप में कार्य कर रहे श्री दीना नाथ असीजा को मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त की निम्नलिखित शक्तियां सौंपती हूं —

1. बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा निर्णीत किसी मामले के संबंध में रिकार्ड मंगाने तथा उसके संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 के उपखंड 3 के अन्तर्गत आदेश जारी करने की शक्तियां ।

2. विस्थापित व्यक्ति (दावा) अधिनियम 1950 (1950 का 44) के अन्तर्गत निर्णीत मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत पुनरीक्षण की शक्तियां ।

[संख्या ए०36016(1)/75 प्रशासन (राजपत्रित) सैटलमेंट विग]
कुसुम प्रसाद, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त

S.O. 2033.—In exercise of the powers conferred on the Chief Settlement Commissioner by sub-section 2 of section 10 of the Displaced Persons (Claims) Supplementary Act, 1954 (XII of 1954), she hereby delegates to Shri D. N. Asija, Under Secretary in the Department of Rehabalitation, the following powers of the Chief Settlement Commissioner :—

1. Powers to call for the record of any case decided by the Settlement Officer and pass orders in the case under proviso to sub-section (3) of Section 4 of the said Act.

2. Special powers of revision under Section 5 of the said Act in respect of cases decided upon the Displaced persons (Claims) Act, 1950 (44 of 1950).

[No A. 36016 (1)/75, Ad (GZ/SW.]
KUSUM PRASAD, Chief Settlement Commissioner

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली 20 नवम्बर 1976

का० आ० 2034.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० यू० शाह जिसका मुख्यालय अहमदाबाद

मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के प्रबन्धतन्त्र की, उक्त बैंक की भक्तिनगर शाखा के श्री जे० एन० दोशी टंकक की सेवाएं 31 मई, 1974 को काम के घंटे के पश्चात् समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/138/75-डी०II/ए]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 20th November, 1975

S.O. 2034.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Bank of India and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed:

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. U. Shah shall be the Presiding Officer, which headquarters at Ahemdabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Central Bank of India in terminating the services of Shri I N Doshi, Typist in the Bhaktinagar Branch of the said Bank after the working hours on the 31st May, 1974 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 12012/138/75. D. IIA]

आदेश

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1975

का० आ० 2035—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक, चायबासा से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण सं० 1, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र की श्री राम सेवक झा, कैन्टीन ब्वाय को 26 मई, 1975 से काम पर लेने से इनकार करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/132/75-डी-II/ए]

ORDER

New Delhi, the 24th November, 1975

S.O. 2035.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India, Chaibasa and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the State Bank of India was justified in not allowing Shri Ram Sewak Jha, Canteen Boy, to resume his duty with effect from the 26th May, 1975? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 12012/132/75/DIIA]

आदेश

का० आ० 2036.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक, से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण संख्या, 1, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक की गढ़चिरोली शाखा के लिपिक श्री पी० एस० मदावर्त को सेवान्मुक्त करना वैध और न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल 12025/17/75-डी० II/ए]

ORDER

S.O. 2036.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, No. 1, Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the State Bank of India in discharging from service Shri P. S. Sadavarte, Clerk in the Garhchiroli Branch of the said Bank is legal and justified ? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L. 12025/17/75. DIIA]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1975

का०आ० 2037.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में ग्रिण्डलियाज बैंक लिमिटेड, से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अत., अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या ग्रिण्डलियाज बैंक लिमिटेड के प्रबन्धतन्त्र का अपने बैंक की 41, चौरंगी रोड़, कलकत्ता और 29 नेताजी सुभाष रोड़, कलकत्ता स्थित शाखाओं के बचत बैंक खात्तानवीसों पर क्रमशः 25 सितम्बर, 1975 और 27 सितम्बर, 1975 से कार्यभार बढ़ाना न्यायोचित है ? यदि नही तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12011/28/75-डी० II/ए]

ORDER

New Delhi, the 25th November, 1975

S.O. 2037.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Grindlays Bank Limited and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Is the management of the Grindlays Bank Limited justified in effecting an increase in the workload of the Saving Bank Ledger Keepers at their 41, Chowringhee Road Branch, Calcutta and 29, Netaji Subhash Road Branch, Calcutta with effect from the 25th September, 1975 and 27th September 1975 respectively ? If not, to what relief are the workmen entitled ?

[No. L. 12011/28/75/DIIA.]

आदेश

का०आ० 2038.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयो के बारे मे सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री उपदेश नारायण माथुर होगे जिनका मुख्यालय जैपुर मे होगा, और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के प्रबन्धतन्त्र का उक्त बैंक की जैपुर शाखा के लिपिक श्री किशोर सिंह राठौर की सेवाए 6 सितम्बर, 1972 से समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि नही तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/130/75-डी-II/ए]

ORDER

S.O. 2038.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Updesh Naraen Mathur shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the management of the Central Bank of India is justified in terminating the services of Shri Kishore Singh Rathore, Clerk in the Jaipur Branch of the said Bank which effect from the 6th September, 1972. If not, to what relief is the said workmen entitled ?

[No. L. 12012/130/75/DIIA]

आदेश

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1976

का०आ० 2039.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ मदुराई लिमिटेड के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पालानिअप्पन् होगे जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है

अनुसूची

(1) क्या बैंक आफ मदुराई लिमिटेड के चिट फण्ड विभाग का कृत्यकरण उक्त बैंक के सामान्य कारबार का भाग है ? यदि हां, तो क्या उस विभाग में नियोजित लिपिक उस बैंक के नियमित कर्मचारियों को अनुज्ञेय नियमित वेतनमान और भत्ते तथा अन्य प्रसुविधाओं के हकदार हैं ?

(2) क्या बैंक आफ मदुराई लिमिटेड, मदुराई के कुछ शाखा अधिकारियों द्वारा और उक्त बैंक के मदुराई स्थित केन्द्रीय कार्यालय के कुछ अधिकारियों द्वारा काम पर लगाए गए वैयक्तिक चपरासियों/वैयक्तिक सेवकों से बैंक में सामान्य परिचारक का काम कराया गया और यदि उनसे ऐसा काम कराया गया तो वे किस अनुतोष के, यदि कोई हो, और किस तारीख से हकदार हैं ?

[सं० एल० 12012/39/75-डी० II/ए]

ORDER

New Delhi, the 15th December, 1975

S.O. 2039.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Madurai Limited and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Palaniappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

(1) Whether the functioning of the Chit-Fund Department of the Bank of Madurai Limited forms part of the normal business of the said bank and, if so, whether the Clerks employed in that Department are entitled to get the regular scale of pay and allowances and other benefits admissible to the regular employees of that bank ?

(2) Whether the personal peons/personal servants engaged by some of the Branch Officers of the Bank of Madurai Limited, Madurai and by some Officers at the Central Office of the said Bank at Madurai were utilised for doing normal attendar's work in the Bank and, if they were so utilised, to what relief if any, are they entitled and from what date ?

[No. L. 12012/39/75/DII/A]

आदेश

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1975

का०आ० 2040.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड, कलकत्ता से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्धतन्त्र का, 19, नेताजी सुभाष रोड़, कलकत्ता और 29 नेताजी सुभाष रोड़, कलकत्ता स्थित उसकी शाखाओं में मशीनीकरण आरम्भ करने का विस्तार करना, और परिणामस्वरूप कलकत्ता स्थित चालू खाता विभाग के मशीन अनुभाग में कार्य करने वाले कुछ कर्मकारों के काम के घन्टों में परिवर्तन करने की प्रस्थापना करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के, यदि कोई हो, हकदार है ?

[सं० एल-12011/29/75-डी-II/ए]

ORDER

New Delhi, the 19th December, 1975

S.O. 2040.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Grindlays Bank Limited, Calcutta and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of Grindlays Bank Limited, Calcutta is justified in introducing/extending mechanisation at their Branches at 19-Netaji Subhash Road, Calcutta and at 29 Netaji Subhash Road, Calcutta and consequently proposing to change the hours of work of some workmen working in Machine Section of Current Accounts Department at Calcutta, If not, to what relief if any are the said workmen entitled?

[No. L. 12011/29/75/DII/A]

आदेश

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1976

का०आ० 2041.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में स्टेट बैंक आफ इण्डिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया प्रदेश 1, नई दिल्ली के प्रबन्धतन्त्र की, दिल्ली सर्किल स्टेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन के एक पदधारी, श्री जगदीश ओबेराय, विशेष सहायक को उक्त बैंक की पदम सिंह, करोल बाग शाखा, नई दिल्ली से उक्त बैंक की विजय नगर शाखा, दिल्ली

में स्थानान्तरित करने और उन्हें 16 अगस्त, 1975 से भारमुक्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल०-12012/147/75-डी II/ए]

ORDER

New Delhi, the 2nd January, 1976

S.O. 2041.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule here to annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the State Bank of India, Region VI, New Delhi in transferring Shri Jagdish Oberai, Special Assistant and an office bearer of the Delhi Circle State Bank Staff Association from Padam Singh, Karol Bagh Branch, New Delhi of the said Bank to Vijay Nagar Branch, Delhi of the said Bank and enforcing his relief from the 16th August, 1975 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 12012/147/75/DII/A]

आदेश

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1976

का० आ० 2042.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ बड़ौदा से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० आर० सोढ़ी होंगे जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा, और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धतन्त्र की, उक्त बैंक की सोनीपत शाखा के भूतपूर्व अस्थायी लिपिक, श्री राजकुमार मुखी की 13 मई, 1973 से सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० 12012/138/73-एल०आर० III]

ORDER

New Delhi, the 5th January, 1976

S.O. 2042.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Indstrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Bank of Baroda in terminating the services of Shri Raj Kumar Mukhi Ex-temporary clerk, Sonepat Branch of the said Bank with effect from the 13th May, 1973 is justified. If not to what relief is the said workman entitled ?

[No. L.12012/138/73/LRII]

आदेश

का० आ० 2043.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निदर्शित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतन्त्र का आदेश सं० ई० एस० एच०/1292, तारीख 17 जुलाई, 1975, जिसके द्वारा श्री आर० एन० दूबे, लिपिक को एक वर्ष की अवधि तक विशेष सहायक के रूप में प्रोन्नति से विवर्जित किया गया था जारी करना न्यायोचित था, यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल०12012/154/75-डी० II/ए]

ORDER

S.O. 2043.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Punjab National Bank, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed.

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Is the Management of the Punjab National Bank, Calcutta justified in issuing their order No. ESH/1292 dated the 17th July, 1975 by which Shri R. N. Dave, Clerk, was debarred from promotion as Special Assistant for a period of one year ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 12012/154/75/DII/A]

आदेश

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1976

का० आ० 2044.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा, और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक की सांगनेरी गेट शाखा जयपुर की, श्री केदारमल चौहान, गोदाम दरबान की 1 अगस्त, 1974 से सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित और विधिपूर्ण है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल० 12012(142)/75-डी० II/ए]
आर० कुंजीथापदम, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th January, 1976

S.O. 2044.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employees in relation to the State Bank of India and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Updesh Narain Mathur shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

THE SCHEDULE

Whether the action of the State Bank of India Sanganeri Gate Branch, Jaipur in terminating the services of Shri Kedarmal Chauhan, Godown Darban with effect from the Ist August, 1974 is justified and legal ? If not to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 12012 (142)/75/DII/A]
R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 मई, 1976

का०आ० 2045.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि जल कल विभाग छावनी बोर्ड, अम्बाला के कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबन्धित प्रसुविधाओं के समान प्रसुविधाएं सारत. अन्यथा प्राप्त है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 714 तारीख 1 मार्च, 1974 के अनुक्रम में केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 9 मार्च, 1975 से 8 मार्च, 1976 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात्:—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के सम्बन्ध में देनी थी ।

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे; या.

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को नकदी और वस्तु के रूप में पाने का हकदार बना हुआ है जिसके प्रति फलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के सम्बन्ध में ऐसे उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबन्धों का अनुपालन किया गया था निम्नलिखित के लिए सशक्त होगा—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी सूचनाएं दे जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझी जाएं; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करने और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भार साधन कर रहा हो, ऐसी अपेक्षा करने के लिए कि लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से सम्बन्धित हों ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी को प्रस्तुत करे, और उनकी परीक्षा दे या उन्हें ऐसी जानकारी दे जैसी वे आवश्यक समझें; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक, या ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाए जाएं या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण उतारना ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के नवीकरण के लिए नियोजक की प्रार्थना विलम्ब से प्राप्त

हुई थी । तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में मूल रूप में छूट प्रदान की गई थी, वे अभी तक भी विद्यमान है और कारखाना छूट के लिए पात्र हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट की मंजूरी किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगी ।

[सं० एस० 38014(1)/74-एच०आई०]

New Delhi, the 15th May, 1976

S.O. 2045.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Water Works Cantonment Board, Ambala, are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 714 dated the 1st March 1974, the Central Government after consultation with the Employees State Insurance Corporation, here by exempts the above mentioned factory from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 9th March, 1975 upto and inclusive of the 8th March, 1976.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such return in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under subsection (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of :—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 150 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provision of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to —

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of person and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Ispector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the request from the employer for the renewal of exemption was received late. However, it is certified that the conditions under which the exemption was granted initially still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38014(1)/74-HI]

का० आ० 2046.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय तेल नियम (विपणन प्रभाग) रेलवे गुड्स शैड रोड, जालंधर को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है ।

2. उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों पर है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो उसे कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के सम्बन्ध मे देनी थीं;

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन, नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी में दी गई विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा नकदी और वस्तु के रूप में दिए गए उन फायदों को पाने का हकदार बना हुआ है जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबन्धो का अनुपालन किया गया था, निम्नलिखित के लिए सशक्त होगा, अर्थात् :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी सूचनाएं दे जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझी जाएं; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करना और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, यह अपेक्षा करना कि वह ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेजें, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से सम्बन्धित हों प्रस्तुत करे और उसे उनकी परीक्षा करने दे या उन्हें जैसी वे आवश्यक समझें वैसी जानकारी दे; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाया जाए या जिसके बारे मे उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण उतारना ।

[सं० एस० 38014/1/76-एफ० आई०]

S.O. 2046.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the Indian Oil Corporation (Marketing Division) Railway Goods Shed Road, Jullundur, from the operation of the said Act for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factroy, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/1/76-HI]

का० आ० 2047.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 1471 तारीख 29 मई, 1974 के अनुक्रम में केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 15 जून, 1975 से 14 जून, 1976 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों पर है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के सम्बन्ध में उससे शोध्य थी;

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा नकदी और वस्तु के रूप में दिए जाने वाले उन फायदो को पाने का अब भी हकदार बना हुआ है जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के सम्बन्ध में ऐसे उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबन्धों का अनुपालन किया गया था, निम्नलिखित के लिए सशक्त होगी अर्थात् :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी सूचनाएं दे जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अभिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरो में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करना और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, यह अपेक्षा करना कि वह ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेजें, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से सम्बन्धित हों, प्रस्तुत करे, और उनकी परीक्षा करने या उन्हे जैसी वे आवश्यक समझे वैसी जानकारी दे; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाया जाए या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखा बही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उसमें से कोई उद्धरण उतारना ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई क्योंकि कारखाने को छूट देने के लिए नियोजक से अपेक्षित प्रार्थना पत्र देर से

मिला था । तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन स्थितियों में कारखाने को आरम्भ में छूट दी गई थी, वे अभी तक विद्यमान है और कारखाना छूट पाने का पात्र है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट स्वीकृत करने से किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं० एस० 38014(5)/74—एच० आई०]

S.O. 2047.—In exercise of the powers confered by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1471 dated the 29th May, 1974 the Central Government hereby exempts the Central Scientific Instruments Organisation, Chandigarh from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 15th June 1975 upto and inclusive of 14th June 1976.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

(a) require the pricipal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factroy, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the requisite application of the employer for the grant of the exemption to the Factory was received late. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption, still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38014/5/74-HI]

का०आ० 2048.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि स्माल इण्डस्ट्रीज सर्विस इस्टीच्यूट, इंडस्ट्रियल एस्टेट, ओखला के कर्मचारी, अन्यथा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948(1948 का 34) के अधीन उपबन्धित प्रसुविधाओं जैसी प्रसुविधाएं सारतः प्राप्त कर रहे है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 1301 तारीख, 23 अप्रैल, 1973 के अनुक्रम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श के पश्चात् ऊपर वर्णित कारखाने की 14 जनवरी, 1974 से 13 जनवरी, 1976 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, दो वर्ष की और अवधि के लिये उक्त अधिनियम के लागू होने से छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के सम्बन्ध में देनी थीं;

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन, नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिये गए उन फायदों को नकदी और वस्तु के रूप में पाने का हकदार बना हुआ है जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के सम्बन्ध में ऐसे उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबन्धों का अनुपालन किया गया था निम्नलिखित के लिये सशक्त होगा—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी सूचनाएं दे जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझी जाएं; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधियोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करने और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, ऐसी अपेक्षा करने के लिये वह लेखा बहियों और अन्य दस्तावेज, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से सम्बन्धित हो ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी को प्रस्तुत करे, और उनकी परीक्षा करने दें या उन्हें ऐसी जानकारी दें जैसी वे आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक, या ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाए जाए या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखावही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण उतारना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के नवीनकरण के लिये नियोजक से अपेक्षित प्रार्थनापत्र ठीक समय पर प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने को मूल रूप में छूट प्रदान की गई थी, वे अभी तक भी विद्यमान हैं और कारखाना छूट के लिए पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट की मंजूरी किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

[संख्या एस-38014/20/75-एच०आई०]

S.O. 2048.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Small Industries Service Institute, Industrial Estate, Okhla, are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1301 dated the 23rd April, 1973 the Central Government after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factory from the operation of the said Act for a further period of two years with effect from the 14th January, 1974 upto and inclusive of the 13th January, 1976.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factroy, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the requisite application for the renewal of exemption was not received from the employer in time. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38014/20/75-HI]

का० आ० 2049.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 4239 तारीख 12 सितम्बर, 1975 के अनुक्रम में, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के (1) राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, बंगलौर, (2) विश्वेश्वरिया औद्योगिक और प्रौद्योगिक संग्रहालय, बंगलौर, (3) प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद और (4) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर के स्थायी और अस्थायी कर्मचारिगों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 17 नवम्बर, 1975 से 16 नवम्बर, 1976 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की अवधि के लिये छूट देती है।

2. उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों पर है, अर्थात्:—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जहां कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दिखाए जाएंगे।

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनके कि वे इस अधिसूचना में दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व अभिदायों के आधार पर हकदार हो गए हों ;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिये, यदि कोई अभिदाय पहले ही किये जा चुके हों तो वे वापिस नहीं किये जायेंगे ;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो उसे कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में देनी थीं।

(5) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित प्राधिकृत किया गया हो—

(i) उक्त अवधि की बाबत धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी विवरणी में दी विशिष्टियों को सत्यापित करनेके प्रयोजनार्थ, या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गये थे; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा नकदी और वस्तु रूप में दिए जाने वाले उन फायदों को पाने के अब भी हकदार हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन दी जा रही है; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने कि क्या उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबन्धों का अनुपालन किया गया था, निम्नलिखित के लिए सशक्त होगा, अर्थात्:

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे वे सूचनाएं दें जो उपरोक्त या निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझी जाएं; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करना और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो यह अपेक्षा करना कि वह ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष ऐसे लेखे, बहियां और अन्य दस्तावेजें, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित हों, को प्रस्तुत करे, और उसे उनकी परीक्षा करने या उन्हें जैसी वे आवश्यक समझें, वैसी जानकारी दें; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाया जाए या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह व्यक्ति कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण उतारना ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के मंजूरी संबंधी आवेदन-पत्र पर कार्रवाई करने में समय लगा। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने को मूल रूप में छूट प्रदान की गई थी, वे अभी तक भी विद्यमान हैं और कारखाना छूट के लिए पात्र है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट की मंजूरी किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

[सं० एम० 38014/21/73-एच० आई०]

S.O. 2049.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Telecommunication factories at Calcutta, Bombay and Jabalpur belonging to the Government of India in the Ministry of Communications (Posts and Telegraphs Board) are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948, (34 of 1948) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 2154 dated the 23rd June, 1975, the Central Government after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factories from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st February, 1976 upto and inclusive of the 31st January, 1977.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such

Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/21/73-HI]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for grant of exemption took time. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का० आ० 2050.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि भारत सरकार के संचार मंत्रालय, डाक-तार बोर्ड की डाक तार मोटर सेवा कर्मशाला, मुम्बई के कर्मकारों को, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबंधित प्रसुविधाएं जैसी सारतः प्रसुविधाएं प्राप्त हैं ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 4774 तारीख 21 अक्टूबर, 1975 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 15 जनवरी, 1976 से 14 जनवरी, 1977 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात्—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (विविध) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में उससे शोध्य थी,

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो—

(i) उक्त अवधि की बाबत धारा 44 की उप धारा (1) के अधीन दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों की सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (विविध) विनियम, 1950 द्वारा यथापेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गये थे; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को नकदी और वस्तु के रूप में पाने का हकदार बना रहता है जिसको ध्यान में रखते हुए इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में ऐसे उपबन्ध प्रवृत्त थे, अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन किया गया था, निम्नलिखित के लिए सशक्त किया जायेगा कि वह—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करेगा कि वह उसे ऐसी सूचना दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करे और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, ऐसी अपेक्षा करेगा कि लेखे बहियां और अन्य दस्तावेज, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से संबंधित हों, ऐसे निरीक्षक को प्रस्तुत करने, और उनकी परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात करे या उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे, या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक, या ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाए गए किसी व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है, कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करे; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की प्रतियां तैयार करे या उससे उद्धरण ले ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले को पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के लिए आवेदन-पत्र पर कार्रवाई करने में समय लगा । तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने को मूलरूप में छूट प्रदान की गई थी, वे अभी तक भी विद्यमान् हैं, और कारखाने छूट के लिए पात्र है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट की मंजूरी किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

[संख्या एस-38014/59/73-एच०आई०]

S.O. 2050.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Posts and Telegraphs Motor Service Workshop, Bombay, belonging to the Government of India in the Ministry of Communications, Posts and Telegraphs Board, are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 4774, dated the 21st October, 1975, the Central Government after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factory from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 15th January, 1976 upto and inclusive of the 14th January, 1977.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factroy, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38014/59/73-HI]

का० आ० 2051.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2631 तारीख 24 सितम्बर, 1974 के अनुक्रम में इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के बज बज प्रतिष्ठापन और पहारपुर प्रतिष्ठापन को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 16 अगस्त, 1975 से 15 अगस्त, 1976 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

2 पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात्:—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, ऐसी विवरणियां ऐसे रूपप्र में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (विविध) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में उसकी ओर से दी जानी थीं;

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो —

(i) उक्त अवधि की बाबत धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (विविध) विनियम, 1950 द्वारा यथापेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा नकदी और वस्तु के रूप में दिए गए उन फायदों को पाने के अब भी हकदार बने हुए हैं जो ऐसे फायदे हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने कि क्या उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में ऐसे उपबन्ध प्रवृत्त थे, अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन किया गया था, प्रयोजनार्थ

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करने की वह उसे ऐसी सूचना दे जिसे वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करने और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, ऐसी अपेक्षा करेगा कि लेखे बहियां और अन्य दस्तावेजे, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित हों, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी को प्रस्तुत करने, और उनकी परीक्षा करने के या उसे ऐसी जानकारी दे, जिसे वह आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक, या ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाए गए किसी व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करने; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की प्रतियां तैयार करे या उनसे उद्धरण लेने के लिए सशक्त होगा।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के नवीकरण के लिए नियोजक से आवेदन-पत्र देरी से प्राप्त हुआ था। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है जिन परिस्थितियों में कारखाने को मूल रूप में छूट प्रदान की गई थी, वे अभी तक भी विद्यमान् हैं और कारखाना छूट के लिए पात्र है। यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट की मंजूरी किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

[सं० एस० 38017/2/73-एच० आई०]

S.O. 2051.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2631 dated the 24th September, 1974, the Central Government hereby exempts the Budge Budge Installation and Paharpur Installation belonging to the Indian Oil Corporation, Limited, from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 16th August, 1975 upto and inclusive of the 15th August, 1976.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any Inspector appointed of the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factroy, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the application from the employer for renewal of exemption was received late. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38017/2/73-HI]

का० आ० 2052.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1007, तारीख 15 मार्च, 1975 के अनुक्रम में फर्टीलाईजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, ट्राम्बे, मुम्बई को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 5 जनवरी, 1976 से 4 जनवरी, 1977 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात्:—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में देनी थी;

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन, नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त किया प्राधिकृत किया गया हो —

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को नकदी और वस्तु के रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में ऐसे उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबंधों का अनुपालन किया गया था निम्नलिखित के लिए सशक्त होगा—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी सूचनाएं दे जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझी जाएं; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करे और व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो ऐसी अपेक्षा करना कि लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, जो व्यक्तियों के नियोजन पर और मजदूरी के संदाय से संबंधित हो, प्रस्तुत करे ऐसी निरीक्षक या अन्य पदधारी को प्रस्तुत करने, और उनकी परीक्षा करने दे या उन्हें ऐसी जानकारी दे जैसी वे आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक, या ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाए जाए या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखा बही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण उतारना ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि छूट संबंधी प्रस्ताव पर कार्रवाई करने में समय लगा । तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने की मूल रूप से छूट प्रदान की गई थी, वे अभी तक भी विद्यमान है और कारखाना छूट के लिए पात्र है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट की मंजूरी ऐसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

[संख्या एस-38017(2)/74-एच आई]

S.O. 2052.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 1007 dated the 15th March, 1975 the Central Government hereby exempts The Fertilizer Corporation of India Limited, Trombay, Bombay, from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 5th January, 1976 upto and inclusive of the 4th January, 1977.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of :—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to :—

(a) require the principal or immediate employer to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge there of to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the proposal for exemption took time However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still presist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38017/2/74-HI]

का० आ० 2053.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार श्रम के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 5028 तारीख 21 अक्तूबर, 1975 के अनुक्रम में दी नेशनल इन्सट्रूमेंटस् लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 13 नवम्बर, 1975 से 12 नवम्बर, 1976 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देता है।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, ऐसी विवरणियां ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (विविध) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में उससे शोध्य थी,

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो—

(i) उक्त अवधि की बाबत धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (विविध) विनियम, 1950 द्वारा यथापेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को नकदी और वस्तु के रूप में पाने का हकदार बना रहता है जिनको ध्यान में रखते हुए इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में ऐसे उपबंध प्रवृत्त थे, अधिनियम के उपबंधों में से किसी का अनुपालन किया गया था, निम्नलिखित के लिए सशक्त किया जाएगा कि वह—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करेगा कि वह उसे ऐसी सूचना दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अभिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करे और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, ऐसी अपेक्षा करेगा कि लेखे, बहियां और अन्य दस्तावेजे, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित हो, ऐसे निरीक्षक को प्रस्तुत करने, और उनकी परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात करे या उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे ; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक, या ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाए गए किसी व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है—कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करे; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर लेखा बही या अन्य दस्तावेज की प्रतिया तैयार करे या उससे उद्धरण ले।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के नवीकरण के लिए नियोजक से आवेदन-पत्र देरी से प्राप्त हुआ था । तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने को मूल रूप में छूट प्रदान की गई थी, वे अभी तक भी विद्यमान है और कारखाना छूट के लिए पात्र है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट की मंजूरी किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

[संख्या एस-38017/6)/74-एच० आई०]

S.O. 2053.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 5028 dated the 21st October, 1975 the Central Government hereby exempts the National Instruments Limited, Calcutta, from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 13th November, 1975, upto and inclusive of the 12th November, 1976.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the opeartion of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of :—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 of the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to :—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to belive to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the application for renewal of the exemption was received late from the Employer. However, it is, certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody advesely.

[No. S. 38017 (6)/74-HI]

का० आ० 2054.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (परिवार नियोजन विभाग) के मेसर्स मास मेलिंग प्रेस, मासमेलिंग यूनिट, बुलगारिएन पवेलियन मथुरा रोड, नई दिल्ली के कर्मचारी, अन्यथा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबन्धित प्रसुविधाओं जैसी प्रसुविधाएं सारत: प्राप्त कर रहे है;

अत, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1009 तारीख 19 मार्च, 1975 के अनुक्रम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् ऊपर वर्णित कारखाने को 6 दिसम्बर, 1976 से 5 दिसम्बर, 1976 तक जिसमे यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए उक्त अधिनियम के लागू होने से छूट देती है ।

2 पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के सम्बन्ध में देनी थी;

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन, नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी मे अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा-अपेक्षित और अभिलेख रखे गए थे, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को नकदी और वस्तु के रूप में पाने का हकदार बना हुआ है जिसमे प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध मे ऐसे उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबन्धों का अनुपालन किया गया था निम्नलिखित के लिए सशक्त होगा—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी सूचनाएं दे जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझा जाएं; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने स्थापन कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करने और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, ऐसी अपेक्षा करना कि लेखा बहियों और अन्य दस्तावेज, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से सम्बन्धित हों प्रस्तुत करे ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी को प्रस्तुत करने, और उनकी परीक्षा करने दे या उन्हें ऐसी जानकारी दे जैसी वे आवश्यक समझे, या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक, या ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाए जाए या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना, या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण उतारना ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वविक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि फैक्टरी को छूट स्वीकृत करने के लिए महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सिफारिश देर से प्राप्त हुई थी । तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में फैक्ट्री को प्रथमतः छूट स्वीकृत की गई थी वे अभी भी विद्यमान हैं और फैक्ट्री छूट की पात्र है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वविक्षी प्रभाव से छूट स्वीकृत करने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[संख्या एस-38017/7/73-एच० आई०]

S.O. 2054.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Messrs Mass Mailing Press, Mass Mailing Unit, Bulgarian Pavilion, Mathura Road, New Delhi, belonging to the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning (Department of Family Planning) are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act. 1948 (34 of 1948);

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 1009, dated the 19th March, 1975, the Central Government after consulation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factory from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 6th Decemebr, 1975 upto and inclusive of 5th December, 1976.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950.

(2) Any inspector appointed by the Corporation under subsection(1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of :—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 of the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Isurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to :—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate emploer at any reasonable time an require any person found inchaige thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, has agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMARANDUM

In has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the recommendation of the Director General, Employees' State Insurance Corporation for the grant of exemption to the factory was received late. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38017/7/73-HI]

नई दिल्ली, 18 मई, 1976

का० आ० 2055—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि भारत सरकार के संचार मंत्रालय (डाक और तार बोर्ड) के कलकत्ता, मुम्बई और जबलपुर स्थित दूर संचार कारखानों के कर्मचारी, सारतः कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबंधित प्रसुविधाओं जैसी प्रसुविधाएं अन्यथा, प्राप्त कर रहे हैं ।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2154 तारीख 23 जून, 1975 के अनुक्रम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् ऊपर वर्णित कारखाने को 1 फरवरी, 1976 से 31 जनवरी, 1977 तक जिसमे यह दिन भी सम्मिलित है एक वर्ष की और अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में देनी थी;

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन, नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों का नकदी और वस्तु के रूप में पाने का हकदार हुआ है जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में ऐसे उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबन्धों का अनुपालन किया गया था निम्नलिखित के लिए सशक्त होगा—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी सूचनाएं दे जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझी जाएं, या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करे और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, ऐसी अपेक्षा करने के लिए कि वह लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित हों ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी को प्रस्तुत करे और उनको परीक्षा करने दे या उन्हें ऐसी जानकारी दे जैसी वे आवश्यक समझें, या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक, या ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाए जाएं या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना, या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उसमें से कोई उद्धरण उतारना ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वापेक्षी भाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि कारखाने को छूट प्रदान करने के लिए महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सिफारिश देर से प्राप्त हुई थी । तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि ये परिस्थितियां, जिनमें इन कारखानों के स्थायी और अस्थाई कर्मचारियों को मूल रूप से छूट प्रदान की गई थी, अभी तक भी जारी है और वे छूट के लिए प्राप्त है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट की मंजूरी किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

[सं० एस-38017/13/74-एच० आई०]

New Delhi, the 18th May, 1976

S.O. 2055.—In exercise of the powers conferred by section 88 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 4239 dated the 12th September, 1975 the Central Government hereby exempts the permanent and temporary employees of (1) National Aeronautical Laboratory Bangalore, (2) Visveshwaraya Industrial and Technological Museum, Bangalore (3) Regional Research Laboratory, Hyderabad and (4) Central Food Technological Research Institute, Mysore, belonging to the Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 17th November, 1975 upto and inclusive of the 16th November, 1976.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

(3) The contribution for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of —

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory,

be empowered to —

(a) required the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employement of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the recommendation of the Director General, Employees' State Insurance Corporation for the

grant of exemption was received late. However, it is certified that the conditions under which the permanent and tempoary employees of these factories were initially granted exemption still persist and they are eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S. 38017/13/74-HI]

नई दिल्ली, 31 मई, 1976

का०आ० 2056.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन आयल कारपोरेशन (मार्केटिंग डिवीजन) बल्क सेन्टर अम्बाला, कन्टोनमेंट, को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात, :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में देनी थी:

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन, नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ, या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा-अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को नकदी और वस्तु के रूप में पाने का हकदार बना हुआ है जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में ऐसे उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबंधों का अनुपालन किया गया था निम्नलिखित के लिए सशक्त होगा—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी सूचनाएं दे जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझी जाएं; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करने और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, ऐसी अपेक्षा करने कि लेखा बहियों और अन्य दस्तावेज, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित हों ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी को प्रस्तुत करने, और उनकी परीक्षा करने दे या उन्हें ऐसी जानकारी दे जैसी वे आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक, या ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाए जाएं या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि यह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण उतारना ।

[सं० एस-38014/6/76-एच० आई०]

New Delhi, the 31st May, 1976

S.O. 2056.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts Indian Oil Corporation (Marketing Division) Bulk Centre, Ambala Cantonment, from the operation of the said Act for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory,

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other Official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S. 38014/6/76-HI]

का०आ० 2057.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2118 तारीख 10 जुलाई 1970 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन कारखानों और स्थापनों में नियोजित निम्नलिखित वर्ग के व्यक्तियों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से छूट देती है, अर्थात् :—

(क) ऐसे कारखानों या स्थापनों में जो ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहां अध्याय 4 और 5 के उपबंध लागू हैं, कर्मचारी जो सामान्यतः उक्त

कारखानों या स्थापनों द्वारा ऐसे क्षेत्रों में नियोजित किए गए हैं जहां पूर्वोक्त अध्यायों के उपबंध लागू नहीं है किन्तु उनसे एक वर्ष में सात मास से अनधिक की अवधि के लिए ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने की अपेक्षा की गई है जहां उक्त अध्याय प्रवृत्त है;

(ख) ऐसे कारखानों और स्थापनों के, जो ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहां अध्याय 4 और 5 के उपबंध प्रवृत्त हैं कर्मचारी, जो ऐसे क्षेत्रों में जहां पूर्वोक्त अध्यायों के उपबंध प्रवृत्त नहीं हैं, उक्त कारखाने या स्थापन या उसके किसी भाग, विभाग या शाखा के प्रशासन से सम्बन्धित किसी कार्य, या उक्त कारखाने या स्थापन के कच्चे माल के क्रय या उत्पादों के वितरण या विक्रय पर नियोजित किए गए है ।

2. उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात् :—

(i) कारखाने ऐसे रजिस्टर रखेंगे जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शित किए गए हों, और

(ii) इस अधिसूचना के अधीन उसे छूट दिए जाने के पूर्व की अवधि के दौरान कर्मचारियों के संबंध में (नियोजकों और कर्मचारियों, दोनों द्वारा) संदत्त अभिदाय वापिस नहीं किया जाएगा और कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे फायदे प्राप्त होते रहेंगे जिनके वे उसके संबंध में संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार होते ।

[सं० एस-38014/12/75-एस० आई०]

S.O. 2057.—In exercise of the powers conferred by section 88 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) number S.O 2418 dated the 10th July, 1970, the Central Government hereby exempts from the operation of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the folowing class of persons employed in factories and establishments under the control of the Central Government, namely :—

(a) employees, of factories or establishments which are situated in an area where the provisions of Chapters IV and V are in force, who are ordinarily employed by the said factories or establishments in areas where the provisions of the aforesaid Chapters are not in force but are required to work in areas where the said Chapters are in force for a period not exceeding seven months in a year;

(b) employees, of factories or establishments which are situated in an area where the provisions of Chapters IV and V are in force, who are employed in areas where the provisions of the aforesaid Chapters are not in force, on any work connected with administration of the said factory or establishment or any part, department or branch thereof, or with the purchase of raw materials, or the distribution, or sale of the products, of the said factory or establishment.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(i) The factories shall maintain a register showing the names and designation of the exempted employees; and

(ii) the contributions paid in respect of the employees (both by the employer and the employees) during the period before he is exempted under this notification shall not be refunded and the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which he would be entitled on the basis of the contributions paid in respect of him.

[No. S. 38014/12/75-HI]

का० आ० 2058.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2619 तारीख 25 जुलाई, 1975 के अनुक्रम में दामोदर घाटी निगम उरस्थान हावड़ा को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 1 अप्रैल, 1976 से 31 मार्च, 1977 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में देनी थी;

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधिन, नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा-अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या, कर्मचारी, नियोजक द्वारा किए गए उन कार्यों का हकदार और वस्तु के रूप में पाने का हकदार बना हुआ है जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में ऐसे उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबंधों का अनुपालन किया गया था निम्नलिखित के लिए सशक्त होगा—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी सूचनाएं दे जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझी जाएं ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करने और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, ऐसी अपेक्षा करने कि लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संबंध से संबंधित हो ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी को प्रस्तुत करने, और उनकी परीक्षा करने दे या उन्हें ऐसा जानकारी दे जैसी वे आवश्यक समझे ; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक, या ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाए जाएं या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धारण उतारना ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के लिए आवेदन पत्र की जांच करने में समय लगा । तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने को आरंभ में छूट स्वीकृत की गई थी, वे अब भी विद्यमान हैं और कारखाना छूट

का पात्र है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट की स्वीकृति किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

[सं० एस-38017/3/74-एच०आई०]

S.O. 2058.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 2619 dated the 25th July, 1975 the Central Government hereby exempts The Damodar Valley Corporation Sub-Station, Howrah, from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st April, 1976 upto and inclusive of the 31st March, 1977.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of —

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory,

be empowered to —

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and required any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38017/3/74-HI]

का०आ० 2059.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1008 तारीख 17 मार्च, 1975 के अनुक्रम में वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद् के केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 23 अक्तूबर, 1975 से 22 अक्तूबर, 1976 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिये छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात् —

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में देनी थी,

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन, नियुक्त किया गया कोई निरीक्षण, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो :—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा-अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गये थे, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिये गये उन फायदों को नकदी और वस्तु के रूप में पाने का हकदार बना हुआ है जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में ऐसे उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबन्धों का अनुपालन किया गया था निम्नलिखित के लिये सशक्त होगा —

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी सूचनायें दे जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पद्धति द्वारा आवश्यक समझी जाये; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अभिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करने और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, ऐसी अपेक्षा करने कि लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित हों ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी को प्रस्तुत करने, और उनकी परीक्षा करने दे या उन्हें ऐसी जानकारी दे जैसी वे आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्त्ता या सेवक, या ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाए जायें या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण उतारना ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि नियोजक से छूट के नवीकरण के लिये ब्यौरे विलम्ब से प्राप्त हुए थे । तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों

में कारखाने को मूल रूप में छूट प्रदान की गई थी, वे अभी तक भी विद्यमान हैं और कारखाना छूट के लिये पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छूट की पूर्वापेक्षी प्रभाव से मंजूरी किसी भी व्यक्ति के लिये प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

[सं० एस-38017/9/74-एच०आई०]

S.O. 2059.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1008 dated the 17th March, 1975 the Central Government hereby exempts the Central Road Research Institute, New Delhi, belonging to the Council of Scientific and Industrial Research from the operation of the said act for a further period of one year with effect from the 23rd October, 1975 up to and inclusive of the 22nd October, 1976.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under Sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of —

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the emplover in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been compiled with during the period when such provisions were in force relation to the said factory

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other Official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other offifficial has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the particulars for renewal of exemption was received late from the employer. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with restrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38017/9/74-HI]

का०आ० 2060.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री आर० डी० चेटिवाल को उक्त अधिनियम, स्कीम और उसके अधीन विरचित किसी कुटुम्ब स्कीम के प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखायें हों, सम्पूर्ण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिये निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं० ए-12016(2)/76-पी०एफ० (पी०टी०)]

S.O. 2060.—In exercise of the powers conferred by section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri R. D. Chetival to be an Inspector for the whole of the Union Territory of Delhi for the purposes of the said Act, the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of, the Central Government or in relation any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oil-field or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A-12016(2)/76-PF. (pt)]

नई दिल्ली, 2 जून 1976

का०आ० 2061.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कान्टिनेण्टल टूल्स एण्ड मशीनरी, 3 सकलात प्लेस, कलकत्ता-13 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1951 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1974 को प्रवृत्त समझी जायेगी।

[सं० एस-35017(4)75-पी० एफ-2(i)]

New Delhi, the 2nd June, 1976

S.O. 2061.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Continental Tools and Machinery, 3, Saklat Place, Calcutta-13 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of July, 1974.

[No. S-35017(4)/75-PF. II(i)]

का० आ० 2062.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात्, 31 जुलाई 1974 से मैसर्स काण्टिनेण्टल टूल्स एण्ड मशीनरी, 3, सकलात प्लेस, कलकत्ता-13 नामक स्थापन को परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35017(4)/75-पी०एफ० 2(ii)]

S.O. 2062.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 30th day of July, 1974 the establishment known as Messrs. Continental Tools and Machinery, 3, Saklat Place, Calcutta-13 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017(4)/75-PF. II(ii)]

का०आ० 2063.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारिवृन्द केन्टीन, कलकत्ता केन्द्रीय कार्यालय स्थापन एकक, टाटा केन्द्र, 43 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, कलकत्ता-16, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के नवम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस-35017(6)/75-पी एफ० II)]

S.O. 2063.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the Employees in relation to the establishment known as Messrs State Bank of India Staff Canteen, Calcutta, Central Office Establishments Unit, Tata Centre, 43, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta-16, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on th first day of November, 1974.

[No. S. 35017(6)/75-PF. II]

का०आ० 2064.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आनन्द प्रेस एण्ड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, पी-248, सी० आई० टी० स्कीम संख्या एम, कलकत्ता-54, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952का19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 की जनवरी, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस-35017(9)/75-पी०एफ० 2(i)]

S.O. 2064.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ananda Press and Publications Private Limited, P-248, C.I.T. Scheme No. VI-M, Calcutta-54, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1973.

[No. S. 35017(9)/75-P.F. II(i)]

का०आ० 2065.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् मैसर्स आनन्द प्रेस एण्ड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड पी-248, सी०आई०टी०स्कीम सं० 1-एम, कलकत्ता-54 नामक स्थापन को 1 जनवरी, 1973 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35017(9)/75-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 2065.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first Jauary, 1973 the establishment known as Messrs. Ananda Press and Publications Private Limited, P-248, C.I.T. Scheme No. VI-M, Calcutta-54, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017(9)/75-PF. II(ii)]

का०आ० 2066.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन, 16/3, आर्मेनियमन स्ट्रीट, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 मार्च, 1972 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस-35017(36)/73-भ०नि०-2]

S.O. 2066.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs National Transport Corporation, 16/3, Armenian Street, Calcutta-1 have

agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1972.

[No. S. 35017(36)/73-PF. II]

का०आ० 2067.—यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इन्टरनेशनल लिन्कर्स प्राइवेट लिमिटेड, पी-22 स्वैलो लेन, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 की जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस-35017(39)/74-पी०एफ०2 (i)]

S.O. 2067.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs International Linkers Privato Limited, P-22 Swallo Lane, Calcutta-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1974.

[No. S. 35017(39)/74-PF. II(i)]

का०आ० 2068.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् मैसर्स इन्टरनेशनल लिंकर्स प्राईवेट लिमिटेड, पी-22, स्वैलो लेन, कलकत्ता-1 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[संख्या एस-35017(39)/74-पी० एफ-2(ii)]

S.O. 2068.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Cenral Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st day of June, 1974 the establishment known as Messrs International Linkers Private Limited P-22, Swallo Lane, Calcutta-1 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017 (39)/74 PF. II(ii)]

का० आ० 2069.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता मैसर्स अरुणोदय फाउण्ड्रीज, पालघर इण्डस्ट्रीज कम्पाउण्ड, महिम रोड, पालघर, जिला थाना नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 की जुलाई के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[संख्या एस-35018(15)/75-पी० एफ-2]

S.O. 2069.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Arunodaya Foundries, Palghar Industries Compound, Mahim Road, Palghar, District Thana, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of July, 1974.

[No. S. 35018(15/75-PF. II]

का०आ० 2070.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जनक इण्डस्ट्रियल सर्विसेज, टोडी एस्टेट, तृतीय मंजिल, सन मिल अहाता, लोअर परेल, मुम्बई-13 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के जून के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस-35018(25)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 2070.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Janak Industrial Services, Todi Estate, 2nd Floor, Sun Mill Compound, Lower Parel, Bombay-13, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1974.

[No. S. 35018(25)/75-PF. II]

का०आ० 2071.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पिटसन्स, 26/2 घ, कापवाड़ी गोवन्दी, मुम्बई-88 जिसमें 22 मिंट रोड फोर्ट, मुम्बई स्थित इसका कार्यालय भी सम्मिलित है। नामक स्थापन

से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के जून के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस-35018(31)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 2071.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of he employees in relation to the establishment known as Messrs Chitsons, 26/2d, Kachwadi, Govandi, Bombay-88 including its office at 22, Mint Road, Fort Bombay-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1974.

[No. S. 35018(31)/75-PF. II]

का० आ० 2072.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रमोद पेपर बाक्स इण्डस्ट्रीज, बेलासिस रोड, मुम्बई-8 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1974 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस-35018(38)/75-पी० एफ०-2(i)]

S.O. 2072.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the Employees in relation to the establishment known as Messrs. Pramod Paper Box Industries, Bellasis Road, Bombay-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1974.

[No. S. 35018(38)/75-PF. II(i)]

का० आ० 2073.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्बन्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 दिसम्बर, 1974, 1971 से मैसर्स प्रमोद पेपर बाक्स इंडस्ट्रीज बेलासिस रोड, मुम्बई 8, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[संख्या एस०-35018(38)/75-पी० एफ०-2 (ii)]

S.O. 2073.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty first day of December, 1974, the establishment known as Messrs. Pramod Paper Box Industries Bellasis Road, Bombay-8, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018(38)/75-PF. II(ii)]

का० आ० 2074.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मुम्बई यार्न मर्चेन्ट एसोसियेशन एड एक्सचेंज लिमिटेड इसमें इसका कालीन डिपार्टमेंट मुम्बई यार्न हाउस 47/49 नरखोदा स्ट्रीट मुम्बई-3 भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और मुद्रण कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के मार्च के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[संख्या एस० 35018(60)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 2074.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. The Bombay Yarn Merchants Association and Exchange Limited, including its Cabin Department Bombay Yarn House, 47/49, Nakhoda Street, Bombay-3, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1974.

[No. S. 35018(60)/75-P.F.-II]

का० आ० 2075.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जेट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड 3/2 माइल स्टोन, कल्याण मुर्बाद रोड कल्याण जिला थाना, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के मार्च के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस०-35018(62)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 2075.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Jet Chemicals Private Limited, 3/2, Mile Stone, Kalyan Murbad Road, Kalyan, District Thana, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1974.

[No. S. 35018(62)/75-PF. II/(i)]

का० आ० 2076.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् 31 मार्च, 1974 से मैसर्स जेट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड 3/2 माइल स्टोन, कल्याण मुर्बाद रोड, जिला कल्याण, थाना, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनो के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35018(62)/75-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 2076.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirtyfirst day of March, 1974, the establishment known as Messrs. Jet Chemicals Private Limited, 3/2, Mile Stone, Kalyan Murbad Road, Kalyan, District. Thana, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018(62)/75-PF. II(ii)]

का० आ० 2077.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जयश्री ट्रेडिंग कार्पोरेशन, माणिक महल, 8वी मंजिल, वीर नारीमन रोड, चर्चगेट, मुम्बई-1, जिसके अन्तर्गत माणिक महल, वीर नारीमन रोड, चर्चगेट, मुम्बई स्थित उसकी शाखा भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजकों और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मकारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 के मार्च के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस०-35018(89)/73-पी० एफ० 2]

S.O. 2077.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs. Jayashree Trading Corporaion, Manekmahal, 7th Floor, Veer Nariman Road, Churchgate, Bombay-1 including its branch at Manek Mahal 7th Floor Veer Nariman Road, Churchgate Bombay have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and the Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtyfirst day of March, 1970.

[No. S. 35018(89)/73-P.F.-I]

का० आ० 2078.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फर्मेजेण्टस, 131, काण्डीवली इन्डस्ट्रियल एस्टेट, काण्डिवली, मुम्बई नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मई, 1974 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[संख्या एस०-35018(93)/74-पी० एफ०-2(i)]

S.O. 2078.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Pharmagents, 131, Kandivli Industrial Estate Kandivli Bombay-67 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and the Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1974.

[No. S 35018(93)/74-PF. II(i)]

का० आ० 2079.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1974 से फार्मेसेण्ट्स, 131, काण्डिवली इंडस्ट्रियल एस्टेट, काण्डिवली, मुम्बई-67 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनो के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[संख्या एस०-35018(93)/74-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 2079.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st day of May, 1974. The establishment known as Messers Pharmagent 131, Kandivli, Industrial Estate Kandivli, Bombay-67 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018(93)/74-PF. II(ii)]

का० आ० 2080.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पोली प्रिण्ट प्राइवेट लिमिटेड, बैलार्ड हाउस, मंगलौर स्ट्रीट, मुम्बई-1, जिसके अन्तर्गत ई० बी० सी० ओ० कम्पाउण्ड, एलफिसटन, लोयर परेल, मुम्बई-13 स्थित उसका कारखाना भी आता है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है;

यह अधिसूचना 1971 के मार्च के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35018(109)/73-पी० एफ० 2]

S.O. 2080.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs. Plyprint Private Limited, Ballard House, Mangalore Street, Bombay-1 including its Factory situated at EPCO Compound Elphinston Lower Parel, Bombay-13, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1971.

[No. S. 35018(109)/73-PF. II]

का० आ० 2081.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स, इण्डस्ट्रियल रोड, सैनीटिक्स कम्पाउण्ड, बड़ौदा-3 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है;

30 जून, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस०-35019(3)/76-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 2081.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Patel Distributors, Industrial Road, Sanitex Compound, Baroda-3 have agreed that the provisions of the employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1975.

[No. S. 35019(3)/76-PF. II(i)]

का० आ० 2082.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात्, 1 नवम्बर, 1971 से मैसर्स पटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंडस्ट्रियल रोड, सैनीटैक्स कम्पाउण्ड, बड़ौदा-3 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[संख्या एस०-35019(3)/76-पी० एफ०-2(ii)]

S.O. 2082.—In exercise of the powers conferred by the proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirtieth day of June, 1975, the establishment known as Messrs Patel Distributors, Industrial Road, Sanitex Compound, Baroda-3, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(3)/76-PF.II(ii)]

का० आ० 2083.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स किझाक्कूट इण्डस्ट्रीज, आरिम्पुर, डाकघर, त्रिचूर, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है;

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस०-35019(5)/76-पी० एफ० 2]

S.O. 2083.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Kizhakhoott Industries, Arimpoor, Post Office, Trichur, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1975.

[No. S. 35019/5/76-PF.II]

का० आ० 2084.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रानी टैक्सटाइल्स, 35-न्यू० स्ट्रीट करूर, त्रिची जिला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है;

यह अधिसूचना 1 मई, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस०-35019(7)/76-पी० एफ० 2]

S.O. 2084.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rani Textiles, 35, New Street, Karur, Trichi District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1975.

[No. S. 35019/7/76-PF.II]

का० आ० 2085 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मुरुगन, ट्रांसपोर्ट्स, 138, तंजोर रोड, तिरुचिरापल्ली-8, जिसके अन्तर्गत पुडुकाट्टाई स्थित उसकी शाखा कार्यालय भी आता है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है;

यह अधिसूचना 1974 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019(11)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 2085.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relations to the establishment known as Messrs. Murugan Transports, 138, Thanjavur Road, Tiruchirappalli-8 including its branch office at Pudhkkettai, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1974.

[No. S. 35019(11)/75-PF.II]

का० आ० 2086—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आदिलक्ष्मी मिल्स, पसुमलाई, मदुराई जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है;

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019(41)/76-पी० एफ० 2]

S.O. 2086.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Adhilakshmi Mills, Pasumalai, Madurai District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1975.

[No. S. 35019(41)/75-PF.II]

का० आ० 2087.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वासुदेव विलासम आयुर्वेद, फार्मेसी, पोर्ट, त्रिवेन्द्रम, 23, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है;

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस०-35019(62)/75-पी० एफ० 2]

S.O 2087.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vasudeva Vilasam Ayurveda Pharmacy, Fort, Trivandrum-23, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1975.

[No. S 35019(62)/75-PF.II]

का० आ० 2088.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डिपुटी कमिश्नर का कार्यालय कोआपरेटिव कैन्टीन एंड स्टोर्स लिमिटेड, दिल्ली इसमें तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली स्थित कैन्टीन स्टोर और सायकिल स्टैंड नामक शाखायें भी हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है;

यह अधिसूचना 1973 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस०-35019(80)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 2088.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Deputy Commissioner's Office, Co-operative Canteen and Store Limited Delhi including its branches namely, Canteen, Stores and Cycle-Stand at Tis Hazari Courts, Delhi have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1973.

[No. S. 35019(80)/75-PF.II]

का०आ० 2089—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कुकिंग गैस एजेन्सी, 24, सुन्देश्वर स्ट्रीट, मद्रास-4 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के दिसम्बर, के प्रथम दिन को प्रवृत्त समझी जाएगी।

[संख्या एस-35019(84)/75-पी०एफ-2]

S.O. 2089.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Cooking Gas Agency, 24, Sundareswar Street, Madras-4 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1974.

[No. S. 35019/84/75-PF.II]

का०आ० 2090—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स साउथ मद्रास गैस एजेन्सी, प्रशासनिक कार्यालय, संख्या 24, सुन्दरेश्वर स्ट्रीट, माइलापुर, मद्रास-1, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजकों और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के दिसम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(87)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 2090.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs South Madras Gas Agency, Administrative Office at No. 24, Sundareswar Street, Mylapore, Madras-4, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1974.

[No. S. 35019(87)/75-PF.II]

का०आ० 2091—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ताज टैक्सटाइल इण्डस्ट्रियल को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, संख्या एच-210, वैस्ट डाकघर कालीकट-5, केरल राज्य, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(134)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 2091.—Whereas it appears to the Central Government that the Employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Taj Textiles Industrial Cooperative Society Limited, No. H. 210, West Hill Post Office Calicut-5 Kerala State, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1975.

[No. S. 35019(134)/75-PF. II]

का०आ० 2092.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स होप कोडेमोम एस्टेट, डाकघर वैथीरी दक्षिण वैनाड, केरल राज्य नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(165)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 2092.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Hope Cardamom Estate, Post Office Vythiri, South Wynad, Kerala State, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act, to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of July, 1975.

[No. S. 35019/165/75-PF. II]

का०आ० 2093.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुन्दरम् एस्टेट, डाकघर अमिरी, विदक्षिण विजनाद, केरल राज्य नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारी की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(166)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 2093.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sundaram Estate, Post Office Vythiri, South Wynad, Kerala State, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies provisions of the said Act, to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of July, 1975.

[No. S-35019(166)/75-PF. II]

का०आ० 2094.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आलोकोद्योग सर्विसेज लिमिटेड, 5-पार्लियामैंट स्ट्रीट, पंजाब नेशनल बैंक बिल्डिंग, चौथी मंजिल, नई दिल्ली-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 की मई के पद्रहवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(169)/72-पी०एफ०(2)(i)]

S.O. 2094.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Alok Udyog Services Limited, 5-Parliament Street, Punjab National Bank Building, 3rd Floor, New Delhi-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act, to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the fifteenth day of May, 1970.

[No. S. 35019(169)/72-PF II(i)]

का०आ० 2095.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 15 मई, 1970 से मैसर्स आलोको-उद्योग सर्विसेज लिमिटेड, 5 पार्लियामैंट स्ट्रीट, पंजाब नेशनल बैंक बिल्डिंग चौथी मंजिल, नई दिल्ली नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35019(169) 72-पी०एफ० 2(ii)]

S.O. 2095.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Fund and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the fifteenth day of May, 1970, the establishment known as Messrs. Alok Udyog Services Limited, 5-Parliament Street, Punjab National Bank Building, 3rd Floor, New Delhi-1, for the purpose of the said proviso.

[No. S. 35019(169)/72-PF.II(ii)]

का०आ० 2096.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स थानिनीराम, डेली, पूजापुरा, त्रिवेन्द्रम-2, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(172)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 2096.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Thaniniram, Daily, Poojapura, Trivandrum-12, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act, to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1975.

[No. S-35019(172)/75-PF.II]

का०आ० 2097.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नितीश लहरी एजूकेशन सोसाइटी रोटरी इंगलिश मीडियम स्कूल, न्यू काटन मार्केट हुबली, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(187)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 2097.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. The Nitish Lahary Education Society's Rotary English Medium School New Cotton Market, Hubli, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act, to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1975.

[No. S-35019(187)/75-PF.II]

का०आ० 2098.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बी० एस० प्रभो एण्ड सन्स कर्नाटक चेम्बर बिल्डिंग, जय शंकरराज नगर, हुबली-20, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारी की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[स० एस-35019(188)/75-पी०एफ० 2(i)]

S.O. 2098.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Y. S. Prabhoo and Sons, Karnataka Chamber Buildings, Jayachamraj Nagar, Hubli-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act, to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1975.

[No. S. 35019(188)/75-PF.II(i)]

का० आ० 2099 —कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् 1 जनवरी, 1975 से मैसर्स वाई० एस० प्रभो एण्ड सन्स कर्नाटक चेम्बर बिल्डिंगस जय चामराज नगर, हुबली-20, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35019(188)/75-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 2099.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter hereby specifies with effect from the first day of January, 1975, the establishment known as Messrs Y. S. Prabhoo and Sons, Karnataka Chamber Buildings, Jayachamraj Nagar, Hubli-20 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(188)/75-PF.II(ii)]

का० आ० 2100.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हरिहर पोली फाइबर्स, कुमार पटटनम डाकघर नवगल, रानी बेनूर तालुका जिला धारवार जिसमें (1) बंगलौर (2) शिमोगा स्थित इसके कारखाने भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 की जनवरी, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019 (189)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 2100.—Whereas it appears to the Ceentral Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Harihar Poly Fibers Kumar Patanam, Post Office Navagal, Ranebennur Taluk, Dharwar District, including its branches at (1) Bangalore and (2) Shimoga, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies provisions of the said Act, to the said establishment.

This notification shall be deemed to leave come into force on the first day of January, 1975.

[No. S. 35019(189)/75-PF.II]

का० आ० 2101—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स माइक्रो मोटर्स, सोहम पेंशन, महात्मा गांधी रोड, सिकन्दराबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 मई, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[स० एस०-35019(195)/75 पी० एफ० 2(i)]

S.O. 2101.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Micro Motors, Sohan Mansion, Mahatma Gandhi Road, Secunderabad have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act, to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of May, 1975.

[No. S. 35019/195/75-PF.II(i)]

का० आ० 2102.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 मई, 1975 से मैसर्स माइक्रो मोटर्स, सोहम पेंशन, महात्मा गांधी रोड, सिकन्दराबाद नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[संख्या एस०-35019(195)/75 पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 2102.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty-first day of May, 1975, the establishment known as Messrs Micro Motors, Sohan Mansion, Mahatma Gandhi Road, Secunderabad for the purpose of the said proviso.

[No. S. 35019/195/75-P.F. II(ii)]

का० आ० 2103.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दी कच्छ सौराष्ट्र साल्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, डी 10-11, मनमोहन मार्केट, जामनगर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध के उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 अक्टूबर, 1973 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस०-35019(204)/74 पी० एफ० 2]

S.O. 2103.—Whereas it appears to the Central Government that the Employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. The Kutch Saurashtra Salt Manufacturer's Association, D-10-11, Manmohan Market, Jamnagar, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of October, 1973.

[No. S. 35019(204)/74-PF. II]

का० आ० 2104.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि कन्नानोर वीवर्स इण्डस्ट्रियल को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सं० एच० एल०, आई एन डी सी 3, ग्राम चिरक्कल, तालुका कन्नानोर राज्य केरल, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(207)/75 पी० एफ० II]

S.O. 2104.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Cannanore Weavers Industrial Cooperative Society Limited, No. HL. IND. C. 3, Chirakkal Village, Cannanore Taluk, Kerala State, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1975.

[No. S. 35019(207)/75-PF. II]

का० आ० 2105.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दी लोकनाथ वीवर्स इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, संख्या एल० एम० 99 चोव्वा, कन्नोर-6 (केरल), नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के नवम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(210)/75-पी० एफ 2]

S.O. 2105.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Loknath Weaver's Industrial Co-operative Society Limited, No. LL. 99, Chevva, Cannanore-6, (Kerala) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1975.

[No. S. 35019(210)/75-PF. II]

का० आ० 2106.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स माथृभूमि प्रेस इम्प्लाईज कोआपरेटिव मल्टी पर्पज सोसाइटी लिमिटेड नं० एफ० 1143 माथृभूमि बिल्डिंग्स, राबन्सन रोड, कलीकट-1 (केरल) नामक स्थापन से सम्बन्द्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती ।

यह अधिसूचना 1975 के नवम्बर, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(211)/75-पी० एफ० (2) i]

S.O. 2106.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Mathrubhumi Press Employees' Co-operative Multipurpose Society Limited, No. F. 1143, Mathrubhumi Buildings, Robinson Road, Calicut-1 (Kerala) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1975.

[No. S. 35019(211)/75-PF. II(i)]

का० आ० 2107 —केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 नवम्बर, 1975 से मैसर्स माथृभूमि प्रेस इम्प्लाइज कोआपरेटिव मल्टीपरपज सोसाइटी लिमिटेड नं० एफ 1143 माथृभूमि बिल्डिंग्स, राबिन्सन रोड़, कालीकट-11-(केरल) मानक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35019 (211)/75-पी० एफ० 2 (ii)]

S.O. 2107.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of November, 1975, the establishment known as The Mathrubhumi Press Empolyees' Cooperative Multipurpose Society Limited No. F. 1143, Mathrubhumi Buildings, Robinson Road, Calicut-1 (Kerala) for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(211)/75-PF. II(ii)]

का० आ० 2108 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कन्नापुरम वीवर्स कोआपरेटिव प्रोडक्शन एण्ड सेल्स सोसाइटी लिमिटेड संख्या एच० 206, कन्नापुरम डाकघर, चीरुकुन्नु, कन्नानोर जिला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के नवम्बर, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(212)/75पी० एफ० 2]

S.O. 2108.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Kannapuram Weaver's Co-operative Production and Sales Society Limited, No. H. 206, Kannapuram Post Office Cherukunnu, Cannanore District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1975.

[No. S. 35019(212)/75-PF. II]

का० आ० 2109 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री कौणल्या वीवर्स इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, संख्या एल० एल० 98, थोट्टडा, कन्नानोर-7, केरल नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना, 1975 के नवम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(213)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 2109.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Kausallya Weaver's Industrial Co-operative Society Limited, No. LL. 98, Thottada, Cannanore-7, Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1975.

[No. S. 35019(213)/75-PF.II]

का० आ० 2110 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स भारत आक्सीजन गैस कम्पनी, 41-नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली-15 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1967 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(220)/75-पी० एफ 2]

S.O. 2110.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Bharat Oxygen Gas Company, 41-Najafgarh Road, New Delhi-15, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1967.

[No. S. 35019(220)/75-PF. II]

का० आ० 2111.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इण्डियन मैडीसिन सेल्स हाउस, डूबा गुण्टा निवास, एलुरु रोड़, गवर्नपेट, विजयवाड़ा-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एम० 35019(227)/75पी०एफ०-2]

S.O. 2111.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Indian Medicine Sales House, "Dulragunta Nivas", Eluru Road Governpet Vijayawada-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1975.

[No. S. 35019(227)/75-PF. II]

का० आ० 2112.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बी०पी० सी० एसोशिएट्स, 1074 चौथा 'टी' ब्लाक, 36-ई क्रास, जयनगर, बंगलौर-11 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स० 35019 (230)/75-पी० एफ-2-(i)]

S.O. 2112.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Beepeecee Associates-1074, 4th 'T' Block, 36-F, Cross, Jayanagar, Bangalore-11, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1975.

[No. S. 35019(230)/75-PF. II(i)]

का० आ० 2113.— केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अक्टूबर, 1975 से मैसर्स बी० पी० सी० एसोशिएट्स 1071 चौथा 'टी' ब्लाक 36-ई क्रास, जयनगर बगलौर-11 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एम-35019(230)/75-पीएफ०2(ii)]

एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव

S.O. 2113.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of October, 1975, the establishment known as Messrs. Beepeecee Associates, 1074, 4th 'T' Block, 36-E, Cross, Jayanagar, Bangalore-11, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(230)/75-PF. II(ii)]
S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली 21 मई, 1976

का० आ० 2114— कोमाइट खानो मे नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरो को नियत करने के लिए कतिपय प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 4364 तारीख 22 सितम्बर, 1975 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 4 अक्टूबर, 1975 के पृष्ठ 3616-3619 पर उन सभी व्यक्तियो की जानकारी के लिए प्रकाशित की गई थीं, जिनके उनसे प्रभावित होने की सम्भावना थी तथा राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति तक उनसे आक्षेप और सुझाव मागे गए थे,

और उक्त राजपत्र जनता को 4 अक्टूबर, 1975 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और उक्त प्रस्थापनाओं के बारे में प्राप्त आक्षेपो और सुझावो पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में यथा विनिर्दिष्ट क्रोमाइट खानों के नियोजन में नियोजित कर्मचारियो के प्रवर्गों को देय उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरो को नियत करती है। और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	प्रतिदिन मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
क्रोमाइट खाने	रु० पै०
अकुशल	
आया, परिचर, बेकर (हस्त साधित्रों का प्रयोग करने वाला), बेलदार (कैन्टीन), चौकीदार, क्लीनर रसोइया, सहायक, हथौड़िया, भारवाहक, लौरी सहायक, ट्रिमर मजदूर (पुरुष/स्त्री), कार्यालय परिचर, चपरासी, संदेश वाहक, सर्वेक्षण खलासी, झाड़ूकश (पुरुष/स्त्री), सफाई परिचर, सरफेस लैण्टर, पानी वाला, पानी वाहक, लकड़, हारा, अन्य प्रवर्ग जो अकुशल हैं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों।	5-80
अर्द्धकुशल या अकुशल पर्यवेक्षी	
उत्स्फाट (ब्लास्टर) का सहायक, फिटर का सहायक सहायक ड्रिल प्रचालक परिचर प्रवर्ग 'ग' सहायक यांत्रिक बैकमैन बेकर (यांत्रिक साधियो का प्रयोग करने वाला), बढ़ई एवं रसोइया, रखवाल, रसोइया, चैकर, चार्जकक्ष सहायक औषधालय, सहायक, मवेशगार (बढ़ाई, लुहार, राजगीर, यांत्रिक खनन), हथौड़िया, बत्तीधर सहायक पम्प प्रचालक, माली, खनन संगी, यांत्रिक सहायक, हरकारा, पोएन्ड्समैन, प्रतियक (सैम्पलर), टेलीफोन परिचारक, टिम्बर मैन, अप्रशिक्षित शिशुगृह परिचारक, सवातन पंखापरिचारक/ अन्य प्रवर्ग जो अर्धकुशल या पर्यवेक्षकी है, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो।	7-25

1	2
कुशल —	
एयरविंच कर्षण प्रचालक, आटो बिजली मिस्त्री, पेंटर, लुहार, उम्फोटक, कम्प्रेसर प्रचालक, ड्राइवर, कंक्रीट मिश्रक प्रचालक, चार्जमैन, बढ़ाई, कपाउन्डर, रसायनज्ञ, ड्रिल प्रचालक, ड्रिल यांत्रिक आटो ड्राइवर, बिजली मिस्त्री, वैलार प्रचालक, फोरमैन, फिटर, फैरी ड्राइवर, होयस्ट प्रचालक, ड्राइवर, इमको ड्राइवर, जारीकर्ता, लौरी ड्राइवर, लोको ड्राइवन, लोको ड्राइवर, लोडर प्रचालक यांत्रिक लाईन मैन, राजगीर, दाई, मिस्त्री, पम्प प्रचालक, ड्राइवर, कुशल मजदूर पर्यवेक्षक (यांत्रिक), पर्यवेक्षक विद्युत, प्रस्तर क्रशर (स्टीन क्रशर) प्रचालक, सर्वेक्षक, वरिष्ठ यांत्रिक, टरनर, टिम्बर मिस्त्री, वायरमैन, वैल्डर, संकर्म मिस्त्री खनन इंजन प्रचालक, प्रभावी पहरा व निगरानी, अन्य प्रवर्ग जो कुशल है, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो।	8.70
लिपिकीय.—	
रोकड़िया, सहायक, लिपिक, पत्रिका लिपिक, खजांची, मुंशी, अभिलेखपाल। फाइल लिपिक, भण्डारी समयपाल आशुलिपिक, टकक, अन्य प्रवर्ग जो लिपिकीय है, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो। . .	8.70

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए

1. (क) अकुशल कार्य से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमे बहुत थोड़ी या कुछ भी कुशलता या कार्य का अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हों ;

(ख) अर्धकुशल कार्य से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमे कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ;

(ग) कुशल कार्य से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमे कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षण के रूप मे या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण मे के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेक बुद्धि आवश्यक है।

2. इस अधिसूचना द्वारा नियत प्रस्थापित मजदूरी की न्यूनतम दरे सब सम्मिलित दरें है जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायत पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हो, का नकदी मूल्य, सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

3 इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरे ठेकेदारो द्वारा लगाए गए कर्मचारियों को भी लागू है।

4. जहां संविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा नियत दरो से उच्चतर है, वहां उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी समझी जाएगी।

5 अठारह वर्ष से कम आयु के और अक्षमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यवस्क कर्मकारो के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरो की क्रमशः 80 प्रतिशत और 70 प्रतिशत होगी।

[सं० एस० 32019 (8)/75 डब्लू० सी० (एम० डब्लू०)[

New Delhi, the 21st May, 1976

S.O. 2114.—Whereas certain proposals to fix the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in chromite mines, were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section (5) of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), at pages 3616-3618 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 4th October, 1975 under the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour number S.O. 4364, dated the 22nd September, 1975, for the information of, and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of three months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas, the said Gazette was made available to the public on the 4th October, 1975;

And whereas, the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby fixes, the minimum rates of wages as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in chromite mines as specified in the corresponding entries in column 1 of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
CHROMITE MINES	
UNSKILLED	
Ayah, Attendant, Breaker (using Manual appliances), Beldar (Canteen), Chowkidar, Cleaner, Cook-helper, Hammer-man, Loader, Lorry helper, Trammer Mazdoor (Male/Female), Office-boy, Peon/Messenger, Survey Khalasi, Sweeper (Male/-Female), Scavanger, Surface Lander, Watchman, Waterman, Water Carrier, Wood Cutter, other categories by whatever name called which are unskilled	Rs. 5.80
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY	
Assistant to Blaster, Assistant to Fitter, Assistant Drill Operator, Attendant 'C' Category, Assistant Mechanic, Banksman, Breaker (using Mechanical appliances), Butler-cum-Cook, Caretaker, Cook, Checker, Charge Room Assistant, Dispensary attendant, Helper (Carpenter, Blacksmith, Mason, Mechanic, Mining), Hammerman, Lamp-room Attendant, Pump Attendant, Mali, Mining mate Mechanical Helper, Mail Runner, Points-man, Sampler, Telephone attendant, Timberman, Untrained Crethe attendant, Ventilation-Fan-Attendant. Other categories by whatever name called which are semi-skilled/Unskilled Supervisory.	Rs. 7.25
SKILLED	
Airwinch Haulage Operator, Auto-Electrician, Painter, Blacksmith, Blaster, Compressor-Operator/Driver, Concrete mixer Operator, Chargeman, Carpenter, Compounder, Chemist, Drill Operator, Drill Mechanic, Driver Auto Electrician, Aireless Operator, Foreman, Fitter, Ferry Driver, Host Operator/Driver, IMCO Driver, Issuer, Lorry driver, Loco Driver, Loader Operator, Lineman, Mechanic, Mason, Midwife, Mistry, Pump Operator/Driver, Skilled Mazdoor, Supervisor (Mechanic), Supervisor Electrical, Stone crusher Operator,	

(1)	(2)
Surveyor, Senior Mechanic, Turner, Timber Mistry, Wireman, Welder, Work Mistry, Mining Engine Driver, Incharge, Watch & Ward. Other categories by whatever name called which are skilled	Rs. 8.70
CLERICAL	
Accountant, Assistant, Clerks, Magazine Clerk, Cashier, Munshi, Record Keeper/File Clerks, Store Keeper, Stenographer, Time-keeper, Typist, other categories by whatever name called which are clerical	Rs. 8.70

EXPLANATIONS:—

1. For the purposes of this notification,—

(a) "unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work;

(c) "skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

2. The minimum rates of wages fixed by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

3. The minimum, rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

4. Where the existing rates of wages based on contrac or agreement are higher than the rates fixed by this notification, the higher rates shall be treated as minimum rates of wages for the purposes of this notification;

5. The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80% and 70% respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

[No. S. 32019(8)/75-WC(MW)]

नई दिल्ली, 28 मई, 1976

का० आ० 2115.—आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान राज्यों में स्थित अभ्रक खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए और ऊपर निर्दिष्ट राज्यों से भिन्न राज्यों में स्थित अभ्रक खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत करने के लिए कतिपय प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 4241 तारीख 9 सितम्बर 1975 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 27 सितम्बर, 1975 के पृष्ठ 3553-3555 पर, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की गई थी, जिनके उनसे प्रभावित होने की सम्भावना थी तथा राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र जनता को 27 सितम्बर, 1975 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और उक्त प्रस्थापनाओं के बारे में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1659 तारीख 27 जून, 1960 के साथ पठित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948 का 48) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा अभ्रक खानों में नियोजित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी की दरों को नियत करते हुए जारी की गई अधिसूचनाओं को अधिक्रान्त करते हुए, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में यथा विनिर्दिष्ट अभ्रक खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को देय, उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथाविनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरें, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान राज्यों में स्थित अभ्रक खानों में नियोजित कर्मचारियों के सम्बन्ध में पुनरीक्षित करती है और ऊपर विनिर्दिष्ट से भिन्न राज्यों में स्थित अभ्रक खानों में नियोजित कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियत करती है और निर्देश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची

कर्मचारियों की श्रेणियां	न्यूनतम मजदूरी की प्रतिदिन दर
1	2
अभ्रक खान	रु० पै०
अकुशल :—	
मजदूर (पुरुष या स्त्री) क्लीनर, सफाई परिचर संदेय वाहक/कार्यालय परिचर, पहरेदार, खलासी, सहायक, पानी वाला, मवदगार, भारवाहक, कुली, माली, कोई अन्य प्रवर्ग जो अकुशल है, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों।	5.80* 6.96@
अर्धकुशल:—	
हथौड़िया, प्रधान कुली, अभ्रक काटने वाला-श्रेणी 2 छटाईकार ड्रेसर-श्रेणी 2, गेज कर्मकार, डिस्क कर्मकार, परिचर, रसोइया, विस्फोटक वाहक, गनमैन, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर, श्रेणी 2, शीअरर, वैस्ट कटर, सहायक फिटर, कोई अन्य प्रवर्ग जो अर्धकुशल प्रकृति के है, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों।	7.25* 8.70@
कुशल:—	
ड्रिलर उत्स्फोटक, मिस्त्री, अभ्रक काटने वाला श्रेणी-1 बढ़ई लोहार ड्रेसर श्रेणी 1, खनन मैट, इंजन ड्राईवर, फिटर, टर्नर, बिजली मिस्त्री, सांचेकार, बैल्डर वाहन ड्राइवर	

1	2
राजगीर, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर श्रेणी 1, फायरमैन, शाट फायरर, कम्प्रैसर ड्राइवर, यांत्रिक, पम्प फैन ड्राइवर, ग्राइन्डर, सिरदार, लैथमैन कोई अन्य प्रवर्ग जो कुशल है, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों। . .	8 70* 10 41@
लिपिकीय:—	
लेखापाल, टंकक/आशुलिपिक, लिपिक कम्पाउंडर, भाण्डारी, प्रभारी, पारी प्रभारी, टाइमकीपर, रोकड़िया, शिशुगृह परिचर, पर्यवेक्षी, कोई अन्य प्रवर्ग जो लिपिकीय है, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों।	8.70

*भूमि के ऊपर काम करने के लिए

@भूमि के नीचे काम करने के लिए

स्पष्टीकरण:—

1. इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायत पर किए गए प्रदायों यदि कोई हो, का नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को भी लागू है।

3. जहां संविदा/करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों से उच्चतर है, वहां उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी समझी जाएगी, और

4. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए—

(क) "भूमि के ऊपर" और "भूमि के नीचे" पदों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 2 की उपधारा (2) में दिए गए हैं।

(ख) अकुशल कार्य से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी या कुछ भी कुशलता या कार्य का अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हों;

(ग) अर्धकुशल कार्य से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(घ) कुशल कार्य से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिशु के रूप या किसी तकनीकी या व्यवसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. 18 वर्ष से कम आयु वाले तरुण व्यक्तियों और निशक्त व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मकारों के लिए अधिसूचना द्वारा नियत की गई दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 70 प्रतिशत होगी।

[सं० 32019(14)/75-डब्लू०सी०(एम डब्लू)]

New Delhi, the 28th May, 1976

S.O. 2115.—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Mica mines situated in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Tamil Nadu and Rajasthan and to fix minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Mica mines situated in the States other than those referred to above, were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), at pages 3553-3555 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 27th September, 1975, under the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour number S.O. 4241 dated the 9th September 1975, for the information of, and inviting objections and suggestions from, all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of three months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas, the said Gazette was made available to the public on the 27th September, 1975;

And whereas, the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) read with notification of the Government of India, in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1659 dated the 27th June, 1960, and in supersession of the notifications issued by the Governments of the States of Andhra Pradesh, Bihar, Tamil Nadu and Rajasthan fixing the minimum rates of wages of employees employed in employments in Mica Mines, the Central Government, after consulting the Advisory Board, in relation to the employees employed in Mica Mines situated in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Tamil Nadu and Rajasthan, revises and in relation to employees employed in Mica Mines situated in the States other than those referred to above, fixes, the minimum rates of wages as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in Mica Mines as specified in the corresponding entries in column 1 of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

THE SCHEDULE

Categories of employees	Minimum rates of wages per day
UNSKILLED	
Mazdoor (Male and Female) Cleaner, Scavanger, Messenger/Office Boy, Watchman, Khalasi, Waterman, Helper, Loader, Coollies, Mali, any other categories by what so ever name called which are of unskilled nature.	Rs. 5.80 (for work above ground) Rs. 6.96 (for work below ground)
SEMISKILLED	
Hammerman, Head Cooly, Mica cutter-Grade II, Sorter, Dresser-Grade II, Gauge Worker, Disc Worker, Attendant, Cook, Explosive Carrier, Gun Man, Winding Engine Driver Grade-II Shearers, Waste Cutter, Assistant fitter, any other categories, by what so ever name called. which are of semi-skilled nature.	Rs. 7.25 (for work above ground) Rs. 8.70 (for work below ground)
SKILLED	
Driller, Blaster, Mistry, Mica cutters, Grade I, Carpenter, Blacksmith, Dresser Grade-I, Mining Mate, Engine Driver, Fitter, Turner, Electrician, Moulder, Welder, Vehicle Driver, Mason, Winding Engine Driver Gr. I Fireman	Rs. 8.70 (for work above ground) Rs. 10.44 (for work below ground)

1	2
Shot Firer Compressor Driver, Mechanic, Pump Fan Driver, Grinders, Sirdar, Latheman, any other categories by what so ever name called which are of skilled nature	
CLERICAL	
Accountant, Typist/Steno, Clerk, Compounder, Store Keeper/Incharge, shift Incharge, Time Keeper, Cashier, Creche Attendant, Supervisory, any other categories by what so ever name called which are of clerical nature.	Rs. 8.70

Explanations—

1. the minimum rates of wages fixed by this notification are all inclusive rates of wages and include the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessions, if any, in respect of supplies of essential commodities and also the wages payable for the weekly day of rest;

2. the minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also;

3. where the existing rates of wages based on contract or agreement are higher than the rates fixed by this notification, the higher rates shall be treated as minimum rates of wages; for

4. for the purposes of this notification—

(a) the expressions "above ground" and "below ground" shall have the meanings assigned to them in sub-section (2) of section 2 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952).

(b) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(c) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(d) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

5. The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80% and 70% respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

[S-32019(14)/75-WC(MW)]

नई दिल्ली, 29 मई, 1976

का० आ० 2116.—बाक्साइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कतिपय प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (i) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 4242 तारीख 10 सितम्बर, 1975 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 27 सितम्बर, 1975 के पृष्ठ 3545–3556 पर, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की गई थी, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी तथा राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र जनता को 27 सितम्बर, 1975 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और उक्त प्रस्थापनाओं के बारे में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (i) के खंड (iii) और धारा 4 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 399(अ) तारीख 17 जुलाई, 1973 को अधिक्रांत करते हुए मलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (i) में यथा विनिर्दिष्ट, बाक्साइट खानों के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को देय उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में तत्संबन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है, और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	मजदूरी की दिन प्रतिदिन न्यूनतम दर
1	2
	रु० पै०
बाक्साईट खान	
अर्धकुशल	
(1) क्लीनर (2) मजदूर (पुरुष/स्त्री) (3) खनक (4) कार्यालय परिचर (5) चपरासी (6) पिकर (पुरुष/स्त्री) (7) साडूकश (8) चौकीदार (9) पानी वाहक (10) अन्य प्रवर्ग जो अकुशल हैं, चाहे वे किसी नाम से ज्ञात हों . . .	5.80
अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	
(1) सहायक ड्रिलर (2) बुलडोजर खलासी (3) बढ़ई सहायक (4) कुशर प्रचालक सहायक (5) कैंटीन परिचर (6) माली (7) मेट (एम० एम० नियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र रहित, (8) कुकदम (एम० एम० नियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र रहित) (9) सेम्पलर (10) टल शार्पनर (11) अन्य प्रवर्ग जो अकुशल पर्यवेक्षी है, चाहे वे किसी नाम से ज्ञात हों . . .	7.25
कुशल	
(1) चर्मकार (2) उत्फोटक (शाट फायर) (3) बढ़ई (4) कुशर प्रचालक (5) परिसर (6) कम्प्रेसर ड्रिलर (7) ड्रिलर (8) ड्राइवर (9) मिस्त्री (10) फिटर (11) यांत्रिक (12) मेट (एम० एम० नियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र सहित) (13) शक्तिचालित शावर प्रचालक (14) पम्प ड्राइवर (15) बिजली और पम्प हाउस प्रचालक (16) पम्प प्रचालक (17) पर्यवेक्षक (18) ट्रैक्टर प्रचालक (19) अन्य प्रवर्ग जो कुशल है चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों	8.70

1	2
लिपिकीय	
(1) लिपिक (2) मुंशी (3) आशुलिपिक (4) टंकक (5) अन्य प्रवर्ग जो लिपिकीय है चाहे वे किसी नाम से ज्ञात हों . . .	8.70

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

1. इस अधिसूचना द्वारा नियत न्यूनतम दरें सभी सम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायत पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हो, का नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है ।

2. इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा लगाए गए कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के या असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के सक्षम कर्मकारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों की क्रमशः 80 प्रतिशत और 70 प्रतिशत होगी ।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ा या कुछ भी कुशलता या कार्य का अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं ;

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने के योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य अनुभव से अथवा शिशु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिनके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है ।

5. जहां संविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों से उच्चतर है वहां ऐसी दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ मजदूरी की न्यूनतम दरें समझी जाएंगी ।

[सं० एम० 32019(11)/75—डब्ल्यू० सी० (एम० डब्ल्यू)]

हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

New Delhi, the 29th May, 1976

S.O. 2116.—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Bauxite mines, were published as required by Clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), at pages 3555-3556 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th September, 1975 under the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour Number S.O. 4242, dated 10th September, 1975, for the information of, and inviting objections and suggestions from, all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of three months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And Whereas, the said Gazette was made available to the public on the 27th September, 1975;

And Whereas, the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government,

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) number S.O. 399(E), dated the 17th July, 1973 the Central Government after consulting the Advisory Board revises, the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employment in Bauxite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that the notification shall come into froce on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
BAUXITE MINES	Rs. p
UNSKILLED	
(1) Cleaner, (2) Mazdoor (Male/Female), (3) Miner, (4) Office Boy' (5) Peon, (6) Picker (Male/Female), (7) Sweeper, (8) Watchman, (9) Water Carrier, (10) Other categories by whatever name called which are unskilled	5.80
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY	
(1) Assistant Driller' (2) Bull-Dozer Khalasi (3) Carpenter Helper, (4) Crusher Operator Helper, (5) Canteen Boy, (6) Gardner/Mali, (7) Mate without competency certificate under MMR-1961), (8) Muccadum (without competency certificate MMR-1961), (9) Sampler, (10) Tool Sharpener, (11) Other Categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory . ..	7.2 5
SKILLED	
(1) Blacksmith, (2) Blaster (shor firer), (3) Carpenter, (4) Crusher operator, (5) Compressor Attendant, (6) Compressor Driller, (7) Driller, (8) Driver, (9) Electrician, (10) Fitter, (11) Mechanic, (12) Mate (with competency certificate under MMR-1961), (13) Power Shovel Operator, (14) Pump Driver, (15) Power and Pump House Operator, (16) Pump Attendent, (17) Supervisor, (18) Tractor Operator, (19) Other categories by whatever name called which are skilled	8.70
CLERICAL	
(1) Clerk, (2) Munshi, (3) Stenographer, (4) Typist, (5) Other categories by whatever name called which are clerical	8.70

EXPLANATIONS —

1. The minimum rates of wages fixed by the notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities, and include also the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages fixed by the notification are applicable to employees engaged by contractors also.

3. The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80% and 70% respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

4. For the purposes of this notification —

(a) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skills or experience on the job;

(b) "semi-skilled work" means work which involves some degree of skills or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work;

(c) "skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance which called for initiative and Judgment;

5. Where the existing rates of wages based on contract or agreement are higher than the rates fixed by this notification, the higher rates shall be treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

[No. S. 32019(11)/75-WC(MW)]
HANS RAJ CHHABRA, Dy. Scy.

S.O. 2117.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Dibrugarh in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Assam Oil Company Limited, Digboi and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th May, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASSAM AT DIBRUGARH

PRESENT :

Shri G. N. Borah, M.A., LL.B., Barrister-at-law,—Presiding Officer, Central Govt. Industrial Tribunal, Dibrugarh (Assam).

In the matter of an industrial dispute

BETWEEN

The Management of M/s. Assam Oil Company, Limited, P.O. Digboi, Assam.

AND

Their Workmen represented by Assam Oil Company Labour Union, Digboi.

Reference No. Central 5 of 1968

APPEARANCES :

For the Management—Shri A. Bhowmik, Advocate.

For the Union—Shri A. B. Roy, Advocate.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) by its Order No. 25/18/67-LR.I dated 1st March, 1968 was pleased to refer an industrial dispute existing between the management of Messrs. Assam Oil Co. Ltd., Digboi, and their workmen represented by Assam Oil Company Labour Union, Digboi, to my predecessor Shri S. C. Barua, and then Presiding Officer, Industrial Tribunal, Dibrugarh under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, as amended, for adjudication of the following issue :—

Whether the dismissal of Shri K. T. Das, Regd. No. 26154 with effect from the 13th December, 1966 by the management of Messrs. Assam Oil Company Limited, Digboi, is justified, and if not, to what relief is he entitled ?

On receipt of this Notification, this reference was duly registered and notice was issued to the parties to file their Written Statements and in response to this notice the parties filed their Written Statements. The management also filed their Additional Written Statement. Thereafter, my predecessor Shri S. C. Baruah retired from service and I was appointed in his position when on 23-6-1970 I received a petition from the Union on behalf of the workman praying for expeditious hearing of this case. The Govt. was thereafter moved to insert my name in the order of reference in place of Shri S. C. Barua to enable me to entertain this reference. The Central Govt. accordingly by their Notification No. 25(18)/67-LRI (I.R IV) dated 27-11-1970 was pleased to appoint me as the Presiding Officer for purpose of this reference in place of Sri S. C. Barua and proceed with the case from the stage at which it is transferred and dispose of the same according to law.

Thereafter the parties were heard and this Tribunal was pleased to pass an award to the effect that the dismissal of the workman Sri K. T. Das was not justified and that he should be reinstated in service.

Agrieved by this award the management moved a writ petition before the Hon'ble High Court at Gauhati and the High Court was pleased to set aside the award and send the reference on remand back to this Tribunal with certain direction. The relevant portion of the judgment and Order of the Hon'ble High Court is reproduced below :—

> From the above decision, it appears that where the order of dimissal is found to be invalid on any of the recognised grounds, normally there should be an order of reinstatement, but such order must not be mechanical. The Tribunal must go into the circumstances of each case and come to a decision whether an order of reinstatement would subserve industrial peace and justice. We are also of the opinion that merely because the management did not specifically plead any special circumstances, the Tribunal would not be required to give its consideration before passing an Order of reinstatement after its sets aside the order of dismissal. In each case, irrespective of whether the management has taken the plea or not, if the relevant circumstances are clear or facts on record so disclosed the tribunal must consider whether an Order of compensation would not be more just and appropriate than an order of reinstatement. In the instant case, the Tribunal has overlooked this aspect of the matter, in directing the order of reinstatement more or less mechanically.
>
> Taking into consideration the fact that the learned Presiding Officer of the Tribunal based his finding, to a material extent, on the purported admission of the management, which we do not find from the records to exist, and also in view of the fact that he had taken into his consideration the statements of two persons made before the domestic enquiry when it is not clear whether these statements were, in fact produced by the management or workman and not objected to by the other party, we are of the opinion that the order and finding of the Tribunal cannot be sustained. We, accordingly, set aside the order of the learned Tribunal and direct that this matter be taken into its file and the reference be disposed of in accordance with law, in the light of the observations made above. While doing so, the Tribunal will also consider the passing of any order of reinstatement, if it be necessary so to do, in light of the decision cited above. The parties, if they so desire, will be allowed to adduce further evidence in accordance with law.

On receipt of above order of the Hon'ble High Court notice was again issued to the parties to enter appearance and contest the case if they so desired and on receipt of this notice the parties appeared and the affected workman moved a petition praying for an interim relief on the ground that the High Court granted some relief to the workman during the pendency of the hearing at that court and for ends of justice the same relief should be granted by this Tribunal till the disposal of this case. The petition was heard and before this Tribunal passed and orders on this petition the affected workman moved another petition on 1-10-1975 for expeditious hearing of this case on the grounds of hardship. As the Tribunal fell some difficulty in granting interim relief, this case was fixed for hearing on 17-11-1975 and for several subsequent dates in course of which the workman examined one witness on his behalf and proved no fresh documents. The management did not examine any witness and preferred to rely on the papers already before this Tribunal. The parties thereafter argued this case before me.

The workman was charged of the offence of gross negligence of duties on the following facts. He was on night duty at the Compressor Station No. 2 in which there were good number of machines and meters. While has was on duty the gaspipe connecting one of the meter was found cut and the mercury stolen from that meter. Certain amount of mercury also lay split on the floor under the meter. The management alleged that as this workman was in charge of this compressor station and this incident occurred during his duty hours he should be responsible. He was accordingly chargesheeted and after an enquiry he was dismissed from service.

The workman's case is that (1) He was never incharge of the meter in question as that meter installed on the left hand side along with that set of meters that load to the oil fields and nothing to do with the engines instated in compressor station. The learned counsel for the workman in this connection submitted that before charging the workman of negligence of duties it has to be first ascertained what were his duties and responsibilities. No job cards are exhibited but from Ex. 8 the learned counsel submits it is clear what are his duties and whatever the vaguence that may have existed in Ex. 8 the learned counsel submits is cleared up by Ex. 2(B).

(2) That the enquiry was defective in so far as (a) workman was not given enough time to prepare his defence (b) that the enquiry was held for two days to the prejudice of the workman in so far as on the first day of the enquiry evidence went entirely in favour of the workman but to improve this situation new witnesses were examined on the subsequent day of the enqiury. One Shri P. L. Dey a worker of the Company designated as meter reader was the earliest person to enter into the Station besides the workman and he deposed to say that he did not hear any hissing sound of gas emanating from the cut pipe. After this witness was examined by the enquiry officer, two other witnesses were examined who stated that they went for inspection to the station after Shri P. L. Dey and they heard the hissing sound from the cut pipe.

(3) The learned counsel for the workman next submitted that the dismissal order Ex.-5 is not in confirmity with the standing order. Under clause XIV (3) Page 9 of the standing order which is Ex.-9 the dismissal order can be passed only by the Manager and when there is no Manager by the employer. Dismissal order is passed by the one Sri M. M. Ispahani who defines himself as Engineer (Engines) and he is not the Manager. Since he is not the Manager, the dismissal order ought to have been passed by the employer viz. the General Manager on behalf of the Company. On these facts, the learned counsel submits that the dismissal order is absolutely wrong on the face of it.

I feel the order of dismissal Ex.-5 ought to be read with Ex.-4. By Ex.4 it is certain that the Technial Manager had knowledge of the matter and he duly authorised the Engineer incharge to give the due punishment to the workman and in persuance of this direction he endorsed Ex.-5. As such I am of the opinion there has been sufficient compliance of the provisions of the relevant section of the standing orders of the Company. Further it is noticed the workman did not challange the competency of the authority in his pleadings nor was this point agitated earlier before this Tribunal passed its earlier award. The High Court also made no observation on this issue. As such I also feel the workman is not entitled to raise this issue now.

As regards the enquiry proceedings on a perusal of the first award passed by this Tribunal it will be noticed that the Tribunal was pleased to reject the proceedings particularly on the ground that adequate opportunity was not given to the workman to defend himself which a violation of the principle of natural justice. But even though this Tribunal rejected the proceedings it chose to rely on the portion of the evidence given by one Shri P. L. Dey before the Enquiry Officer. The learned counsel for the management on this fact argues that once the Tribunal chooses to reject the proceedings it is not up to him to accept any part of it as evidence and pass an order or award on it as it is held a defective enquiry is no enquiry. In support of his contention the learned counsel cites the following rulings of the High Court and Supreme Court.

1. Santilal Chose-Vs.-Industrial Tribunal, Gujarat, reported in 1970 LLJ. Vol. I Page 251 (Gujarat High Court Case).

2. Motipur Sugar Mills reported in 1965 L.L.J. Vol 2 Page 162 (Supreme Court).

These rulings in my opinion only lay down the broad principles regarding domestic enquiries. Enquiry Officer in a Domestic enquiry is in my opinion essentially a fact finding committee. If in the course of such an enquiry certain facts come to light I see no reason why such a fact cannot be accepted although the proceedings may have been rejected on other grounds. The Assam High Court on this matter is of the opinion "We do not see merely because the Tribunal decides to take in to consideration the statements before the domestic enquiry it necessarily commits such an error that its findings must be considered to be perverse or untenable in law". Thus in appropriate cases the Tribunal may take statements made before the enquiry officer in to consideration although the enquiry proceedings may have been rejected as defective. It can be done on application made by the parties or when there is clear evidence that one of the parties wishes to rely on the statement. Sri P. L. Dey who gave statements before the enquiry officer was not examined before this Tribunal at the earlier stage and the Tribunal relied on his Statement before the enquiry officer in the award passed in this reference. This witness was examined before this Tribunal at the resumed hearing and he confirmed what he said in the domestic enquiry. It is the sworn testimony of Sri. P. L. Dey that he entered the compressor Station at 6 A.M. for noting the readings in the meter and he saw some mercury split on the floor but heard to hissing sound of the gas emanating from the cut pipe connecting the meter. As he was the first one to enter the room and he heard no hissing sound, the persons who entered later could not have heard the sound. It can be therefore reasonably presumed that the later two witnesses namely Sri P. K. Borooah and Sri M. L. Malik deposed in order to improve on the management case before the enquiry officer.

Be that as it may, the main point for decision is whether the affected workman has been guilty of the offence charged. As stated above the management case is that the affected workman was in charge of the compressor station and while he was on duty the gas pipe connecting the meter was cut and the mercury was stolen from the meter. He was therefore charged of negligence of duty. Thus it stands to reason that before a person is charged of negligence of duty it must be clearly ascertained what are his duties and how far he was negligent. The management's witnesses have deposed to say that he was in charge of the compressor station, but in support of their statements they could not produce any log book or any other documentary evidence to give an idea to the Tribunal as to what were his specific duties. The Hon'ble High court in its judgement state that the Tribunal is not precluded from taking into consideration oral evidence in absence of documentary evidence and the High Court sent this reference on remand for reconsideration of this part of oral evidence. The Union has now drawn my attention to Ex.-8 which states the nature of duties the compressor station operators are to perform and the responsibilities they have to undertake. It is clear from this Exhibit that the operators of compressor No. 2 are responsible for the smooth working of the machines installed therein and equipments which assist in the working of these machines. It is an admitted fact that the meter in question does not assist the working of the machines. It is in relation to the pipes that go to the fields. Thus the workman is not directly connected with the equipment namely the tempered meter in question and he cannot therefore be technically held responsible for any mischief that may have been done with the meter. But it has been argued before me that even if the workman may not have been directly responsible for the safe custody of the tempered meter he ought to be held responsible as he was in charge of the whole compressor station and all the equipments in that station was in his custody and while this was so, the mischief occurred. Normally this ought to be. But it must be remembered that before the management can make a person responsible for the equipments in a room over which he is not in charge, I feel the management must make out a case first that full security measures were taken to prevent any out-sider from entering into the station and that an out-sider could enter the station only with the knowledge and permission of the station in charge. But in this case it is not so. The compressor station was all open without any security fence. The machines were installed in two rooms one separate from the other at some distance. The second room was known as the annex where there was also an operator. The two sets of meters were however

placed in the first room where the opposite party was the operator. It will appear from Ex.-2(B) the operator of the annex has to come at every hour to the main room to sign the duty chart. It is also in evidence (without any denial) that the operator (opposite party) has to leave his room every hour to go to see the water level of the cooling tower situated at some distance from the compressor station. In the above circumstances it would be unfair indeed to make the affected workman the opposite party guilty of negligence of duty, when the management themselves kept the station without any security fencing and when due to this lack of security other persons on duty and even any out-sider could enter into the room. In this view of the matter it is my considered opinion that the chargeshected workman cannot be held responsible for the incident and charged of negligence of duty.

The next question is whether the reinstatement ordered by this Tribunal is justified or not. The Hon'ble Judges of the High Court said in their judgement that reinstatement should not be granted mechanically. The Tribunal should give special consideration to this matter and should grant reinstatement only in deserving cases. The management argue that their employment list would be upset if the workman is again taken into service. For the person taken in the place of opposite party is now been working for the last 8 years and he would have to face the problem of unemployment if this workman is re-employed. This argument of the management is not understood. In all cases of alleged wrongful dismissal the management has to face this prospect. If the filling of the post occupied by the dismissed workman was indispensable it ought to have been done temporarily. If this was not done the Tribunal cannot be asked to come to their assistance. In any event since the workman has been found "not guilty" of the offence and no reasonable suspesion can be placed on him I think this is a fit case for reinstatement. It is learnt that this workman has still a good number of years of service before he is due retirement and no amount of compensation in lieu of reinstatement can be adequate to him. As such I am of considered opinion that reinstatement with continuity of service and back wages can only meet the ends of justice in this case.

The only issue in this reference is therefore answered as follows :—

The dismissal of Sri K. T. Das. Regd. No. 26154 with effect from the 13th December, 1966 by the management of Messers. Assam Oil Company Limited, Digboi, is not justified and he should therefore be re-instated in his service with back wages and continuity of service.

I give this "Award" on this 22nd day of May, 1976 at Dibrugarh.

[No. 25/18/67-LR. I/D. IV(B)]

G. N. BORAH, Presiding Officer.
Central Govt. Industrial Tribunal,
Dibrugarh (Assam).

New Delhi, the 2nd June, 1976

S.O. 2118.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Arbitrator in the industrial dispute between the management of Bhilai Steel Plant, Bhilai and their workmen, which was received by the Central Government on the 31st May, 1976.

[No. L-26013(1)/75-D-IV(B)]

IN THE MATTER OF ARBITRATION IN THE INDUSTRIAL DISPUTE BETWEEN MANAGEMENT OF BHILAI STEEL PLANT AND THEIR WORKMEN, AS REPRESENTED BY THE SAMYUKTA KHADAN MAZDOOR SANGH OVER THE DISPUTE OF BIFURCATION OF COMMON CADRE OF DESIGN & DRAWING STAFF UNDER ORE MINES & QUARRIES

DEPARTMENT OF BHILAI STEEL PLANT, BHILAI

PRESENT :

Shri S. K. Sanyal,
Engineering Manager,
(Ex-Resident Engineer, MECON, Bhilai)
Metallurgical & Engineering
Consultants (India) Limited
RANCHI 834002.

ARBITRATOR :

Representing Employers.—1. Shri R. P. Singh Asstt. Personel Manager (IR).

2. Shri S. K. Seth, Sr. Personnel Manager (M).

Representing Workmen.—1. Shri C. R. Bakshi, Asstt. Genl. Secretary, Samyukta Khadan Mazdoor Sangh.

The Asstt. General Secretary, Samyukta Khadan Mazdoor Sangh, vide his letter No. SKMS(NM)/ID/74 dated 12th February 1974, raised an industrial dispute over the issue of bifurcation of "Common Cadre" of Drawing & Design staff and consequent supersession of the senior persons under Ore Mines & Quarries Department to the Assistant Labour Commissioner (Central), Raipur. The issue was ceased by the ALC(C), Raipur and discussions were held on various dates. The dispute was finally discussed on 25th July, 1975 and both the parties agreed to resolve the dispute by arbitration of Shri S. K. Sanyal, the then Resident Engineer, Metallurgical & Engineering Consultants (India) Limited, Bhilai. The arbitration agreement to this effect was entered into on 25th May, 1975 by the parties.

The parties were requested on 3rd September, 1975 to file their written statements, endorsing copies thereof to the other parties by 15th September 1975. The Samyukta Khadan Mazdoor Sangh submitted their written statement on 15th September 1975, whereas the Management requested for extension of time. The written statement by the Management was submitted on 24th September 1975. The Management submitted a rejoinder to the written statement of Samyukta Khadan Mazdoor Sangh on 15th October 1975 and the Samyukta Khadan Mazdoor Sangh submitted their rejoinder on 25th October, 1975. The first hearing was held on 14th November, 1975 and the final hearing was held on 16th Febraury, 1976. In all, there were five hearings and four site visits. Both the parties in the dispute have agreed to extend the period of submission of award under arbitration by 30th June, 1976.

The schedule of reference to the arbitration is as follows :

(a) Whether the Drawing & Design staff of Mines Headquarters, who have been excluded from the purview of the production incentive scheme can be legitimately brought within the coverage of the production incentive scheme of Rajhara & Nandini Mechanised Mines ? If so, how and from what date ?

(b) Whether the separation of Drawing & Design staff of OMQ Department from the Design & Drawing staff of the Plant was justified ? If not, what relief the concerned workmen are entitled to ?

As regards reference (a) above, Samyukta Khadan Mazdoor Sangh's contention briefly is as under :

(i) Since beginning, the Design & Drawing staff at Mines Headquarters have been working for day to day operation and maintenance work of Rajhara & Nandini Mines and they have been directly contributing towards production activities of these mines.

(ii) Design & Drawing staff at Mines Headquarters and those working at Rajhara & Nandini Mines belong to the same cadre and similar category of trades. It is, therefore, highly discriminating and unjustified that whereas the Design & Drawing staff posted at the Mines get production bonus, the Design & Drawing staff at the Headquarters were deprived of the same.

(iii) At the Plant, the Design & Drawing staff with Superintendent (Engg. Services) form a central unit for all the Works departments, and have a common cadre with the Design & Drawing staff at the Works departments. Thus, there is an analogy between the Design & Drawing staff of the Plant and the Mines. The Design & Drawing staff at the Works departments get the production incentive in the general group of the department while the Design

& Drawing staff with Superintendent (E.S.) get the incentive on the basis of average of earnings in the basis of average of earnings in the various Works departments. Similarly, for the Mines, the Design & Drawing staff posted at the Headquarters form a Central unit for both Rajhara & Nandini Mines and they also have a common cadre with the Design & Drawing staff posted at the two mines. The Design & Drawing staff at the Mines also get the production incentive in the general group of the mines at which they are posted. So, the Design & Drawing staff posted at the Headquarters should also get the incentive bonus on the basis of average incentive earnings at Rajhara and Nandini Mines.

(iv) The demand of Design & Drawing staff posted at the Headquarters, does not amount to extension of incentive scheme to a new category but to like categories in the Plant & Mines.

(v) A settlement has already been reached with the Management on 17th September 1975, according to which the Design & Drawing staff of Mines Headquarters have been brought under the coverage of the production incentive scheme of Rajhara & Nandini Mines with effect from 1st August 1975 and, thus, their case stands accepted. Since the workmen's demand has already been partly conceded by the Management by bringing them under the incentive coverage w.e.f. 1st August 1975, there is no reason why the benefit should not be given to them with retrospective effect from 1st April 1963 i.e. the date on which the workmen in the like category became elligible to bonus in the Plant and Mines.

The contention of the Management can be summed up as follows :

(i) The Design & Drawing staff at the Mines Headquarters cannot be considered to be the workers employed in the mines. By implication, they are not covered under the definition of the workmen of the ID Act 1947. Incentive schemes of Rajhara & Nandini Mines are self contained and specific regarding categories of persons covered and the Headquarters staff are not included in this category.

(ii) The Design & Drawing staff of Headquarters are not directly contributing to the job which affect production/productivity of mines. Further, they do not exclusively work for the operation of the Rajhara & Nandini Mines, but cater to the service of other areas also.

(iii) Common cadre does not mean that all employees in that cadre are entitled to incentive. Common cadre is formed mainly for providing promotional avenues and incentive is payable only to the workmen who are posted at mines and directly contribute to the production. Further, there are a number of other technical personnel at the Headquarters who are not covered under the scheme applicable to Rajhara & Nandini Mechanised Mines.

(iv) The main bonus scheme of 1961 was subject of adjudication by late Shri SV Merchant. The award does not indicate the coverage of the staff stationed at Headquarters, obviously on the ground that neither ID Act was attracted to the staff nor the scheme initially introduced could cover them for any incentive based on production of Rajhara & Nandini Mechanised Mines.

(v) The Design & Drawing staff was a catagory of workmen who were not initially covered by any incentive scheme and they were an excluded category. The demand as contained in the schedule of reference for arbitration is related to pure and simple extension of a scheme to an excluded group and not to the coverage of the schemes.

(vi) Excluded catagories, including the Design & Drawing staff at the Headquarters have now been brought under the coverage of a new scheme pursuant to the agreement signed with the Union on 7th August, 1975 and with the signing of this agreement, the Union has acquiesced the right to claim any benefit for the excluded categories prior to this date. If the benefit is awarded retrospectively to one excluded category, it would open the flood gates of industrial dispute claiming parity on equality basis for all such excluded categories.

(vii) The claim of Union is stale.

(viii) Any decision to modify the scheme at this belated stage, after a lapse of about 15 years, would adversely affect the economy of the Mines.

Reference (b) :

The Samyukta Khadan Mazdoor Sangh's contention is summarised as follows :

(i) Bifurcation of common cadre of draftsmen on 3rd May 1962 amounted to a change in their service conditions for which a notice of change under Section 9A of the Industrial Dispute Act 1947 should have been given. Since the same was not given, the bifurcation was illegal. Further, as no opinion was asked from the workmen nor any option was given to them before the bifurcation was made, it was also improper.

(ii) The bifurcation did actually harm the future prospect of the workmen in the matter of their promotions, postings, incentive coverage and other service conditions.

(iii) In a similar case of separation of common cadre of Stores staff effected from 1st April, 1964, the Management had asked for the option from the workers.

(iv) OMQ Department is also an operational department. As such, when a common cadre of Design & Drawing staff of all the operational staff was re-constituted w.e.f. 1st April. 1963. The Design & Drawing staff of OMQ should also have been given option to join the common cadre.

(v) A similar case over the question of supersession of rights in the matter of promotion of a Labour Welfare Inspector of Mines Organisation was decided in favour of the Labour Welfare Inspector by the Arbitrators.

(vi) The bifurcation was done pre-judicially to the detriment of the interest of the Design & Drawing staff posted in OMQ Headquarters as most of these workmen were senior to those who were in the Plant. At the Plant, the scope for early promotion was more compared to the Mines. As such, option should have been given to the workmen to join the department of their liking. Further, the Design & Drawing staff of OMQ Deptt. were excluded from the benefit of re-grouping with the common cadre at the Plant only because of the fact that all of them were senior-most persons and if they were re-grouped with their counterparts in the Plant, they would have topped the seniority list and would have got the promotion at first.

The Management's contention can be summarised as follows :

(i) The bifurcation of the common cadre in 1962 and later the re-grouping of only the Works departments in 1964 was done for better administrative control according to the work situation as judged by the Management. The Management's prerogative to make organisational changes for better control and effective service cannot be questioned.

(ii) The bifurcation of the common cadre did not mean any adverse change in the service conditions of the workmen. As the promotional avenue was open to everyone, so no notice of change was required The workmen of the Headquarters at OMQ Deptt. are not in legal sense the workmen of a mine and so ID Act 1947 is not attracted to them. Hence, the question of giving a notice of the change under Section 9A of ID Act 1947 does not arise.

(iii) When the entire Design & Drawing staff of BSP was under a common cadre, their service conditions were regulated under MP Industrial Act 1960, and not under ID Act 1947. On this account also, there could be no question of giving notice under Section 9A of ID Act 1947.

(iv) For more than a decade, the workers did not feel any grievance to be ventilated against the bifurcation and later the re-grouping by keeping silent for such a long period, they have lost the right to claim any benefits now.

(v) Any attempt at re-unification of the entire Design and Drawing staff in a common cadre will dislocate the whole set-up and will disturb the industrial peace, if effected retrospectively.

AWARD

Having considered the case carefully, I give my award as follows :

Reference (a) :

Some legitimate ground exist for bringing the Design & Drawing staff of the Mines Headquarters within the purview of the production incentive scheme. Considering the contribution made by the Design & Drawing staff of the Mines Headquarters to the production and incentive earnings of the Design & Drawing staff in the Rajhara & Nandini Mines, I am of the view that ends of justice will be met if a lump sum amount, as detailed below, is paid to each of the employees of the different catagories for the period between the introduction of the first incentive scheme covering the Design and Drawing staff in the Mines i.e. 1st April 1963 and the introduction of the last incentive scheme covering all categories of staff i.e. 1st August 1975. Part payment to employees who have worked in Design & Drawing Department of Mines Headquarters for part of this time should be made on pro-rata basis :

1. Design Assistant	Rs. 2,800
2. Sr. Draftsman	Rs. 2,600
3. Estimator	Rs. 2,000
4. Draftsman	Rs. 1,500
5. Jr. Draftsman	Rs. 1,100
6. Tracer	Rs. 700

Reference (b) :

I consider that the separation of Design & Drawing staff of OMQ Department from the Design & Drawing staff of the Plant is justified and, hence, the concerned workmen are not entitled to any relief.

I take this opportunity to express my thanks to both the parties for all their cooperation extended to me during the course of hearings of this case.

[No. L-26013(1)/75-D-IV (B)]
S. K. SANYAL, Arbitrator

नई दिल्ली, 4 जून, 1976

का० आ० 2119.—यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि पाइराइटस् खनन उद्योग, जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए ;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ठ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोग सेवा घोषित करती है ।

[एस० 11017/6/76-डी० 1 ए०]

New Delhi, the 4th June, 1976

S.O. 2119.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the Pyrites Mining Industry which is specified in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[S. 11017/6/76/DIA]

आदेश

का० आ० 2120.—यत. भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2242, दिनांक 24 मई, 1971 द्वारा गठित श्रम न्यायालय, जिसका मुख्यालय गुंटुर में स्थित है, के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो गया है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री जी० एस० आनन्द को पूर्वोक्त गठित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है ।

[स० एस 11020/1/76/डी० 1 ए०]
भूपेन्द्र नाथ, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

S.O. 2120.—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the Labour Court with headquarters at Guntur, constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2242 dated the 24th May, 1971.

Now, therefore in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby appoints Shri G. S. Anand as the Presiding Officer of the Labour Court constituted as aforesaid.

[No. S. 11020/1/76/DIA]

BHUPENDRA NATH, Section Officer (Spl.)

नई दिल्ली 4 जून 1976

का० आ० 2121.—कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5-क की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उप-श्रम मंत्री, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, का अध्यक्ष नियुक्त करती है और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 236 दिनांक 16 दिसम्बर, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"उप श्रम मंत्री
भारत सरकार
श्रम मंत्रालय,
नई दिल्ली"

[संख्या बी-20012(1)/75-पी०एफ०-2]
एस० एन० सक्सेना, विशेष कार्य अधिकारी

New Delhi, the 4th June, 1976

S.O. 2121.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints, the Deputy Minister

of Labour, Ministry of Labour, as the Chairman of the Central Board of Trustees and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 326, dated the 16th December, 1975, namely :—

In the said notification for the entry against serial No. 1, the following entry shall be substituted, namely :—

"Deputy Minister of Labour, Ministry of Labour, New Delhi."

[No. V. 20012(1)/75-PF. II]

S. N. SAXENA, Officer on Special Duty

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 8 जून, 1976

का० आ० 2122—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने डभोई टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-7-76 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-11/76-पी एच बी]

पी०सी० गुप्ता, सहायक महानिदेशक (पी०एच०बी०)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 8th June, 1976

S.O. 2122.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of India Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627, dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-7-76 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Dabhoi Telephone Exchange, Gujarat Circle.

[No. 5-11/76-PHB.]

P. C. GUPTA, Asstt. Director General (PHB)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1976

का० आ० 2123.—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि दिल्ली और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (जिन्हें उपराज्यपाल अथवा मुख्य आयुक्त कहते हों) राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन तथा अगला आदेश जारी होने तक नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियम) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) के निम्नलिखित उपबंधों के अन्तर्गत राज्य सरकार के कार्य तथा शक्तियों का प्रयोग करेंगे; नामतः :—

(क) धारा 2 का खण्ड (ध);

(ख) धारा 2 के खण्ड (ण) की व्याख्या के खण्ड (ख) का दूसरा परन्तुक;

(ग) धारा 7 की उप-धारा (2);

(घ) धारा 10 की उपधारा (5);

(ङ) धारा 11 की उप-धारा (1) और (3);

(च) धारा 12 की उप-धारा (1);

(छ) धारा 14 की उप-धारा (1);

(ज) धारा 19 की उप-धारा (1) खण्ड (vi);

(झ) धारा 20;

(ञ) धारा 21 की उप-धारा (1);

(ट) धारा 23 की उप-धारा (1);

(ठ) धारा 24 की उप-धारा (1);

(ड) धारा 31,

(ढ) धारा 35; तथा

(ण) धारा 37.

[सं० यू०-11030/4/76-यू० टी० एल०]

हरीश चन्द्र बक्शी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 29th April, 1976

S.O. 2123.—Inn pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrators (whether known as the Lieutenant Governor or Chief Commissioner) of the Union territories of Delhi and Chandigarh shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the following provisions of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976), namely:—

(a) clause (d) of section 2;

(b) the second proviso to clause (B) of the Explanation to clause (o) of section 2;

(c) sub-section (2) of section 7;

(d) sub-sections (5) of section 10;

(e) sub-sections (1) and (3) of section 11;

(f) sub-section (1) of section 12;

(g) sub-section (1) of section 14;

(h) clause (vi) of sub-section (1) of section 19;

(i) section 20;

(j) sub-section (1) of section 21;

(k) sub-section (1) of section 23;

(l) sub-section (1) of section 24;

(m) section 34;

(n) section 35;

(o) section 37.

[No. U-11030/4/76-UTL]

H. C. BAKSHI, Under Secy.

राजस्व और बैंककारी विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1976

का० आ० 2124—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन आदेश एफ० सं० 673/5/76-सी०शु० VIII तारीख 6-3-1976 को जारी किया था जिसमें निदेश दिया था कि श्री विलोचन सिंह, 7—ख एल्गिन मार्ग, कलकत्ता को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से, प्रेसीडेंसी कारागार, कलकत्ता में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए, और

2 केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके, फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए है,

3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1) (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि वह पुलिस उपायुक्त

गुप्तचर विभाग, लाल बाजार कलकत्ता के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो।

[सं० 673/5/76-सी०शु० VIII]

(Department of Revenue and Banking)

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1976

S.O. 2124.—Whereas the Joint Secrttary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act. 1974 issued order F. No. 63/5/76-Cus. VIII, dated 6-3-1976 under section 3(1) ibid directing that Shri Trilochan Singh, 7-B Elgin Road, Calcutta be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange ; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. The Central Government in exercise of powers under section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby direct the aforesaid person to appear before the Deputy Commissioner of Police, Detective Deptt., Lal Bazar, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the official gazette.

[F. No. 673/5/76-Cus. VIII]

आदेश

का० आ० 2125.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन आदेश एफ० 673/3/76-सी०शु० VIII, तारीख 6-3-1976 को जारी किया था जिसमें निदेश दिया था कि श्री हरकचन्द नाहटा, पुत्र स्वर्गीय भैरुदन नाहटा, 4, जगमोहन मालिक लेन, कलकत्ता-7, को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से, प्रेसीडेंसी कारागार, कलकत्ता में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ; और

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके, फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए है ;

3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1)(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि वह पुलिस उपआयुक्त, गुप्तचर विभाग, लाल बाजार, कलकत्ता के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो।

[सं० 673/3/76-सी०शु० VIII]

सुरजीत सिंह, उप-सचिव

ORDER

S.O. 2125.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No. 673/3/76-Cus. VIII, dated 6-3-76 under section 3(1) ibid directing that Shri Harakchand Nahata S/o the late Bhairudan Nahata, 4, Jagmohann Mullick Lane, Calcutta-7 be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. The Central Government in exercise of powers under section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby direct the aforesaid person to appear before the Deputy Commissioner of Police, Detective Deptt., Lal Bazar, Calcutta within 7 days of the publication of the order in the official gazette.

[F. No. 673/3/76-Cus. VIII]

SURJIT SINGH, Dy. Secy.

(राजस्व पक्ष)

नई दिल्ली, 10 जून, 1976

का० आ० 2126—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 20 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 1/76-स्टाम्प फा० सं० 471/74/76-सीमा-शुल्क VII (का० आ० 329), तारीख 9 जनवरी, 1976 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार, स्टाम्प शुल्क की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट विदेशी करेंसी के भारतीय करेंसी में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की दर उसके स्तंभ 3 में तत्संबंधी प्रविष्टियों में विहित करती है।

सारणी

क्रम सं०	विदेशी मुद्रा	100 रु० के समतुल्य विदेशी करेंसी के विनिमय की दर
1	2	3
1.	आस्ट्रियन शिलिंग	199
2	आस्ट्रेलियन डालर	8.76
3.	बेलियन फ्रैंक	424
4.	कनाडियन डालर	10.77
5.	डेनिश क्रोनर	66.40
6.	ड्वायस मार्क	27.90
7.	डच गिल्डर	29.50
8.	फ्रेंच फ्रैंक	51.30
9	हांगकांग डालर	54.50
10	इटैलियन लीरा	9270
11	जापानी येन	3280
12.	मलयेशियन डालर	28.10
13.	नार्वेइयन क्रोनर	60.50
14.	पौंड स्टर्लिंग	6.2205
15	स्वीडिस क्रोनर	48.20
16.	स्विस फ्रैंक	27.90
17.	अमरीकी डालर	11.0

[सं० 26/76-स्टाम्प/फा० सं० 471/24/76 कस्टम 7]

डी० के आचार्य, अवर सचिव

DEPARTMENT OF REVENUE & BANKING

(Revenue Wing)

STAMPS

New Delhi, the 10th June, 1976

S. O. 2126—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 1/76-Stamps/F. No. 471/74/74-Cus. VII (S.O. 324), dated the 9th January, 1976, the Central Government hereby prescribes in column (3) of the Table below the rate of exchange for the conversion of the foreign currency specified in the corresponding entry in column (2) thereof into the currency of India for the purposes of calculating stamp-duty.

TABLE

Sl. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs. 100
1.	Austrian Schillings	199
2.	Australian Dollars	8.76
3.	Belgian Francs	424
4.	Canadian Dollars	10.77
5.	Danish Kroners	66.40
6.	Deutsche Marks	27.90
7.	Dutch Guilders	29.50
8.	French Francs	51.30
9.	Hong Kong Dollars	54.50
10.	Italian Lire	9270
11.	Japanese Yen	3280
12.	Malaysian Dollars	28.10
13.	Norwegian Kroners	60.50
14.	Pound Sterling	6.2205
15.	Swedish Kroners	48.20
16.	Swiss Francs	27.90
17.	U.S.A. Dollars	11.00

[No. 26/76-Stamps/F. No. 471/24/76-Cus. VII]

D. K. ACHARYYA, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 जून, 1976

का० आ० 2127.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि तामचीनी के बर्तनों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए है तथा उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम II के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है,

अब, अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त उप-नियम के अनुसरण में तथा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1277 ता० 25-4-1966 को अधिक्रांत करते हुए, उक्त प्रस्तावों को उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है।

सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देने की वांछा रखने वाला व्यक्ति, उन्हें इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर', 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

(1) अधिसूचित करना कि तामचीनी के बर्तनों का निर्यात से पूर्व नियंत्रण तथा निरीक्षण होगा।

(2) इस आदेश के उपाबंध-1 में दिए गए तामचीनी के बर्तन के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1976 के प्रारूप के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को, निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व ऐसे तामचीनी के बर्तनों पर लागू किया जाएगा;

(3) इस आदेश के उपाबंध-II में दिए गए विनिर्देशों के अधीन रहते हुए, तामचीनी के बर्तनों के लिए निर्यात-कर्ता द्वारा घोषित, निर्यात संविदा के स्वीकृत विनिर्देशों को, तामचीनी के बर्तनों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे तामचीनी के बर्तन के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करने, जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरणों में से किसी एक द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि ऐसे तामचीनी के बर्तन निरीक्षण की शर्तों को पूरा करते है और निर्यात-योग्य हैं।

इस आदेश में तामचीनी के बर्तनों से घरेलू तथा अस्पतालों के प्रयोग के लिए काचसम तामचीनी (पोर्सिलिन इनेमल) से बनी वस्तुएं अभिप्रेत है।

इस आदेश की कोई भी बात, थल, वायु या समुद्र मार्ग द्वारा तामचीनी के बर्तनों के उन नमूनों के भावी क्रेताओं को निर्यात पर लागू नहीं होगी जिसका पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 125 रु० से अधिक नहीं हों।

यह आदेश सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

उपाबन्ध-1

(पैरा 1 का उप-पैरा 2 देखें)

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 की धारा 17 के अन्तर्गत बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तामचीनी के बर्तनों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1976 है।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

(ग) 'तामचीनी के बर्तनों' से घरेलू तथा अस्पतालों के प्रयोग के लिए काचसम तामचीनी (पोर्सिलिन इनेमल) से बनी वस्तुएं अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार.—तामचीनी के बर्तनो का निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जाएगा कि वे अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य विनिर्देशो के अनुरूप है। इन नियमो की अनुसूची मे दी गई सारणी के अनुसार नमूने लिए जाएगे।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया.—(1) तामचीनी के बर्तनो के निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना लिखित रूप में केन्द्र तथा ऐसी सूचना के साथ, निर्यात संविदा के स्वीकृत विनिर्देशो की घोषणा में से किसी एक को देगा जिससे यह नियम 2 के अनुसार निरीक्षण करने में समर्थ हो सके।

(2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत प्रत्येक सूचना तथा घोषणा प्रेषण की अनुसूचित तारीख से कम से कम दस दिन पहले की जाएगी। साथ ही सूचना की एक प्रति, निर्यात निरीक्षण परिषद् के निम्नलिखित कार्यालयो में से किसी एक को, जो निरीक्षण के स्थान से निकटतम है, देगा, अर्थात्.—

मुख्य कार्यालय . निर्यात निरीक्षण परिषद्
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
14/1-बी, एज़रा स्ट्रीट, आठवी मंजिल,
कलकत्ता-700001

क्षेत्रीय कार्यालय . 1. निर्यात निरीक्षण परिषद्,
अमन चेम्बर्स, पांचवी मंजिल,
113, महर्षि कर्वे रोड,
मुम्बई-400004

2. निर्यात निरीक्षण परिषद्,
मनोहर बिल्डिंग्स, महात्मा गाधी रोड,
एर्नाकुलम्,
कोचीन-682011

3. निर्यात निरीक्षण परिषद्,
13/37, पश्चिमी विस्तार क्षेत्र,
आर्य समाज रोड,
नई दिल्ली-110005

(3) उप-नियम (2) के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर अभिकरण नियम 3 तथा निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इस सबध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशो के अनुसार तामचीनी के बर्तनों का निरीक्षण करेगा।

(4) निरीक्षण पूरा होने के पश्चात्, अभिकरण तुरन्त ही, परेषण के पैकेजो को इस रीति से मोहर बद करेगा जिससे कि यह सुनिश्चित हो जाए कि मोहर बंद किए गए माल को बिगाड़ा न जा सके। परेषण की अस्वीकृति की दशा में, यदि निर्यातकर्ता की इच्छा हो, तो अभिकरण द्वारा परेषण सील बंद या मोहर बद या स्टेंसिल नही किया जाएगा। किन्तु ऐसे मामलो मे, निर्यातकर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने का हकदार नही होगा।

(5) जब अभिकरण का यह समाधान हो जाए कि तामचीनी के बर्तनो का परेषण मान्य विनिर्देशो की अपेक्षाओ के अनुरूप है, तो वह निरीक्षण की समाप्ति के 3 दिन के भीतर, निर्यातकर्ता को यह घोषणा करने वाला प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि परेषण निरीक्षण मे संबंधित शर्तों को पूरा करता है तथा निर्यात योग्य है।

परन्तु जहा अभिकरण का अपना इस प्रकार का समाधान नही होता है यहां वह उक्त 3 दिनो की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देगा तथा ऐसे इंकार की सूचना कारणो सहित निर्यात-कर्ता को देगा।

5. मान्यता प्राप्त चिन्हों का लगाया जाना और उसकी प्रक्रिया.—निर्यात के लिए आशयित तामचीनी के बर्तनो पर मान्यता प्राप्त चिन्ह या सील लगाने की प्रक्रिया के संबध में भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिन्ह) अधिनियम, 1952 (1952 का 36), भारतीय मानक सस्थान (प्रमाणीकरण चिन्ह) नियम, 1955 तथा भारतीय मानक सस्थान (प्रमाणीकरण चिन्ह) विनियमन, 1955 के उपबध यावत्शक्य लागू होगे।

6. निरीक्षण का स्थान.—इन नियमो के प्रयोजनो के लिए तामचीनी के बर्तनो का निरीक्षण या तो—

(क) विनिर्माता के परिसर पर किया जाएगा, या

(ख) उन परिसरो पर किया जाएगा जहां निर्यातकर्ता द्वारा माल प्रस्तुत किया जाता है, परन्तु यह तब जब कि इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं हो।

7. निरीक्षण फीस.—निर्यातकर्ता द्वारा पच्चीस रुपए की न्यूनतम सीमा मे रहते हुए, पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के प्रत्येक सौ रुपए के लिए पचास पैसे की दर से फीस निरीक्षण फीस के रूप में अभिकरण को दी जाएगी।

8. अपील.—(1) नियम 4 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र देने से अभिकरण द्वारा इकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति इस प्रकार इकार किए जाने की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर, इन नियमों के अधीन मालों से उद्भूत अपील की सुनवाई और विनिश्चय के प्रयोजनार्थ, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तीन से अन्यून और सात से अनधिक विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा।

(2) विशेषज्ञो के पैनल की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई सदस्य गैर-सरकारी होगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों की होगी।

(4) अपील का निपटारा उसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर किया जाएगा।

अनुसूची

(नियम 3 देखें)

नमूना चयन सारणियां तथा अनुरूपता के लिए मापदण्ड

सारणी-1

क्र० सं०	उपबंध II के पैराओ के प्रति निर्देश	विशेषताएं	लाट आकार	एक लाट में परख किए जाने वाले नमूनों की संख्या	नमूनो के दोषों की अनुमेय सं०
1	1 तथा 2	सामग्री, आकार तथा विस्तार	परेषण में एक ही प्रकार और आकार के सभी तामचीनी बर्तन	सारणी II में दी गई नमूना लेने की अनुसूची के अनुसार	सारणी II में दी गई नमूना लेने की अनुसूची के अनुसार
2.	3	कार्य कौशल तथा फिनिश	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
3.	4 1	आसंजन परख	यथोक्त	2	कुछ नही
4.	4 2	बुझाव परख	यथोक्त	1	कुछ नही
5.	4.3	लीक परख	यथोक्त	2	कुछ नही
6.	4.4	साइट्रिक अम्ल परख	यथोक्त	2	कुछ नही

सारणी-II

लॉट में तामचीनी के बर्तनों की संख्या	नमूने का आकार	नमूने में दोषों की अनुमेय संख्या
1	2	3
100 तक . . .	5	0
101 से 300 तक . .	8	0
301 से 500 तक . .	13	1
501 से 1000 तक . .	20	1
1001 से 3000 तक . .	32	2
3001 तथा अधिक . .	50	3

उपाबंध-II

[पैरा 3 का उप-पैरा (3) देखें]

1. सामग्री :

1.1. इस्पात की चद्दर का प्रमाप क्रेता तथा निर्यातकर्ता के मध्य हुए करार के अनुसार होगा।

2. आकार तथा विभाएं :

2.1. तामचीनी के बर्तनों का डिजाइन, विस्तार संबंधी विवरण तथा क्षमता क्रेता तथा विक्रेता के मध्य हुए करारनामे के अनुसार होंगे। उनकी सहायताएं निम्न लिखित रूप में होगी —

विभाए	+2.5 प्रतिशत
क्षमता	+2.5 प्रतिशत

3. कारीगरी तथा फिनिश :

3.1 बर्तनों की सतह में कोई भी दोष जैसे पिन-छिद्र, तड़कन या दरार नहीं होंगे। बर्तन बिलुंचना से मुक्त होंगे।

3.2. तामचीनी के बर्तनों की फिनिश-चमकदार या द्युतिहीन होगी तथा तामचीनी का रंग, बनावट तथा मोटाई एक समान होंगे।

4. परखें :

4.1 आसंजन परख : जब तामचीनी के बर्तन की सतह पर 100 ग्राम भार वाले इस्पात के गेंद को 57 सें०मी० की ऊंचाई से निर्बाध रूप से गिराया जाएगा तो उसमें कोई गड्ढा नहीं बनेगा या उसकी सतह का बड़ा भाग निस्त्वक नहीं हो जाएगा।

4.2. तापक परख : बर्तनों को जब एक भट्टी में 200 से० पर 10—20 मिनट के लिए रखा जाए और फिर निकाल कर तुरन्त ही कक्ष तापमान पर पानी में डुबोया जाए तो तामचीनी के बर्तनों की सतह में कोई तड़कन या खाली स्थान नहीं दिखाई देंगे।

4.3. लीक परख : तामचीनी के बर्तन को कम से कम 10 मिनट के लिए कोमाइन के रंगीन पानी में रखा जाएगा। परख के दौरान, रंगीन पानी बर्तन में नहीं आएगा। यह परख केवल जोड़ लगे तामचीनी के बर्तनों पर ही लागू होगी।

4.4. साइट्रिक अम्ल परख : तामचीनी के बर्तन की सतह एसिटोन से पोंछ कर और सुखा कर गंदगी एवं चिकनाई से मुक्त की जाएगी। तामचीनी की साफ की गई सतह पर, 3 सें०मी० व्यास का पतला फिल्टर कागज रखा जाएगा, उसके सिरे पर 2.5 सें०मी० व्यास का मोटा फिल्टर कागज रखा जाएगा। साइट्रिक एसिड घोल (100 ग्रा०/1 लिटर) फिल्टर कागजों पर तब तक डाला जाएगा जब तक कि वे पूरी तरह तर न हो जाएं। तब फिल्टर कागजों को वृश्य कांच से ढक दिया जाएगा ताकि वाष्पीकरण न हो पाए। 20/-1 मिनटों के पश्चात् फिल्टर कागज हटा लिए जाएंगे तथा सतह को नल के बहते हुए पानी में धोया जाएगा एवं साफ कपड़े से सुखाया जाएगा। तामचीनी में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् चमक में कोई कमी नहीं आएगी। साधित तथा असाधित दोनों ही सतहों पर एच बी पैंसिल से आरपार चिन्ह खींचा जाए, तो साफ सूखे कपड़े से रगड़े जाने के पश्चात् जब सतह का चिन्ह दूसरी सतह के चिन्ह से अधिक देर तक नहीं रहेगा।

5. पैकिंग :

5.1. तामचीनी के बर्तन क्रेता की अनुबन्ध के अनुसार ऐसी रीति में पैक किए जाएंगे जिससे किसी नुकसान के बिना बर्तनों को गन्तव्य स्थान तक पहुंचना सुनिश्चित हो जाए।

5.2. 50 कि०ग्रा० तक भार के पैकेज, पैकेज या उनमें रखे माल की कोई नुकसान हुए बिना 190 से० मी० की ऊंचाई से पात सहन करने में समर्थ होंगे और पैकेजों को मौसम के प्रतिकूल प्रभावों एवं आर्द्रता संदूषण से सरक्षा की जाएगी।

[सं० 6(20)/75-नि०नि० तथा नि०उ०]

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 19th June, 1976

S.O. 2127.—Whereas the Central Government is of opinion tha in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that the enamelware should be subject to inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposal specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964,

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce S.O. No. 1277 dated 25 April, 1966, the Central Government hereby publishes the said proposal for the information of the public likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that any person desining to forward and objections or suggestions with respect to the said proposals may forward same within thirty days of the date of publication of this order to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1B, Ezra Street, Calcutta-700001.

PROPOSALS

(1) To notify that enamelwares shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To specify the type of inspection in accordance with the draft Export of Enamelwares (Inspection) Rules, 1976 set out in Annexure I to this order as the type of inspection which would be applied to such enamelwares prior to export;

(3) To recognise the specifications as declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract for enamelwares subject to a minimum of the specifications as set out in Annexure II to this order as the standard specifications for enamelwares;

(4) To prohibit the export, in the course of international trade, of any such enamelware unless the same is accompanied by a certificate issued by one of the agencies established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that such enamelwares satisfy the conditions relating to inspection and are exportworthy.

2. In this order, "enamelware" shall mean articles made with vitreous enamel (procelain enamel) meant for domestic and hospital use.

3. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air, of samples of enamelwares, the f.o.b. value of which does not exceed one hundred and twenty five rupees to

prospective buyers.

4. This order shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

ANNEXURE—I

(See Sub-paragraph of paragraph 1)

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963.

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Export of Enamelwares (Inspection) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) 'Act' means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) 'Agency' means any of the Agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act ;

(c) 'Enamelware' means articles made with vitreous enamel (porcelain enamel) meant for domestic and hospital use.

3. Basis of Inspection.—Inspection of enamelwares shall be carried out with a view to seeing that the same conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act. Sampling shall be done as per the Tables mentioned in the Schedule to these rules.

4. Procedure of Inspection.—(1) An exporter intending to export enamelwares shall give intimation in writing of his intention so to do and submit along with such intimation the declaration as to agreed specification of the export contract, to any one of the agencies to enable it to carry out the inspection in accordance with rule 3.

(2) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall be given not less than ten days before the schedule date of shipment. A copy of intimation shall simultaneously be endorsed to any of the following offices of the Export Inspection Council which is nearest to the place of inspection, namely :—

Head Office : Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 141B, Ezra Street, 7th floor Calcutta-700001.

Regional Offices : 1. Export Inspection Council, Aman Chambers, 4th floor, 113, M. Karve Road, Bombay-400004.

2. Export Inspection Council, Manohar Buildings, Mahatma Gandhi Road. Ernakulam, Cochin-682011.

3. Export Inspection Council, 13/37, W.E.A., Arya Samaj Road New Delhi-110005.

(3) On receipt of the intimationn and declaration under sub-rule (2), the Agency shall carry out the inspection of enamelwares in accordance with rule 3 and the instructions in this behalf issued by the Export Inspection Council from time to time.

(4) After completion of the inspection, the agency shall immediately seal the packages in the consignment in a manner as to ensure that the sealed goods cannot be tampered with. In case of rejection of a consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed or stamped or stencilled by the agency. In such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer an appeal against the rejection.

(5) When the agency is statisfied that the consignment of enamelware comples with the requirement of the recognised specification, it shall within three days of completion of inspection, issue a certificate to the exporter declaring that the consignment satisfied the conditions relating to inspection and is exportworthy :

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of three days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

5. Affixation of recognised marks and procedure thereof: The provisions of Indian Standard Institution (Certification Marks) Act, 1952, (36 of 1952), the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 and the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation, 1955 shall, so far as may be apply in relation to the procedure of affixation of the recognised mark or seal on enamelwares meant for export.

6. Place of Inspection.—Inspection of enamelwares for the purposes of these rules shall be carried out, either :—

(a) at the premises of the manufacturer, or

(b) at the premises at which the goods are offered by the exporter, provided adequate facilities for the purpose exist therein.

7. Inspection fee.—Subject to a minimum of rupees twenty five, a fee at the rate of fifty paise for every hundred rupees of the f.o.b. value shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee.

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (5) or rule 4, may, within ten days of receipt of communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven such experts as may be appointed by the Central Government for the purpose of hearing and deciding appeals arising out of the matters under these rules.

(2) The panel shall consist of at least two-thirds of non-officials of the total membership of the panel of exports.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

SCHEDULE

(See rule 3)

Sampling Tables and Criteria for Conformity

TABLE-I

Sl. No.	Reference to paragraphs in Annexure II	Characteristic	Lot size	No. of samples to be tested in a lot	Permissible No. of defective in the sample.
1.	1& 2	Material, Shape and dimensions	All enamelwares of same type and size in a consignment.	As per sampling schedule given in Table II	As per sampling schedule given in Table II
2.	3	Workmanship and finish	Do.	Do.	Do.
3.	4.1	Adhesion Test	Do.	2	Nil
4.	4.2	Quench test	Do.	1	Nil
5.	4.3	Leak test	Do.	2	Nil
6.	4.4	Citric Acid test	Do.	2	Nil

TABLE-II

No. of enamelwares in a lot	Sample size	Permissible No of defective in the samples
Upto 100	5	0
101 to 300	8	0
301 to 500	13	1
501 to 1000	20	2
1001 to 3000	32	2
3001 and above	50	3

ANNEXURE—II

(See Sub-paragraph (3) of paragraph 3)

1. Material :

1.1. The steel sheet should be of a gauge as per agreement between the buyer and the exporter.

2. Shapes and dimensions :

2.1. The design, dimensional details and capacity of enamelwares, shall be as per agreement between the buyer and the seller. The tolerances on the same shall be as follows :—

Dimensions — ± 2.5 %
Capacity — ± 2.5 %

3. Workmanship and finish :

3.1. The Surface of the wares shall not have any flaws like pinholes, cracks or crevices. The wares shall be reasonally free from warpage.

3.2. The enamelware shall have a glossy or matt finish, and the colour, texture and thickness of enamel shall be evenly matched.

4. Tests :

4.1. Adhesion Test.—A steel ball weighing 100 g. when allowed to fall freely from a height of 57 cm, on the surface of the enamelware, shall not produce any dent or large patch of peeled surface.

4.2. Quench Test.—The surface of the enamelware shall not show any crack or bare patches when the wares are kept inside a furnace at 200° C for 10-20 minutes and immediately plunged in water at room temperature.

4.3. Leak Test.—The enamelware shall be allowed to remain in water coloured with eosin for at least 10 minutes. During the test, there shall be no infiltration of coloured water to inside. The test shall be applicable for enamelwares with joints only.

4.4 Citric Acid Test.—The surface of the enamelware shall be free from dirt and grease by wiping with acetone and drying. A 3 cm. diameter thin filter paper shall be placed on the cleaned surface of the enamel, on the top of which a thicker filter paper of 2.5 cm. diameter shall be placed. Citric acid solution (100 g/litre) shall be dropped on the filter papers until these are saturated. The filter papers shall be then covered with a watch glass to prevent evaporation. The filter papers shall be removed after 20 ± 1 minutes and the surface shall be washed with running tap water and dried with a clean cloth. The enamel shall not show any perceptible change that is to say there shall not be any loss of gloss. The mark of an HB pencil drawn across both the treated and untreated surface shall not be retained more by the one surface than by the other after they have been rubbed with a clean dry cloth.

5. Packing :

5.1. Enamelwares shall be packed in accordance with the stipulation of the buyer in such a manner as to ensure the safe arrival of the wires to the destination without any damage.

5.2. The packages weighing upto 50 kg. shall be able to withstand a drop from a height of 190 cm. without any damage to the contents inside or package itself. The packages shall also be adequately protected against adverse effects of weather and moisture contamination.

[No. 6(20)/75/EI & EP.]

का० आ० 2128.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए निर्यात-पूर्व जांचों से संबंधित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2384, ता० 17 जुलाई, 1967 में संशोधन करके के लिए कतिपय प्रस्थापनाएं निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) द्वारा यथापेक्षित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 2364, तारीख 19 जुलाई 1975 के अधीन भारत के राजपत्र भाग -11 खंड -3 उप-खंड (II), तारीख 26 जुलाई, 1975 में उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की गई थी जिनके उनके प्रभावित होने की संभावना थी तथा उनसे राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे ;

और उक्त राजपत्र जनता को 6 अगस्त, 1975 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अतः अब, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2384, तारीख 17 जुलाई, 1967 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2384, तारीख 17 जुलाई, 1967 में,

(1) पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—
"3. इस अधिसूचना में 'जूते' से इस अधिसूचना के उपाबंध में विनिर्दिष्ट किसी प्रकार का जूता तथा इसके घटक बनाए गए या बनाने से पूर्व) अभिप्रेत है ।"

(2) उपाबंध में मद सं० 10 के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"11. जूते के घटक :

(क) ऊपर के बिफलक किए हुए घटक ।

(ख) टोपक और कठोरक (स्टिफनर) (सभी सामग्री) को सम्मिलित करते हुए, क्लिक किए हुए तली के घटक ।

(ग) (चमड़े /सिन्थेटिक/फेब्रिक) के बंद ऊपरी भाग (अपर) ।

(घ) पी०वी०सी०/माइक्रो सेल्यूलर/रबड़/नियोलाइट/चमड़े आदि के ढाले हुए सोल, इन-सोल और अन्य घटक ।

(ङ) तली घटकों को सम्मिलित करते हुए चप्पलों/सेंडिलों की पी०वी०सी०/नियोलाईट/बोलेक्स/चमड़े की पट्टियां/स्ट्रेप्स) ।

(च) रबड़ या चमड़े के सोल सहित या सोलिंग सामग्री रहित काष्ठ लट्ठा (लास्ट) उसकी पट्टियां बंधकों के सहित ।

12. अन्य प्रकार के जूते के घटक के ।"

[सं० 6(16)/74-नि०नि० तथा नि०उ०]

S.O. 2128.—Whereas for the development of export trade of India certain proposals for amending the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2384, dated the 17th July, 1967, relating to footwear prior to their export, were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (ii), dated the 26th July, 1975, under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2364, dated the 19th July, 1975, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within thirty days from the date of publication of the said Order in the Official Gazette:

And whereas the said Gazette were made available to the public on the 6th August, 1975;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government after consulting the Export Inspection Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S. O. 2384, dated the 17th July, 1967, namely:—

In the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2384, dated the 17th July, 1967.

(1) for paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely:—

3. In this notification "footwear" shall mean any type of footwear and its components (fabricated or pre-fabricated) specified in the Annexure to this notification.;

(2) In the Annexure, after item No. 10, the following items shall be insterted, namely:—

"11. FOOTWEAR COMPONENTS:

(a) Clicked upper components.

(b) Clicked bottom components including Toe-puff and stiffener (all materials).

(c) Closed upper of Leather/Synthetic/Fabric.

(d) Moulded Sole, insole and other components of PVC/Micro-Callular/Rubber/Neolite/Leather etc.

(e) PVC/Neolite/volex/Leather straps of Chappals/sandals including bottom components.

(f) Wooden logs with rubber or leather soling or without soling materials along with its straps and fastners.

12. Other sort of footwear components".

[No. 6(16)/74-EI&EP]

का०आ० 2129.—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जूते का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम जूते का निर्यात (निरीक्षण) द्वितीय संशोधन नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. जूते का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967 में –

(क) नियम 2 में ,खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात :—

"(ख) 'जूते' से इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी का जूता तथा इसके घटक (बनाए गए या बनाने से पूर्व) अभिप्रेत है ।"

(ख) अनुसूची में क्रम संख्या 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

11. जूते के घटक :

(क) ऊपर के क्लिक किए हुए घटक ।

(ख) टोपफ और स्टिफनर (सभी सामग्री) को सम्मिलित करते हुए क्लिक किए हुए, तली के घटक ।

(ग) चमड़े/सिन्थेटिक/फैब्रिक के बंद ऊपरी भाग (अपर) ।

(घ) पी०वी०सी०/माइक्रो सेल्यूलर/रबड़/नियोलाईट/चमड़े आदि के ढाले हुए सोल/इनसोल और अन्य घटक ।

(ङ) तली घटकों को सम्मिलित करते हुए चप्पलों/सैंडिलों की पी० वी० सी०/नियोलाईट/वोलैक्स/चमड़े की पट्टियां (स्ट्रैप्स) ।

(च) रबड़ या चमड़े के सोल सहित या सोलिंग सामग्री सहित काष्ट लट्ठा (लास्ट) उसकी पट्टियों और बंधकों सहित ।

12. अन्य प्रकार के जूते के घटक ।

[सं० 6(16)/74-नि०नि० तथा नि०उ०]
के० वी० बालसुब्रह्मणियम् उप-निदेशक

S.O. 2129.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Footwear (Inspection) Rules, 1967, namely:

1. (1) These rules may be called the Export of Footwear (Inspection) Second Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Export of Footwear (Inspection) Rules, 1967.

(a) in rule 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) "footwear" means any type of footwear and its components (fabricated and pre-fabricated) as specified in the Schedule to these rules.",

(b) in the Schedule after Serial Nnmber 10 and the entry relating thereto, the following Serial Numbers and entries shall be inserted, namely:—

"11. FOOTWEAR COMPONENTS:

(a) Clicked upper components.

(b) Clicked bottom components including Toe-puff and stiffener (all materials).

(c) Closed upper of Leather/Synthetic/Fabric.

(d) Moulded sole, insole and other components of PVC/Micro-Cellular/Rubber/Neolite/Leather, etc.

(e) PVC/Neolite/Volex/Leather straps of chappals/sandals including bottom components.

(f) Wooden logs with rubber or leather soling or without soling materials along with its straps and fastners.

12. Other sorts of footwear components."

[No. 6(16)/74-EI&EP]
K. V. BALASUBRAMANIAM, Dy. Director.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1976.